३—अंक २८

बुधवार, २३, मई, १९६२
२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 74
8. 8. 62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर : पृष्ठ

तारांकित प्रश्न* संख्या ९४८ से ९५३, ९५८ से ९६२ और ९६५ से ९६८ . . . . . २८५३–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९५७, ९६३, ९६४ और ९६९ से ९९२ . २८७६–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८० से १८२६, १८२८ से १८७१ और १८७३ से १८८८ . . २८८८–२९३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

२२ मई, १९६२ को सियालदह में हुई रेल दुर्घटना . . . २९३२–३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९३४

समिति के लिये निर्वाचन––

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् । . . . २९३४–३५

अनुदानों की मांगें . . . २९३५–८५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . २९३५–४३

श्री जगजीवन राम . . २९३५–४३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . २९४३–८५

श्री ह० प० चटर्जी . २९४४–४५

श्री ब्रज राज सिंह कोटा . . . २९४५–४६

श्री उ० न० देबर २९४६–४७

श्री ब्रज राज सिंह २९४७–५२

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह २९५३–५४

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा . २९५४

श्री शिवमूर्ति स्वामी २९५४–५७

श्रीमती लक्ष्मी बाई . . २९५७–६१

श्री म० ना० स्वामी . . २९६१–६३

श्री श्याम लाल सर्राफ . . २९७२–७३

श्री अ० म० थामस २९७३–७९

*किसी नामम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष पृष्ठ तीन पर देखिये]

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २३ मई, १९६२
२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नयी दिल्ली को राकफेलर अनुदान

+
†*९४८. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राकफेलर प्रतिष्ठान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली, के लिये अभी हाल में कुछ अनुदानों की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो अनुदान की राशि कितनी है और वह किस प्रकार खर्च की जायेगी ;

(ग) भारत को अन्य संस्थाओं के लिये वर्ष १९६२-६३ के लिये कितना अनुदान मंजूर किया गया है; और

(घ) उन्हें किस प्रकार खर्च करना होगा ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) राकफेलर प्रतिष्ठान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली को अक्तूबर, १९६१ में एक अनुदान मंजूर किया था ।

(ख) अनुदान की राशि ४५,००० डालर है । उसे वातानुकूलन के उन पुर्जों को आयात करने के लिये काम में लाया जायेगा जो संस्था के पुस्तकालय तथा स्टाक (संग्रह) के कामों के लिये देश में उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

1024(Ai)LSD—1.

विवरण

वर्ष १९६२–६३ में राकफेलर द्वारा मंजूर किये गये अनुदान

संस्था का नाम	राशि	प्रयोजन
	(डालर)	
राजस्थान विश्वविद्यालय प्राणिशास्त्र विभाग।	१०,०००	प्राणिशास्त्र में अनुसन्धान के लिये उपकरण और अन्य सामान की खरीद ।
लखनऊ विश्वविद्यालय .	७६,०००	विज्ञान शाखा के बायो-केमिस्ट्री विभाग और किंग जार्ज मेडिकल कालेज के फार्मेकालाजी विभाग के लिये अनुसंधान के उपकरणों की खरीद ।
लखनऊ विश्वविद्यालय .	३७,८००	किंग जार्ज मेडिकल कालेज में सामाजिक और निवारक चिकित्सा की शिक्षा देने के लिये तीन प्रयोगात्मक स्वास्थ्य शिक्षा उप-केन्द्रों की स्थापना के व्यय की आंशिक पूर्ति ।

इस के अतिरिक्त राकफेलर प्रतिष्ठान ने पैथालाजी (व्याधिविद्या), जीव-विज्ञान और पुस्तकालय विज्ञान के अध्ययन के लिये तीन अनुसंधान छात्रों को तीन यात्रा अनुदान दिये हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि प्रतिष्ठान ने दो विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया है । विश्वविद्यालयों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह विशिष्ट अनुदान सरकार और राकफेलर प्रतिष्ठान के बीच भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विकास के लिये सम्पन्न करार के अनुसार मंजूर किया गया है और अनुदान की राशि १००,००० डालर है। बाद में मूल्यों में वृद्धि तथा अन्य बातों के कारण पुस्तकालय विभाग के लिये ४५,००० डालर दिये गये । जहां तक अनुदान देने का सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, राकफेलर प्रतिष्ठान को विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामान्य कल्याण गतिविधियों में दिलचस्पी है। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय तथा राकफेलर प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा होती है और परस्पर सहमति से विषय चुने जाते हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था को ४५,००० डालर का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है । वातानुकूलन के उपकरण किस देश से आयात किये जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : चूंकि यह अनुदान बिना किसी शर्त के दिया गया है इसलिये मशीनरी उसी देश से आयात की जायेगी जहां उपयुक्त मशीनरी उचित दामों पर उपलब्ध हो।

†**श्री हेडा** : क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने ४५,००० डालर जैसी अलग राशि के लिये आवेदन किया था ?

† मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैं बता चुका हूं, यह अनुदान सरकार और राकफेलर प्रतिष्ठान के बीच सम्पन्न मूल करार के सिलसिले में दिया गया है । पहले १००,००० डालर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विकास और पुस्तकालय विभाग के लिये दिया गया था। किन्तु, किसी कारण से पुस्तकालय विभाग का काम शुरू नहीं किया जा सका । इस बीच मूल्य बढ़ गये इसलिये प्रतिष्ठान ने यह अतिरिक्त अनुदान दिया है ।

†श्री ब० कु० दास : क्या किसी अन्य संस्था ने अनुदान पाने के लिये आवेदन किया था और यदि हां, तो यह चुनाव किस आधार पर किया गया ?

†श्री ब० रा० भगत : देश में भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था जैसी दूसरी कोई संस्था नहीं है ।

†डा० गोविन्द दास : अभी मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में १००,००० डालर्ज़ की ग्रान्ट पहले मिल चुकी थी और कुछ और ग्रान्ट भी मिलने वाली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों ग्रान्ट्स से यह काम पूरा हो जायगा या और अधिक रुपये की आवश्यकता होगी ।

†श्री ब० रा० भगत : और सभी काम हो चुके हैं और पुस्तकालय बन चुका है । उसमें एयर-कन्डीशनिंग की व्यवस्था करने के लिएयह दूसरी ग्रन्ट दी गई ह ।

†श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में अनुसन्धान के लिये तीन छात्रों को यात्रा अनुदान देने का उल्लेख है । इन छात्रों का चुनाव किस आधार पर किया गया ?

†श्री ब० रा० भगत : इस के लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये ।

बायो गैस उर्वरक अग्रिम कारखाना

+

†*९४९ { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-गैस उर्वरक अग्रिम कारखाना खोलने के बारे में विदेशी फर्मों के साथ बात-चीत पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो किन किन फर्मों के साथ बातचीत की गयी थी ;

(ग) विभिन्न फर्मों ने क्या क्या नियम और शर्तें रखी थीं; और

(घ) कौन सी शर्तें मंजूर की गई हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (घ) बायु-गैस कारखानों की स्थापना के बारे में एक ही दल अर्थात् हंगेरा की केम लइम्पेक्स फर्म से बातचात की गयी थी । इस फर्म के साथ किये गये करार की प्रतियां अब संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस बायो-गैस उर्वरक कारखाने की स्थापना का स्थान चुन लिया गया है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां । स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सुबोध हंसदा** : इस कारखाने की स्थापना के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरा ख्याल है कि कोई विदेशी मुद्रा आवश्यक नहीं है। दो अग्रिम कारखानों की कुल अनुमित लागत २० लाख रुपये है।

स्नातकोत्तर डिग्रियां

+

†*९५०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने एम० ए० डिग्री में तीसरी श्रेणी को समाप्त कर देने के सुझाव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है या निकट भविष्य में वह इस पर संभवत: विचार करने वाली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त परीक्षा सम्बन्धी सुधार समिति ने यह राय व्यक्त की है कि विश्वविद्यालयों को एम० ए० डिग्री की परीक्षा में तीसरी श्रेणी न देनी चाहिये और यह कहा है कि इस परीक्षा में केवल दो श्रेणियां अर्थात् प्रथम और द्वितीय हों बशर्ते कि पहली और दूसरी श्रेणी का मूल स्तर बना रहे। आयोग ने यह सिफारिश मान ली है।

(ग) जी, नहीं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा है; यदि हां, तो क्या किसी विश्वविद्यालय ने अब तक अपनी राय व्यक्त की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से पूछताछ की है और इस सम्बन्ध में पुन: विचार-विमर्श करेगा। आयोग के भूतपूर्व सभापति श्री सी० डी० देशमुख के इस सुझाव पर कि विश्वविद्यालय उन छात्रों को अपनी श्रेणी सुधारने का अवसर दें जिन्हें एम० ए० में तीसरी श्रेणी प्राप्त हुई हो, विश्वविद्यालयों से विचार विमर्श किया गया था। पहले जो प्रस्ताव किया गया था वह इस प्रस्ताव से कुछ भिन्न है। अब विश्वविद्यालयों से इस सिफारिश पर विचार-विमर्श करना होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार कर ली है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो उसने क्या निर्णय किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : पहले जो प्रस्ताव था उसके बारे में आगरा, गोरखपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान सस्था, कर्नाटक, कुरुक्षेत्र, पंजाब, खड़की, सागर और उत्कल विश्वविद्यालय इस सुझाव से सहमत थे कि जिन छात्रों को एम० एस० सी० और एम० ए० की परीक्षा में तीसरी

†मूल अंग्रेज़ी में

श्रेणी मिली हो उन्हें अपनी श्रेणी सुधारने के लिये इस परीक्षा में एक बार और बैठने का मौका दिया जाये। आन्ध्र, जादवपुर, मद्रास, मराठवाड़ा, उस्मानिया, श्री वेंकटेश्वर और विश्वभारती इन विश्वविद्यालयों ने एम० ए० और एम० एससी० की परीक्षा में तीसरी श्रेणी समाप्त करने का निश्चय किया है। कुछ विश्वविद्यालय प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं और कुछ ने कहा हैं कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह प्रस्ताव त्याग दिया है और अब नया प्रस्ताव यह है कि विश्वविद्यालयों में केवल दो अर्थात् प्रथम और दूसरी श्रेणियां हों। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार कर लिया है और वह इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से विचार-विमर्श करने वाला है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले सकता है या उसके द्वारा किया गया निर्णय केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड को भेजा जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वर्तमान स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संविहित दायित्व है। वह जब विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है तब उन्हें कुछ निदेश दे सकता है। विश्वविद्यालय निस्संदेह स्वशासी हैं। राज्यों के विधानमण्डलों ने कानून बना दिये हैं और विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र में स्वशासी हैं। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आम तौर पर निदेश नहीं देता वरन् विश्वविद्यालयों से विचार-विमर्श करता है। अब तक यही प्रक्रिया अपनाई गई है और आयोग तथा विश्वविद्यालयों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद नहीं हुआ है।

†**श्री त्यागी** : आयोग यह सिफारिश करने में किन कारणों से प्रेरित हुआ ? क्या बी० ए० और मैट्रिक की परीक्षाओं से भी तीसरी श्रेणी समाप्त कर दी जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, आयोग के समक्ष सब से मुख्य बात थी विश्वविद्यालयों में स्तर का उन्नयन। संसद् भी इस बात पर जोर देती रही है और आयोग की राय है कि यह कदम उठाने से स्तर बढ़ाया जा सकता है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इस मामले पर और विचार करना पड़ेगा। आयोग ने इस मामले पर अभी विचार नहीं किया है।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** : इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करते समय क्या सरकार इस बात को ध्यान में रख रही है कि कुछ उम्मीदवार रोज़गार के लिये नहीं वरन् न्यूनतम योग्यता के रूप में डिग्री प्राप्त करते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव पर सहमत हो जायें तो न्यूनतम योग्यता पहली और दूसरी श्रेणी होगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : चूंकि तीसरी श्रेणी समाप्त की जाने वाली है तो क्या उन उम्मीदवारों को, जिन्हें तीसरी श्रेणी प्राप्त हुई है, अपनी श्रेणी सुधारने का अवसर देने की संभावना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं यह बता चुका हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस आशय के प्रस्ताव को त्याग दिया है क्योंकि अधिकांश विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव से सहमत न थे।

†**श्री त्यागी** : यह सिफारिश मान ली गई तो उसका क्या परिणाम होगा ? जिन छात्रों को तीसरी श्रेणी के अंक मिलेंगे वे अनुत्तीर्ण समझे जायेंगे या उन्हें इस से ऊंची श्रेणी दे दी जायेगी ? उनकी क्या स्थिति होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डॉ० का० ला० श्रीमाली** : स्तर किसी प्रकार कम नहीं किये जायेंगे । पहली और दूसरी श्रेणी के स्तर कायम रखे जायेंगे । माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि जिन छात्रों को इन श्रेणियों के अंक न मिलेंगे उनकी स्थिति क्या होगी । स्तर को किसी भी हालत में गिरने न दिया जायेगा ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ऊपर कोई अस्थायी सुधार करने के बजाय नीचे से कोई सुधार करना ज्यादा अच्छा होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कथन कार्यवाही के लिये सुझाव मात्र है ।

†**श्री दाजी** : अब तक कितने विश्वविद्यालयों ने इस योजना के बारे में अपनी राय व्यक्त कर दी है ? क्या यह सच है कि अधिकांश विश्वविद्यालय योजना के पक्ष में नहीं हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी विश्वविद्यालयों से विचार-विमर्श कर रहा है ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी**: क्या छात्रों को सभी विषयों में प्रथम वा द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त करने पड़ते हैं या अंकों का योग प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी का होना चाहिये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरा ख्याल है कि एम० ए० और एम० एससी० की कक्षाओं में छात्रों को एक ही विषय लेना पड़ता हैं । यह ब्यौरे की बात है और उन्हें अंकों के योग में निश्चित प्रतिशत प्राप्त करना पड़ता है ।

चूने का पत्थर

+

†*९५१ { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन् नायर }

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो ने पहले दर्जे के चूने के पत्थर की खानों की राष्ट्र-व्यापी खोज के कोई बड़े कार्यक्रम तैयार किये हैं; और

(ख) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) भारतीय भूतत्वीय सवक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्यन्द श्रेणी के चूने के सर्वेक्षण का एक समन्वित कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

(ख) इन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार ने तीसरी योजनावधि में चूने की खपत का कोई अनुमान लगाया है और उसके उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

†**श्री तिम्मय्या** : १९६० में लगभग २० लाख टन चूने की खपत हुई है और तीसरी योजना-वधि में लगभग ७० लाख टन की खपत होगी । चूने का तीसरी योजना में उत्पादन करने के लिये हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे यहां १५०० लाख टन चूने का भंडार है . . . .

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : क्या सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भूतत्वीय सर्वेक्षण कराने के अतिरिक्त कोई और कदम उठाये हैं ?

†**श्री तिम्मय्या** : जी, हां । उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे यहां चूने का पर्याप्त भण्डार है । इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के कार्यक्रमों में तेज़ी लाई गई है और इन दोनों विभागों के कार्यक्रमों में समन्वय भी स्थापित किया गया है । कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक संयुक्त सारणी बना ली गई है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मन्त्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि चूने का पत्थर निकालने के सिलसिले में पहाड़ों को इस बुरी तरह बरबाद किया जा रहा है, जैसे देहरादून और मंसूरी के बीच में, कि उससे बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है, और क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : ऐसी बात गवर्नमेंट के ख्याल में नहीं आई है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी तो गवर्नमेंट उसका ख्याल रक्खेगी ।

†**श्री कृ० चं० पं** : क्या यह सर्वेक्षण इस्पात कारखानों में अनुभव किये गये अभाव के फल-स्वरूप किया जा रहा है या देश भर के खनिजों के सर्वेक्षण के क्रम में यह सबसे पहला सर्वेक्षण है ?

†**श्री तिम्मय्या** : इस्पात कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिये उन्हें पर्याप्त सम्भरण करने की दृष्टि से हम विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वेक्षण और जांच कर रहे हैं और हमने इस प्रयोजन के लिये इन क्षेत्रों को चार भागों में बांट दिया है । इन चार भागों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय खान ब्यूरो का समन्वित कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं यहां इस बात का भी उल्लेख कर दूं कि चूने के पत्थर के अभाव का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

†**श्री रा० बरुआ** : क्या खासी और जन्तिया तथा गारो पहाड़ियों में इस प्रकार की कोई खोज की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री हजरनवीस** : जी, नहीं । वह हमारे कार्यक्रम में नहीं हैं ।

†**श्री वारियर** : भूतत्वीय सर्वेक्षण कहां-कहां किया गया और क्या प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : इस कार्यक्रम के लिये चार भाग बना दिये गये हैं । ये भाग इस प्रकार हैं:—

उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में कोटा क्षेत्र, बिहार में शाहाबाद क्षेत्र, बिहार में पालामऊ क्षेत्र ।

दूसरा भाग है मध्य प्रदेश में सतना और मेहर क्षेत्र ।

तीसरा भाग है मध्य प्रदेश में जयरामनगर क्षेत्र ।

चौथा भाग है उड़ीसा में लान्जीबेरुआ तथा अन्य क्षेत्र ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर मेरा निवेदन है कि जब माननीय सदस्य श्री रा० बरुआ ने खासी, जन्तिया तथा गारो पहाड़ियों के बारे में पूछा तो मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तर उनके "ब्रीफ" में नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार उत्तर दिया जा सकता है ?

†**श्री हजरनवीस** : माननीय सदस्य ने आसाम के बारे में पूछा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय के इस कथन पर कि उत्तर उनके "ब्रीफ" में नहीं है आपत्ति की है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मन्त्री महोदय भी वकील हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री का अभिप्राय इतना ही था कि उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई है। मन्त्रियों को जानकारी दी जाती है इसमें कौनसी असाधारण बात है। वे अपने व्यक्तिगत जानकारी से तो कोई बात बताते नहीं हैं। उन्हें अपने सचिवों मन्त्रालयों से जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। क्या माननीय सदस्य मुझे बता सकते हैं कि मन्त्री महोदय को भविष्य में क्या करने के लिये कह जाये ?

†**श्री हेम बरुआ** : मन्त्रियों को जानकारी दी जाती है यह तो सर्वविदित है किन्तु उन्हें इस बात की आड़ लेकर ऐसा नहीं कहना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब अलग से सूचना आवश्यक होती तो मन्त्री महोदय इस प्रकार कह देते हैं।

†**श्री हजरनवीस** : श्रीमन्, जहां तक मुझे स्मरण है मैंने "ब्रीफ" नहीं वरन् कार्यक्रम शब्द का प्रयोग किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

चुनाव प्रचार साहित्य और पोस्टर

+

†*९५२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उस प्रचार साहित्य की जांच की है जिसका उपयोग सामान्य निर्वाचन में किया गया था और जिसमें पोस्टर तथा व्यंग चित्र आदि शामिल हैं ; और

(ख) उससे क्या निष्कर्ष निकले हैं और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामले की जांच की जा रही है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि राज्य सरकारों को पहले ही लिख दिया गया है और सामग्री उपलब्ध है तो केन्द्रीय मन्त्रालय पूरी सामग्री की जांच क्यों नहीं कर पा रहा है ?

†**श्री दातार** : हमने सभी राज्य सरकारों को लिख दिया है। पांच राज्य सरकारों ने ये पोस्टर आदि भेज दिये हैं। और राज्यों में से प्राप्त हो रहे हैं। वे प्राप्त हो जायेंगे तो उनकी भी जांच की जायेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : केन्द्र-शासित क्षेत्रों और विशेष कर दिल्ली के बारे में क्या स्थिति है ? क्या हमें दिल्ली प्रशासन से सम्बन्धित सभी सामग्री प्राप्त हो गई और यदि हां, उसके बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : उनसे भी यह सामग्री मांगी गयी है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सामग्री अभी प्राप्त नहीं हुई ?

†**श्री दातार** : यह सब सामग्री प्राप्त होने पर उसकी जांच की जायेगी । मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या सामग्री प्राप्त हो गयी है और मन्त्री महोदय ने कहा कि सामग्री प्राप्त होने पर. . . . . । जिसका निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि सामग्री प्राप्त नहीं हुई होगी ।

†**श्री दातार** : यह सामग्री दिल्ली से प्राप्त नहीं हुई । राजस्थान, पंजाब, केरल, मैसूर, और मध्य प्रदेश इन पांच राज्यों से यह सामग्री प्राप्त हो चुकी है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि यह जांच चुनाव के दौरान वितरित आपत्तिजनक साहित्य का प्रधान मन्त्री द्वारा उल्लेख किये जाने पर की जा रही है और चुनाव के बाद ही की जा रही है क्या सरकार के पास अब तक आई सामग्री पर्याप्त है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य का प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा प्रश्न यह है कि यह जांच प्रधान मन्त्री के निर्देश पर और चुनाव समाप्त हो जाने पर की जा रही है । इसलिये अधिकांश साहित्य छिपाया जा सकता है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को प्राप्त सामग्री पर्याप्त है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मेरा ख्याल है कि इस प्रकार का साहित्य छिपाया नहीं जायेगा । हमारे पास कई पर्चे, पोस्टर आदि आये हैं और हमें जल्दी ही अधिक सामग्री मिल सकती है । हो सकता है कि वह इकट्ठी न की जा सकी हो । जिलाधीशों को हैन्डबिल आदि छप जाने पर उन की एक प्रति मिल ही जाती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : पोस्टरों की क्या स्थिति है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पोस्टर भी मिल जाते हैं । यह सामान्य नियम है । किन्तु मुझे पता नहीं कि कुछ राज्यों में विलम्ब क्यों हो रहा है । हम उन्हें पुनः स्मरण करायेंगे और आशा है कि हमें यह सामग्री जल्दी ही मिल जायेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जून के आरम्भ में दिल्ली में राष्ट्रीय एकता समिति की जो बैठक होने जा रही है, क्या उसमें इस चुनाव-प्रचार साहित्य अथवा पोस्टरों का प्रदर्शन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या वह केवल समिति के सदस्यों के लिये ही होगा अथवा दूसरों के लिए भी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो हम उसे दूसरों के लिये भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन चूंकि नेशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल में शायद इस विषय पर विचार हो, इसलिये पोस्टर्ज़ वहां रखने का इरादा है । हम ने इन्फ़र्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री को कहा है कि वह इसका इन्तज़ाम करे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार का इरादा इन पोस्टरों को प्रदर्शन करने के लिये इकट्ठा करने का है या वह उनके बारे में कोई कार्यवाही भी करेगी और यदि हां, तो कम से कम केन्द्र-शासित क्षेत्रों को कोई निदेश दे दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** इस सम्बन्ध में कोई निदेश नहीं दिये जाते । यदि पोस्टरों या इश्तेहारों में ऐसी कोई बात है जो साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करती है या साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है तो सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है । हम इनका अध्ययन विचार की प्रवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिये कर रहे हैं कि विभिन्न लोगों ने किस प्रकार अतिशयोक्ति की और क्या उन्होंने जनमत को सही ढंग से शिक्षित करने का वास्तव में प्रयत्न किया । इन सब बातों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या राज्य सरकरों से किसी निश्चित अवधि के पूर्व यह सामग्री भेजने के लिये कहा गया है कि और यदि राज्य सरकारें समय पर यह सामग्री न भेजें तो क्या मन्त्री महोदय अथवा विभाग द्वारा स्वयं यह सामग्री प्राप्त की जायेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया, पांच-छः राज्यों ने सामग्री भेज दी है । मेरा ख्याल है कि अन्य राज्यों से सामग्री प्राप्त करने में विशेष कठिनाई न होगी । सामग्री भेजने के लिये कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** गृह-कार्य मन्त्रालय ने पोस्टरों आदि के बारे में जो प्रणाली अपनाई वह तो ठीक है । किन्तु मन्त्रालय उन प्रकाशनों के बारे में क्या कर रहा है जो चुनाव के दौरान सभी राज्यों में चोरी-छिपे बांटे गये थे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह कोई असाधारण बात नहीं है । जब चुनाव नहीं होते तब भी ऐसे साहित्य का प्रकाशन और मुद्रण होता है । पुलिस को जांच करके जहां कहीं सम्भव हो आवश्यक कार्यवाही करनी होती है ।

पर्वतारोहण

*९५३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के लिये एक योजना कुछ समय पहले मंजुर की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना के अधीन स्वीकृत विभिन्न मदों को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री म० रं० कृष्ण) :** (क) जी, हां ।

(ख) २०,००० रुपये का अनुदान पर्वतारोहण संबंधी सामान खरीदने के लये हिमालय पर्वतारोही संस्था को दे दिया गया है । अनुदान जबलपुर विश्वविद्यालय को पर्वतारोहण समिति, बम्बई को सामान के लिये तथा चट्टान-चढ़ने के शिविरों को आयोजित करने के लिये दिये जाते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि पर्वतारोहण का काम इस बीच में--खास कर के चीन के आक्रमण के बाद--बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिये क्या यह आशा की जा सकती है कि इस सम्बन्ध में और ज़ोरदार कदम उठाये जायेंगे ?

श्री म० रं० कृष्ण : अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने पर्वतारोहण संबंधी गतिविधियों का विकास करने की आवश्यकता अनुभव की है और इसलिये उस ने जनरल थिमैय्या के अधीन एक विशेष समिति बनाई है । उस समिति ने समूचे प्रश्न पर विचार किया है और एक रिपोर्ट दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : इस समय तक इस कौंसिल के द्वारा पर्वतारोहण को जो प्रोत्साहन दिया गया है, क्या भारत सरकार और खास कर के शिक्षा मंत्री जी उस से संतुष्ट हैं? यदि नहीं हैं, तो क्या इस के लिये कुछ और सहायता दी जायगी ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : यह काम हिमालय पर्वतारोहण संस्था के द्वारा किया जा रहा है जो प्रधान मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जैसे अत्यन्त योग्य व्यक्तियों के अधीन है । शिक्षा मंत्रालय को इस संस्था को जो सहायता देनी होती है वह इस को दी जा रही है ।

†**श्री रामेश्वरानन्द**: अध्यक्ष महोदय, अनेक बार यह प्रार्थना की गई है कि जो सवाल हिन्दी में हों, उन का जवाब भी हिन्दी में दिया जाय यदि माननीय मंत्री जी हिन्दी समझते हों । माननीय मंत्री जी हिन्दी समझते हैं और जवाब अंग्रेज़ी में दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि जान बूझ कर जवाब अंग्रेज़ी में दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी को सोचना चाहिये कि कोई ऐसी भी माबात या मामले हो सकते हैं जिन में मिनिस्टर साहब हिन्दी समझ तो सकते हैं, लेकिन हिन्दी में जवाब नहीं दे सकते हैं या हिन्दी बोल नहीं सकते हैं । यह शायद ऐसी हालत है जबकि वह समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, जो कुछ उन्हें कहना है उस को हिन्दी में प्रकट नहीं कर सकते हैं ।

श्री रामेश्वरानन्द : इन प्रश्नों के उत्तर दूसरे दे दिया करें । मैं समझता हूं कि इस विषय को बढ़ाया नहीं जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बेहतर, बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : बढ़ाया गया तो अच्छा नहीं होगा ।

†**श्री हेम राज** : पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग द्वारा कितने उपकेन्द्र खोले गये हैं ?

श्री मं०रं० कृष्ण : यह संस्था विश्वविद्यालयों में पर्वतारोहण को प्रोत्साहन दे रही है । इस समय, संस्था विश्वविद्यालयों को पर्वतारोहण क्लब खोलने के हर संभव सहायता दे रही है । मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि इस समय कितने क्लब हैं ।

†**श्री हेडा** : इस संस्था को युरोप तथा अन्य देशों की ऐसी ही संस्थाओं के बराबर आधुनिक ढंग का साज-सामान देने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : अब तक, पर्वतारोहण के लिये अपेक्षित सामान विदेश से मंगवाया जाता था, किन्तु क्योंकि प्रतिरक्षा मंत्रालय भी इस पर्वतारोहण संस्था में दिलचस्पी लेती है, वे देश में ही सामान तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : इस संस्था के पास आधुनिक साज सामान पूरी तरह से है ।

विदेशी पादरियों की गतिविधियां

+
*९५८. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ईसाइयों ने विदेशी पादरियों की गतिविधियों के सबंध में कोई ज्ञापन सरकार को दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस समय की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार उन के संबंध में जांच करने का विचार कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत स्थित गिरजाघरों की रजिस्ट्री और सम्पत्ति विदेशी सरकारों के नाम में है ;

(घ) इस समय कुल मिला कर कितने विदेशी पादरी भारत में हैं ; और

(ङ) क्या इस वर्ष कुछ अन्य पादरियों को भी भारत आने की अनुमति दी गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ). सूचना से सम्बन्धित एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). भारतीय राष्ट्रीय गिरजाघर की ओर से अभिप्रत एक ज्ञापन एक माननीय सज्जन जोअल एस० विलियम से प्राप्त हुआ है । ज्ञापन की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(१) भारतीय ईसाइयों के मामलों को विनियमित करने वाले ब्रिटिश परिनियमों को रद्द किया जाये ;

(२) यह सुनिश्चित करने के लिये एक जांच समिति की नियुक्ति की जाय कि विदेशी स्वामित्व में गिरजाघर भारतीय ईसाइयों के हित के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं ।

जहां तक (१) का सम्बन्ध है, भारतीय गिरजाघर अधिनियम, १९२७ रद्द किया जा चुका है । अन्य विनियमों का वर्तमान प्रसंग से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दीखता और इन को (विनियमों) रद्द करना आवश्यक है या नहीं इस पर आगे विचार किया जायगा ।

(२) के विषय में, इस प्रश्न पर कई बार विचार किया गया है किन्तु ऐसा समझा जाता है कि इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में गिरजाघरों की सम्पत्ति विदेशी या भारतीय धर्मप्रचारक समितियों के हाथों में है ।

(घ) पहली जनवरी, १९६२ को भारत में स्थित पंजीकृत विदेशी धर्मप्रचारकों की संख्या लगभग ४,३७४ थी ।

(ङ) जी हां, जहां उपयुक्त भारतीय उपलब्ध नहीं थे ।

प्रकाशवीर शास्त्री : इस विवरण को देखने से प्रतीत होता है कि पहली जनवरी १९६२ को भारतवर्ष में विदेशी ईसाई प्रचारकों की संख्या करीब ४,३७४ थी । लेकिन प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर में कहा गया है कि जहां उपयुक्त भारतीय प्रचारक उपलब्ध न हों वहां विदेशी प्रचारकों को आने की भारत में अनुमति दी जायगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस वर्ष भी कुछ विदेशी प्रचारकों को आने की अनुमति दी गई है, यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : इस सामान्य नीति का पालन किया जाता है कि जब कभी नये पर्मिट मांगे जाते हैं, वे दिये जाते हैं यदि वे भारत के हित में मांग जाते हैं, अन्यथा वे नहीं दिये जाते ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस विवरण में एक स्थान पर यह भी लिखा हुआ है कि भारतीय गिरजाघरों की सम्पत्ति जो विदेशी सरकारों के नाम रजिस्टर्ड थी, उस संबंध में जो गिरजाघर अधिनियम १९२७ का है, उस को रद्द किया गया है । इस के साथ ही साथ लिखा है कि जो और अनेक विनियम हैं, उन के सम्बन्ध में अभी सरकार विचार कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस के लिये कोई समित नियुक्त की गई है, यदि नहीं, तो कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री दातार** : जब कभी मामला व्यक्तिगत आधार पर उठता है, सरकार प्रश्न पर विचार करती है, जैसा कि मा० सदस्य ने सुझाव दिया है, समिति नियूक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधस्वरूप सदन से निकल जाना चाहता हूं ।

[श्री रामेश्वरानन्द सभा भवन से बाहर चले गये]

श्री मे० क० कुमारन : स्वामी जी सभा में लाठी लाये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पूर्वोपाय करूंगा ताकि लाठियां सभा में न लाई जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में मैं देखता हूं कि १ जनवरी, १९६२ को भारत में रहने वाले पंजीबद्ध विदेशी धर्मप्रचारकों की संख्या ४,३७४ के लगभग थी । नागालैंड में विदेशी धर्मप्रचारक कितने हैं और क्या यह सच है कि कुछ विदेशी धर्मप्रचारक विद्रोही नागाओं की गतिविधियों में शामिल थे और उन्होंने श्री फिजो को भारत से बाहर जाने में सहायता की ?

†**श्री दातार** : मैं ने कुल संख्या ४,३७४ बताई है । संख्या पिछले पांच या छः वर्षों में लगभग ३०० ट गई है । मेरे पास नागालैंड संबंधी पृथक आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि कुछ विदेशी धर्मप्रचारकों का, जिन्हें भारत आने की अनुमति दी गई थी और जो नागालैंड में बस गय थे, नागा विद्रोहियों की गतिविधियों से संबंधित थे और वे श्री फिजो के भारत से भाग जाने के लिये उत्तरदायी थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत दूर का सवाल है ।

श्री दातार : जब कभी शिकायतें मिलती हैं, उन की जांच की जाती है । मैं इस समय यह बताने में असमर्थ हूं कि आया किसी धर्म प्रचारक का नागा विद्रोहियों से सम्बन्ध था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मैं प्रिश्न की अनूमति नहीं देता, माननीय मंत्री खड़े हो कर उत्तर दे देते हैं । यह कठिदाई है ।

†**श्री त्यागी** : माननीय मन्त्री ने कहा है कि उन्हें पता नहीं कि आया किसी धर्मप्रचारक का नागा विद्रोहियों से सम्बन्ध रहा है । यदि गृह-कार्य मन्त्रालय को नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो यह मन्त्रालय क्या कर रहा है ?

†**श्री दातार** : मने बताया है कि जब कभी कोई शिकायतें आती हैं उनकी जांच की जाती है ।

†**श्री त्यागी** मन्त्रालय को इस मामले में स्वयं दिलचस्पी लेनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण से यह बात स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय गिरजाघर की ओर से एक ज्ञापन दिया गया था और मांग की गई थी कि ब्रिटेन की संविधियों का निरसन किया जाए, जो भारतीय गिरजाघरों के मामलों का विनियमन करती हैं। इन संविधियों को हटाने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं ?

†**श्री दातार**: एक अधिनियम का निरसन किया जा चुका है। यह स्पष्ट कर दिया गया है। अतः अग्रेतर निरसन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतवर्ष में जो गिरजाघर हैं अथवा उनके साथ लगी हुई सम्पत्तियां हैं, उनमें कितने स्थान इस प्रकार के हैं कि जिनकी रजिस्ट्री भारत सरकार के नाम है और कितने ऐसे स्थान हैं जिनकी सम्पत्ति की रजिस्ट्री विदेशी सरकारों के नाम हैं ?

†**श्री दातार** : जहां तक उन विधियों का सवाल है जिनसे इन धर्म प्रचारकों का सम्बन्ध होता है, हमने इसी प्रश्न की पिछली संसद् में चर्चा की थी। समूचा मामला साफ कर दिया गया था। स्वयं मा० सदस्य ने आधे घंटे की चर्चा उठाई थी ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह था कि सम्पत्तियों की रजिस्ट्री कितनी भारत सरकार के नाम हैं और कितनी विदेशी सरकारों के नाम हैं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं बिल्कुल ठीक ठीक आंकड़े तो नहीं दे सकता मगर जो विदेशी चर्च हैं उन्होंने भी यह फैसला कर लिया है और भारत सरकार को इस बात की सूचना दे दी है, कि वे उन सम्पत्तियों को, जो अब तक विदेशी चर्चों के साथ थीं, भारत सरकार को या कौंसिलों को दे देंगे, और वह काम हो रहा है। लेकिन बीच में कठिनाई यह थी कि कानूनी हिसाब से उनको बहुत ज्यादा स्टैम्प फी लगानी पड़ती थी जिस में हजारों रुपये खर्च होते थे । इसलिये वहां से उन्होंने लिखा कि इसमें उनको सुविधा दी जाय। हमने प्रदेश सरकारों को इस संबन्ध में आदेश दे दिया है। आन्ध्र प्रदेश में पूरी स्टैम्प फी माफ कर दी गई है। कुछ प्रदेशों ने आधी कर दी है। हम यह सुविधा दे रहे हैं ताकि इसमें ज्यादा देर न लगे और जल्दी से जल्दी बगैर खर्च किये हुए सब सम्पतियां भारत सरकार को ट्रांसफर हो जायें ।

†**श्री त्यागी** : मा० मन्त्री ने विदेशियों द्वारा नागालैण्ड जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में अज्ञानता प्रदर्शित की है। उन्होंने कहा है कि शिकायतें प्राप्त होती हैं तभी जांच की जाती है। क्या गृह-कार्य मन्त्रालय के पास अपना कुछ बल है और वह यह जानने का प्रयत्न करता है कि क्या कुछ हो रहा है। या क्या यह आशा करती है कि नागा लोग इन लोगों की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट देंगे ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : त्यागी जी का कहना सर्वथा सत्य है कि हमें सतर्क और चैतन्य रहना चाहिये। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस मामले में बहुत जागरुक हैं और हम केवल इन नागाओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर ही निर्भर नहीं रहते ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार ने पता लगाया है कि क्या इस समय नागालैण्ड में विदेशी धर्म प्रचारक काम कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे खेद है कि मैं बिल्कुल सही उत्तर नहीं दे सकता, किन्तु कुछ पुराने धर्म प्रचारक हो सकता है वहां अब भी हों। तथापि यह देखना हमारा कर्तव्य है कि वे किसी भी रूप में नागा विद्रोहियों की गतिविधियों में साथ न दें।

गैर सरकारी क्षेत्र में बिजली के भारी सामान का निर्माण

+

†*६५६ { **श्री अ० सिंह० सहगल :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० मा० तिवारी :
श्री प्र० च० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का बिजली का भारी सामान, जैसे बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर बनाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ख) आजकल देश को कहां तक विदेशी निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री** (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) मामला विचाराधीन है।

(ख) भारी बिजली सामान सम्बन्धी देश की अधिकतर जरूरत इस समय आयात के द्वारा पूरी की जाती है। १९६१–६२ में दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक) २६०८ लाख रुपये की लागत का आयात किया गया था।

†**श्री अ० सिंह सहगल** सरकार इस मामले पर विचार करने में अर्थात् उनको सहायता देने में जिन्होंने यह मांगी है, कितना समय लगाएगी ?

†**श्री चि०सुब्रह्मण्यम** : भारी बिजली सामान की मांग को आंकने के लिये एक समिति स्थापित की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही निर्णय कर लिया जाएगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मा० मन्त्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि गैर सरकारी क्षेत्र में ये होंगे। इसे गैर सरकारी क्षेत्र को देने की क्या जरूरत है जब हमारे पास सरकारी क्षेत्र में भारी बिजली सामान के उद्योग हैं और जब हम २ या ३ और ऐसे उद्योग खोल रहे हैं।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यमः** मैं समझता हूं कि हम सरकारी क्षेत्र में भारी बिजली सामान बनाने के लिये तीन संयंत्र कायम कर रहे हैं और आशा है कि वे ९० करोड़ रुपये की उत्पादन क्षमता प्राप्त करेंगे किन्तु पुनर्नुमान पर यह पाया गया है कि फिर भी कमी रहेगी। इसलिये इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या गैर सरकारी क्षेत्र को कमी की मात्रा तक के लिये लाइसेंस दिया जाना चाहिये।

†**श्री दाजी :** क्या वास्तव में यह अनुमान लगा लिया है कि तीसरी योजना में कितनी कमी होगी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी क्षमता को लाइसेंस दिया जाएगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यमः** मैंने यही कहा है। मांग का अनुमान लगाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है। ज्योंही प्रतिवेदन प्राप्त होगा, मैं सूचना दे सकूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा एक ही प्रकार का माल तैयार किया जाएगा, अथवा हम गैर सरकारी क्षेत्र को निर्माण के लिये पृथक् माल दे रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह कमी पर निर्भर करता है और उस कमी का अनुमान समिति द्वारा लगाया जाएगा ।

†**डा० क० ल० राव :** क्या यह सच नहीं है कि अब सरकारी क्षेत्र केवल भारी जेनेरेटर बना रहा है। और ट्रांसफारमर नहीं और यह बेहतर है कि ट्रांसफारमर गैर सरकारी क्षेत्र को दिये जा हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह सुझाव है ।

†**श्री रा० बरुआ :** क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच प्रतियोगिता को हटाने के लिये कोई कार्रवाई की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यदि हम दोनों क्षेत्रों को लाइसेंस देते हैं तो हमें प्रतियोगिता से क्यों डरना चाहिये ?

†**श्री रा० बरुआ :** मूल्यों में प्रतियोगिता ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** सरकारी क्षेत्र में उनकी कुछ उत्पादन रेखायें हैं, और यदि कुछ कमी होगी तो उसका लाइसेंस गैर सरकारी क्षेत्र में दिया जाएगा । यह भी विचारणीय मामला है । इसलिये प्रतियोगिता का कोई सवाल नहीं है ।

पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

*९६०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां देने वाली समिति में संसद्-सदस्यों को शामिल करें ;

(ख) यदि हां, तो निदेश का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य से चुने गए दो या तीन संसद् सदस्यों को उन समितियों में शामिल कर लें जो राज्य में ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये बनाई गई हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कमेटी के कितने मेम्बर हैं और उनमें पार्लियामेंट के मेम्बरों का क्या अनुपात रहेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : ऐसा कोई नियम तो नहीं बनाया गया है, और मैं समझता हूं कि ऐसा नियम बनाना उचित भी नहीं होगा । राज्य सरकारों से दरख्वास्त की गयी है कि पार्लियामेंट के जितने भी मेम्बर, दो या तीन, वह रख सकें उस बोर्ड में रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : यह छात्रवृत्ति देने का काम राज्य सरकारों को इसीलिये ट्रांस्फर किया गया था कि इसमें सुविधा होगी । मिनिस्टर साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट के दो तीन मेम्बरों को इस बोर्ड में रखा जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि जितने स्टेट के मेम्बर हों अगर उतनी तादाद पार्लियामेंट के मेम्बरों की हो तो इसमें क्या ऐतराज है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : पार्लियामेंट के मेम्बरों के काम में हानि होगी, इसलिये दो या तीन को रखा जाएगा ।

†श्रीनारायण दास : क्या इनमें से किसी राज्य ने अपनी समितियों की पुनर्स्थापना की है ? यदि हां तो किन राज्यों में ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है । यदि मा० सदस्य पृथक प्रश्न पूछें तो मैं सूचना प्राप्त कर दूंगा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानने की इच्छा रखता हूं कि "आदिम जाति" में जो "आदिम" शब्द है, इसको लगाने से क्या राष्ट्र में रहने वाली भिन्न भिन्न जातियों में कुछ पारस्परिक भेद तो पैदा नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात दूसरी है ।

श्री ज० ब० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट के मैम्बर उस कमेटी में लिये जायेंगे उनको कौन चुनेगा, और जो चुनाव किया जाएगा क्या उसके लिये कोई ऐसा आदेश है कि इसमें मुखालिफ पार्टी के लोग न चुने जायें, वही लोग चुने जायें जो मौजूदा सरकार के मेम्बर हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : पार्लियामेंट के मेम्बर जब मैंने कहा तो किसी एक विशेष राजनीतिक दल से मेरा मतलब नहीं था । पार्लियामेंट के किसी भी मेम्बर को जिसे राज्य सरकार चाहे नियुक्त कर सकती है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : दो तीन संसत्सदस्यों को इस कमेटी में लिये जाने की अपेक्षा क्या यह अधिक उपयुक्त नहीं होगा कि जिन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, वे जिस क्षेत्र से सम्बन्धित हों, उस क्षेत्र के कुछ संसत्सदस्यों को ले लिया जाये और उनसे परामर्श किया जाये ?

†अध्यक्ष महोदय : यह ब्यौरे का मामला है ?

†श्री च० क० भट्टाचार्य : क्या इस समिति को यह पता करने के लिये कोई हिदायत दी गई है कि क्या इन छात्रवृत्तियों का उचित उपयोग किया जाता है और क्या वे लोग अन्तिम रूप में अपनी परीक्षाओं में जाते हैं जिनको ये छात्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : पिछली बार, जब यह प्रश्न उठाया गया था, मैं ने मा० सदस्यों को सुझाव दिया था कि वे संसद् सत्र के दौरान बैठक कर लें और मैं उस बैठक में बोलूंगा, किन्तु मुझे खेद है कि एक या दो के अतिरिक्त कोई सदस्य नहीं आया। मैं समझता हूं कि मा० सदस्य व्यस्त होंगे । मैं फिर किसी समय जो उनको सुविधाजनक हो मिलने को तैयार हूं यदि उन्हें इस मामले में कोई कठिनाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में इंजीनियरी के विद्यार्थी

†*९६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के इंजीनियरी के विद्यार्थियों को दिल्ली के कालिजों में स्थानों की कमी के कारण प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई होती है और अन्य राज्यों के कालेजों में इस वजह से दाखिला मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे अपने राज्य के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी, नहीं

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या समाचार पत्रों के कतरण रखे जाते हैं जिन में लोगों के कष्ट व्यक्त किये जाते हैं और यदि हां, तो क्या इन में से कोई करतण मा० सदस्य ने देखी है ।

†**श्री हुमायन् कबिर** : बहुत सी समाचार पत्रों की कतरणें हैं जिन में बहुत सी शिकायतें हैं कि मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या माननीय मंत्री को इंजीनियरी कालिज में स्थानों की कमी के बारे में कोई अभ्यावेदन, शिकायत या समाचार प्राप्त नहीं हुआ है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : सामान्य स्थिति, न केवल दिल्ली की अपितु समूचे देश की यह है कि प्रत्येक उपलब्ध स्थान के लिये आठ-दस अभ्यर्थी होते हैं । किन्तु हम ने पिछले चार वर्षों में लगभग १०० प्रतिशत तक स्थान बढ़ाये हैं । दिल्ली, देश के अधिकांश अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दिल्ली में पिछले दो या तीन वर्षों में इंजीनियरी के विद्यार्थियों के लिये स्थानों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है और हम कमी को कहां तक पूरा कर सके हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: माननीय सदस्य कोशायद याद है कि दिल्ली इंजीनियरी तथा औद्योगिकी कालेज पिछले वर्ष से स्थापित किया गया है और उस ने प्रवेश आरम्भ किया है । उस में ही इस क्षेत्र में लगभग १५० स्थान तुरन्त जोड़ दिये गये हैं। मैं केवल एक आंकड़े बताऊंगा । दिल्ली के दो कालिजों में चार भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में और देश के विभिन्न भागों में १० प्रादेशिक कालेजों में दिल्ली के ३१६ विद्यार्थी हैं । जनसंख्या अनुपात के अनुसार, दिल्ली को केवल ९८ का हक होगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : कितने विद्यार्थियों ने दिल्ली के इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश मांगा और कितने लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया ?

†**श्री हुमायन् कबिर** : जैसा मैं ने अभी बताया न केवल दिल्ली, बल्कि हर जगह अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध स्थानों से बहुत अधिक होती है । गत वर्ष १५६०० स्थान उपलब्ध थे ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक और कालेजों की संख्या कम है । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या को और अधिक बढ़ाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायू कबीर** : जब मैं ने बताया था कि पिछले चार वर्षों में हम ने इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश क्षमता को प्रायः दुगना कर दिया है तो शायद मा० सदस्य ने नहीं सुना ।

माध्यमिक शिक्षा का विस्तार

†*९६२. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर्याप्त संसाधनों के कारण माध्यमिक शिक्षा के संख्यात्मक प्रसार और गुणात्मक सुधार में बड़ा अन्तर आ गया है जैसा कि संघ शिक्षा मंत्रालय के सचिव ने १६ अप्रैल, १९६२ को नई दिल्ली में बताया था;

(ख) यदि हां, तो संसाधन किस प्रकार अपर्याप्त हैं; और

(ग) इस दिशा में और अधिक संसाधन उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) माध्यमिक स्कूलों की संख्या में बहुत वृद्धि हो जाने के कारण और नये स्कूल खोलने के भार के कारण तीसरी योजना में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये उपबन्धित ८७.९१ करोड़ रुपये की राशि स्कूलों की बढ़ी हुई संख्या को कायम रखने की आवश्यकता गुण प्रक्रम में सुधार करने के उद्देश्य से बनाये गये कार्यक्रमों की व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकेगी ।

(ग) समय समय पर स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता रहता है ।

†**श्री अ० सिं० सहगल** : सरकार अपने पास उपलब्ध साधनों को पूरा करने में कितना समय लगायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा मैं ने बताया, योजना पर हर वर्ष पुनर्विचार किया जा रहा है और कुछ दिन पूर्व ही हम ने योजना आयोग के साथ बातचीत की थी और हम ने उन को स्थिति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ।

श्री विभूति मिश्र : कहीं कहीं तो ऐसा है कि एक एक और दो दो मील के अन्दर सेकेन्डरी स्कूल हैं और कहीं कहीं पर दस दस मील के अन्दर स्कूल नहीं हैं क्या सरकार सोच रही है कि इन का ईवनली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये ।

डा० का० ला० श्रीमाली : आप का यह सुझाव सही है ।

†**श्री प्र०रं० चक्रवर्ती** : क्या माननीय मंत्री द्वारा यह स्वीकार किया जाना सरकार की मान्य नीति के विरुद्ध नहीं जाता कि सब साधनों के द्वारा शिक्षा का गुण प्रकार संबंधी पहलू कायम रखा जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक नीति का संबंध है, सरकार गुण प्रकार और मात्रा के बीच संतुलन कायम रखने का प्रयत्न करती है । हम विस्तार को नहीं रोक सकते और साथ ही हमारे समाज के हित की दृष्टि से, यह भी आवश्यक है कि उच्च गुण प्रकार भी कायम रखा जाये । इसलिये संतुलन करना पड़ता है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या कोई अनुमान लगाया गया है कि माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में बदलने के काम में कितनी प्रगति की गई है और क्या कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा का० ला० श्रीमाली :** हमारा कार्यक्रम है। मैं अभी माननीय सदस्य को ब्यौरा बताने में असमर्थ हूं ।

१९६६ में होने वाले ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमण्डल खेलकूद

†*९६५. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री गौरी शंकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ का यह प्रस्ताव कि वर्ष १९६६ में ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलकूद नई दिल्ली में हो भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार या भारतीय ओलम्पिक संघ ने कोई वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है और इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) प्रस्थापना विचाराधीन है ।

(ख) से (घ). सवाल पैदा नहीं होते ।

विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवत्ति की आयु

†*९६६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की सेवावधि सेवा निवृत्ति को सामान्य आयु से आगे बढ़ाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो आयु की यह रियायत क्या थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रियायत को कुछ वर्ष और जारी रखने का है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार):** (क) ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिन के अधीन विस्थापित व्यक्तियों को वार्द्धक्यता की साधारण आयु के आगे सेवा विस्तार किये जाने के मामले में किसी विशेष सलूक का हक प्राप्त हो। जैसा अन्य कर्मचारियों के मामले मे होता है उन को सेवा विस्तार किया जा सकता है यदि वह विस्तार सार्वजनिक हित की दृष्टि से युक्तियुक्त हो ।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** सरकार ने जो नीति मानवीय तत्वों के आधार पर अपनाई थी उस से विपक्ष होने के क्या कारण थे ?

†**श्री दातार :** संभवत: माननीय सदस्य विस्थापित सरकारी कर्मचारियों का उल्लेख कर रहे हैं। वे सरकारी सेवा में विस्थापित लोगों से भिन्न हैं। विस्थापित सरकारी कर्मचारी वे हैं जो देश के विभाजन से पहले सेवा में थे और जो अब भारत सरकार की सेवा में हैं। जब वे वार्द्धक्यता प्राप्त करते हैं तो यदि पेन्शन के कागज मुकम्मल नहीं होते तो उन को उन कागजों के पूरा होने तक पुनः नौकरी पर रखा जाता है ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** जो विस्थापित लोग पहले नौकरी में थे उन के यहां आजाने के पश्चात्, क्या उन को वही विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते, जो भारत सरकार ने उदारतापूर्वक दिये हैं ?

†**श्री दातार :** उन्हें वही रियायतें और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों को होते हैं। अब पुनः नौकरी की रियायत विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को कुछ अवधि के लिये दी गई है क्योंकि पेन्शन के लिये उन की पुरानी नौकरी को मानना होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह मा० मंत्री के उत्तर से स्पष्ट है कि किसी विस्थापित व्यक्ति या किसी व्यक्ति को सेवा निवृत्ति के पश्चात् या तो सेवा का विस्तार प्राप्त होगा या पुनः नौकरी जब तक कि उस के पेन्शन के कागज पूरे न हो जायें। मुझे पता नहीं कि क्या सब विभागों में ऐसा ही होता है।

†**श्री दातार** : इस विषय में आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं।

सोने का तस्कर व्यापार

†***९६७. श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता के एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित हाल के इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर पकड़े गये एक इटालियन तस्कर व्यापारी ने निवारक अधिकारी से कहा था कि भारत सोने के तस्कर व्यापारियों के लिये स्वर्ग बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या धन लगाने वाले उन भारतीयों का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया गया है जो सोने के इन तस्कर व्यापारियों की सहायता करते हैं: और

(ग) वर्ष १९६१ में तस्कर व्यापार में पकड़े गये सोने और किये गये जुर्माने से सरकार को कितनी आय हुई ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हां।

(ख) सरकार और सीमा शुल्क प्राधिकारियों का हमेशा यह प्रयत्न रहता है कि तस्कर व्यापार करने वाले तथा इस धन्धे के लिये धन देने वाले सभी लोगों को दण्ड दिया जाये।

(ग) १९६१ में २.८ करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया था। क्योंकि अभी ऐसे बहुतेरे मामलों का न्यायनिर्णयन होना शेष है, जब्त करने, जुर्माने करने, दंड देने आदि के द्वारा इस सोने से सरकार को वास्तव में अन्ततोगत्वा मिलने वाली राशि का इस समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या इस तस्कर व्यापार के कारण सरकार को होने वाली हानि का अनुमान लगाया गया है ? कितने मामले पकड़े गये और कितने नहीं पकड़े गये ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यदि हमें यह पता हो तो हम इस को रोकेंगे। यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि कितने सोने का तस्कर व्यापार सफलतापूर्वक किया गया। मैं केवल अनुमान दे सकता हूं। १९६१ में हमने २.८ करोड़ रुपये की लागत का सोना पकड़ा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास से सोना पकड़ा गया उन पर कोई फाइन भी किया गया या नहीं, और अगर किया गया तो उस से कितनी रकम गवर्नमेंट ने वसूल की ?

श्री ब० रा० भगत : फाइन की पूरी तफसील देना तो अभी मुश्किल होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री का ध्यान इस खेबर की ओर दिलाया गया है कि पिछले दस वर्षों में भारत में १०० करोड़ रुपये से अधिक लागत के सोने का तस्कर व्यापार हुआ है और आज प्रतिवर्ष ३० करोड़ रुपये का सोना चोरी छिपे भारत लाया जाता है, जिसमें से सरकारी तंत्र केवल १० प्रतिशत को पकड़ने में सफल हुआ है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह कहना कठिन है कि हमें कितने प्रतिशत पकड़ सके हैं । जब तक यह पता न लगे कि कितना तस्कर व्यापार हुआ है हम प्रतिशत का हिसाब कैसे लगा सकते हैं ? हम पकड़ने के तंत्र को मुकम्मल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम अधिकाधिक साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं और अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं । मैं नहीं समझता कि अब ३० करोड़ के सोने का तस्कर व्यापार होता होगा ।

श्री बागड़ी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पंजाब में जो सोने की स्मगलिंग हो रही है उस में वहां के कुछ बड़े आदमियों का हाथ है और क्या उन की रोक थाम के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही नहीं है कि कोरियाई युद्ध की तेजी के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर सोने का बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार हुआ है जिसका पता लगाने के लिये आस्टरिया स्थित भारतीय राजदूत श्री अजित मित्र को नियुक्त किया गया था और जिसे वीना में विष देकर मार दिया गया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस में कितनी ही बातें अन्तर्ग्रस्त हैं । मैं नहीं जानता कि क्या कहूं । मझे किसी के नियुक्त किये जाने का पता नहीं । इस का कोरिया की तेजी से कोई संबंध नहीं । इस देश में सोने की मांग होने के कारण सोने का तस्कर व्यापार होता है । इस के अलावा, इस देश में सोने का उत्पादन बहुत ही कम है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरी बात को गलत समझा गया है । मेरा निवेदन यह है कि इस देश में कितना सोना चोरी छिपे लाया गया । इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोरियाई युद्ध की तेजी के पश्चात सोने के तस्कर व्यापार का बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह था, जिसका पता लगाने के लिये भारतीय राजदूत श्री अजित मित्र को यूरोप भेजा गया जिसे वीना में विष देकर मार दिया गया था ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : राजदूत को विष दिये जाने की इस कथा का इस के साथ कोई संबंध नहीं है । वीना में किसी राजदूत को विष नहीं दी गई ।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह बात सच है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में सब से अधिक सोने का तस्कर व्यापार होता है ? क्या वित्त मंत्री ने यह पता करने का प्रयत्न किया है कि इस के आर्थिक कारण क्या है ? क्या इस को समाप्त करने के लिये उनकी कोई योजना है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस देश में सोने का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से दुगना है । इसी कारण सोना भारत की ओर खिंचता है । इसे रोकने का केवल मात्र यह उपाय हो सकता है कि हम स्वयं सोने का आयात करें और इसे बाजार में बेचें । इतना ही किया जा सकता है । किन्तु इससे विदेशी मुद्रा बड़ी खर्च करनी पड़ेगी । यह कभी समाप्त न होने वाला काम है । हम इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये अन्य उपाय ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं । एक कारण यह था कि फारस की खाड़ी में भारतीय मुद्रा चलती थी । इसके हटा लिये जाने से यह कुछ मात्रा में रुक गई है । हमें तस्कर व्यापार

---

†मल अंग्रेजी में

के अन्य कारण ढूंढ़ने होंगे और इसे रोकने का प्रयत्न करना होगा। इस लाइन में कुछ सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** प्रसिद्ध विदेशी समाचारपत्रों में जो खबरें छपी हैं उन की दृष्टि से, जिन का भारतीय समाचारपत्रों में भी उल्लेख किया गया हैं, कि राजदूत की मृत्यु का, जिसका श्री बरुआ ने उल्लेख किया है, बड़े पैमाने पर होने वाले सोने के तस्कर व्यापार संबंधी कुछ कृत्यों का पता लगाने से संबंध था और इस मामले में भारत में कुछ बहुत ऊंचे पदों वाले लोगों का संबंध होने के कारण जांच कार्य में रुकावट पड़ रही है, ऐसे समाचारों की दृष्टि से : या सरकार यह आश्वासन देगी कि मित्रा के मामले में सब बातें न्यूनाधिक रूप में स्पष्ट हैं और खुली हैं और सरकार सब आवश्यक कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** ये सब निष्कर्ष और आरोप निराधार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का उल्लेख किया गया था। क्या माननीय मंत्री को कोई सूचना है कि क्या उस राजदूत को वास्तव में ही विष दिया गया था और क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है क्या कोई जांच चल रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** यह सच है कि उस राजदूत ने हमें, हमारा राजदूत होने से पूर्व, सूचना दी थी। उसे इस काम के लिये नियुक्त नहीं किया गया था, वह वहां था, वह समय समय पर हमें मूल्यवान सूचना देता रहता था। किन्तु जहां तक मैं जानता हूं—मैंने कुछ लोगों से पूछा जो वीना से आए—यह आत्महत्या का मामला था, विष देने का नहीं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान अंग्रेज़ी पत्रिका दी टौपिक के लेख की ओर आकर्षित कर सकता हूं जिसमें कहा गया ह कि आस्ट्रिया के गुप्तचर विभाग और कानूनी सामग्री ने निर्णायक तौर पर सिद्ध कर दिया है कि उसे विष देकर मारा गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उनके इस निर्णायक फैसले का कि उसे विष देकर मारा गया, हमारी सरकार द्वारा किये गये निष्कर्षों की अपेक्षा हमारे ऊपर अधिक प्रभाव होना चाहिये ? सरकार केवल सूचना दे सकती है जो उन के पास हो। मतभेद भी तो हो सकता है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या उन्होंने उससे पूछा था या अपनी जांच की है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सरकार के पास जो सूचना थी वह हमें अभी दे दी गई है कि यह आत्महत्या का मामला था, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विष देने का नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सरकार का अपना मत है या यह निष्कर्ष किसी जांच पर आधारित है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्न है कि क्या जांच की गई थी और जो सूचना दी गई है उस का आधार किसी विश्वसनीय सूत्र से की गई कुछ जांच है या केवल एक मत है।

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** जांच की गई थी और यह सिद्ध हुआ कि उसने डयूमीनोल की मात्रा अधिक ले ली थी।

†**श्री हेम बरुआ :** इस से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कामत।

---

†मूल अंग्रेजी में

छावनियों का प्रशासन

†*१६८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्रों के प्रशासन और छावनी बोर्डों का गठन पूर्णतया लोकतंत्रात्मक बना दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया किस प्रक्रम तक पहुंच गई है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चावन) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) (१) सभी वर्ग १ और वर्ग २ छावनी बोर्डों की रचना में सरकारी और निर्वाचित सदस्यों की समानता लागू की गयी है ।

(२) असैनिक क्षेत्र सोमति की, जिसमें निर्वाचित उपाध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन सभी निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, शक्तियां और बढ़ा दी गयी हैं ।

(३) निर्धारण समिति में बहुमत निर्वाचित सदस्यों का है ।

(४) अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष, जो एक निर्वाचित सदस्य होता है, बोर्ड की बैठकों में सभापति पद ग्रहण करता है

†**श्री हरिविष्णु कामत :** पहली संसद् में सिवत्रा समिति ने जिसकी जगह बाद में रामध्यानी समिति ने ली, इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की थीं और क्या सरकार ने इन सिफारिशों को पूरी तरह मंजूर कर लिया है या नामंजूर किया है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया) :** मेरे मित्र ने पहली संसद् के बाद विभिन्न समितियों की विभिन्न सिफारिशों का निर्देश किया है । मैं उसके लिए सूचना चाहता हूं । लेकिन मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्थूल रूप से हम ने समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखा है । मैं स्थूल रूप से बता रहा हूं, विस्तार से नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर अभी तैयार नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्कूलों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम

†*१५४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पौष्टिक आहार सलाहकार समिति ने यह सिफारिश की है कि दोपहर के भोजन का कार्यक्रम सभी स्कूलों में लागू किया जाये;

(ख) कौन कौन से राज्य यह कार्यक्रम पहले से चला रहे हैं;

(ग) १९६२ में संभवतः किन किन राज्यों में वह लागू किया जायेगा;

(घ) सभी स्कूलों के बच्चों के लिये इस कार्यक्रम को लागू करने पर कितना खर्च पड़ने का अनुमान है; और

(ङ) क्या सरकार इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित करने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १]**

खनिजों पर रायल्टी

†*६५५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के द्वारा खानों से निकाले गये खनिजों पर ली जाने वाली रायल्टी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच मतभेद दूर हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस फैसले की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा काम में लाये गये खनिजों पर अधिकार शुल्क (रायल्टी) की मध्य प्रदेश सरकार को अदायगी के सवाल पर अभी विचार हो रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, जम्मू

†*६५६. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों के परिणामस्वरूप एक नये प्रकार का पुदीना[1] (मेन्था अरवेन्सिस)[2] तैयार किया गया है;

(ख) याद हां, तो इस नये किस्म के पुदीने (मिन्ट) से कितना सत्त निकलता है; और

(ग) क्या इस किस्म से हमारी आयात नीति पर कुछ असर पड़ेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) जी हां, प्रयोगशाला में प्रयोग के तौर पर।

(ख) नमी विहीन (मॉयस्चर फ्री) आधार पर, पत्तियों से तेल का अंश ५ प्रतिशत से अधिक है।

(ग) उसका हमारी आयात नीति पर सीधा असर पड़ सके इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग करने होंगे और अधिक जमीन में उस पौधे की खेती करनी होगी।

आयकर से मुक्ति

†*६५७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक कार्यालयों में कर्मचारियों को दिये जाने वाले उपदान पर अब आगे आयकर नहीं लिया जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Mint.

[2]Mentha Arensis.

†**वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां, आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा १०(१०) में निर्धारित कुछ सीमाओं के अधीन ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'इण्डिया इन्टरनेशनल हाउस एण्ड इंस्टीट्यूट' मद्रास

†*९६३. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास नगर में 'आईलैण्ड ग्राउन्ड' में कुछ भूमि 'इण्डिया इंटरनेशनल हाउस एण्ड इंस्टीट्युट' को दे दी गई है;

(ख) संस्था को कितने एकड़ भूमि दी गई है; और

(ग) भूमि किस कार्य के लिए दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) 'इण्डिया इन्टरनेशनल हाउस एण्ड इंस्टीट्यूट', मद्रास को पट्टे पर दी गयी जमीन वास्तव में 'आइलैण्ड ग्राउन्ड' के उत्तर-पश्चिम में है ।

(ख) २१ एकड़ ।

(ग) स्टेडियम, मीटिंग हॉल, विदेशी छात्रों के लिए रहने की जगह तथा इंस्टीट्यूट के सामान्य काम सहित, इंस्टीट्यूट के प्रयोजनों के लिए यह जमीन पट्टे पर दी गयी है ।

तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर

†*९६४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीकानेर (राजस्थान) में तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाने की योजना में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इससे प्रभावित गांवों को पुन: बसाने की योजना का क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) इस समय ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) माननीय सदस्य का संकेत शायद उस क्षेत्र की ओर है जिसे तोपखाना प्रशिक्षण के लिए ग्रहण किया जा रहा है । ऐसे मामलों में विस्थापित व्यक्तियों के पुनरावास का काम संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

पेंशनरों को महंगाई भत्ता

†*९६९. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री लहरी सिंह :
श्री याज्ञिक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेंशनरों की इस मांग पर विचार किया है कि बढ़ते हुए निर्वाह-व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निश्चय किया है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की राशि अभी निर्धारित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो निश्चय कब किया जायेगा ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) से (घ) तक यों तो पेंशनरों को कोई मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता । लेकिन बढ़ते हुए निर्वाह-व्यय को पूरा करने के लिए १०० रुपये तक की पेंशन पर अस्थायी वृद्धि दी जाती है बशर्ते कि वह कुल ११२ रुपये ५० नये पैसे से अधिक न हो । यह वृद्धि उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो १५ जुलाई, १९५२ से अर्थात् गाडगील समिति की सिफारिशें मंजूर करने की तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए हों । वर्तमान सीमा बढ़ायी जानी चाहिये अथवा नहीं इस प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां

†*९७०. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि नौ सेना में एक विमान-वाहक जहाज तो है लेकिन पनडुब्बियां अभी तक नहीं हैं; और

(ख) उन्हें कब शामिल करने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) और (ख). प्रतिरक्षा साजसामान के ब्यौरे बताना लोक हित में उचित नहीं है ।

जोरहात में प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था

†*९७१. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोरहाट में प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था संस्थापित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पूर्णांग संस्था के रूप में इसके द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की आशा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने का काम शूरू हो गया है और ४ मुख्य प्रयोगशाला खंडों के निर्माण के ठेके दिये जा चुके हैं । अत्यावश्यक कर्मचारी नियुक्त किये जा चुके हैं और दूसरी प्रयोगशालाओं में कुछ वैज्ञानिक कर्मचारियों को रखा जा चुका है ।

(ख) आसाम और उसके समीपवर्ती प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधनों के विकास से सम्बद्ध अनुसन्धान समस्याओं का काम आरम्भ किया जा चुका है और इमारतें तथा साजसामान उपलब्ध होने पर उसे और बढ़ाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में पाक-अधिकृत क्षेत्र

†*९७२. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल में ही आसाम में कछार जिले के 'छार' क्षेत्र में कुछ भारतीय प्रदेश पर कब्जा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है और इस अवैध कब्जे के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोजिकोड जिले में रहने वाले पाकिस्तानी

†*९७३. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोजिकोड जिले में रहने वाले कथित १७७ पाकिस्तानी नागरिकों को वहां से चले जाने के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन के ठौर-ठिकाने के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)**: (क) जी, नहीं । केवल पांच पाकिस्तानियों को चले जाने की नोटिस दी गई है ।

(ख) और (ग). जो १७७ पाकिस्तानी कोजिकोड जिले में आये थे, उनमें से २२ भारत छोड़ चुके हैं और १५ के खिलाफ जिन में वे पांच भी शामिल हैं जिन्हें चले जाने की नोटिस दी जा चुकी है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । बाकी १४० व्यक्तियों के चले जाने के सम्बन्ध में अभी उन चौकियों से जहां से कि वे भारत छोड़ कर गये हैं, पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है ।

गोदावरी बेसिन में तेल

†*९७४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गोदावरी बेसिन में तेल के लिये छिद्रण कब आरम्भ करेगा ;

(ख) क्या किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि इस क्षेत्र में तेल के निक्षेप हैं ; और

---

†तूल अंग्रेजी में

(ग) इस क्षेत्र में वर्ष १९६२-६३ में कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) गोदावरी बेसिन में छिद्रण कार्य शुरु करने की कोई योजना अभी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सामने नहीं है ।

(ख) अभी तक जो भूगर्भीय तथा भूभौतिकीय-सर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं उन से कोई आशाजनक परिणामों का संकेत नहीं मिला है ।

(ग) अभी फिलहाल कोई निश्चित अनुमान नहीं बताया जा सकता ।

आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*९७५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में तेल का पता लगाने के लिये, राज्य में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जीं, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सनिकों को पुनः रोजगार देना

†*९७६. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देने के बारे में नियमों और विनियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) जब उन्हें पुनः नौकरी दी जायेगी, तो उनका वेतन किस आधार पर निर्धारित किया जायेगा ; और

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग) तक एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २]** ।

नूनमती तेल शोधक कारखाना

†*९७७. **श्री बसुमतारी :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती तेल शोधक कारखाने के 'प्रोसेसिंग' एककों में गंभीर प्रविधिक और यांत्रिक दोषों के फलस्वरूप उत्पादन रुक जाने से अप्रैल, १९६२ के अन्त में कारखाने को संकट का सामना करना पड़ गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या नूनमती में भंडार क्षमता कम होने के कारण पाइप लाइन के जरिये नहर कटिया से कच्चे तेल का भेजा जाना भी रुक गया था ; और

(ग) उत्पादन पुन: चालू करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) कोई संकट नहीं था लेकिन पिछले पांच हफ्तों में किरोसीन शोधक और कोक बनाने के कारखाने चालू करने में कुछ कठिनाई हुई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कोक बनाने के कारखाने १०-५-१९६२ से चालू हैं और अनुमान है कि किरोसीन शोधक कारखाने २६-५-१९६२ से चालू हो जायेंगे ।

तेल प्रविधिज्ञ

†*९७८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के लिये तीन प्रविधिक संस्थायें स्थापित करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कहां पर स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने नये प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का अभी हाल में निश्चय किया है ।

(ख) एक बरेली में और दूसरा शिवसागर में

(ग) ये केन्द्र यथाशीघ्र स्थापित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

स्टेनलैस स्टील

†*९७९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिये कोई विशेष योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) और (ख). मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में मिश्रधातु तथा विशेष इस्पात का एक कारखाना स्थापित कर रहा है । यह अन्य चीजों के साथ साथ १७,००० टन स्टेनलेस और गर्मी बर्दाश्त करने वाला (हीट रेजिस्टिंग).

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात तैयार करने के लिए बनाया गया है । मेसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को विशेष इस्पात तैयार करने के लिये जिस में २०,००० टन स्टेनलैस स्टील भी शामिल है, लाइसेंस दिया जा चुका है । और आगे लाइसेंस देने के मामले पर विचार हो रहा है ।

रामागंडम में तापीय सन्यन्त्र

†*९८०. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के प्रबन्धकों ने, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष ५६ लाख टन का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये रामागंडम में एक तापीय संयंत्र लगाने के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या फैसला किया है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी ने बिजली सम्बन्धी अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये पैकेज पावर सेट्स आयात करने की एक योजना प्रस्तुत की है । इस योजना की छानबीन अभी हो रही है ।

कढ़ाई किये हुये ऊनी कपड़े पर उत्पादन शुल्क

†*९८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काश्मीर वाणिज्य मंडल के प्रधान ने इस बात के स्पष्टीकरण के लिये एक ज्ञापन भेजा है कि क्या कढ़ाई किये हुए ऊनी कपड़े को 'प्रोसेसिंग' पर उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : जी, हां । कश्मीर वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और इस आशय का एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि कढ़ाई किये हुए ऊनी कपड़ों पर, जो अन्यथा बिजली द्वारा परिष्कृत नहीं किये जाते, उत्पादन शुल्क से छूट मिलेगी । आगे यह भी बताया गया है कि ऐसे कपड़े और अधिक प्रासेसिंग पर, यद्यपि उस में बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उत्पादन शुल्क नहीं लिया जायगा ।

हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

*९८२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री उमानाथ :
श्री जेधे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६१ में दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा में करने का निश्चय किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस का भविष्य का क्या कार्यक्रम है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३ अनुबन्ध संख्या ३]** ।

(ख) और (ग). विषय विचाराधीन है ।

एक नये पैसे के सिके

†*१८३. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक नये पैसे के सिक्कों का प्रयोग बन्द करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस के लिये कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

†वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, नहीं। सरकार ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है कि एक नये पैसे का सिक्का चलन से वापस ले लिया जाये ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सामान्य शिक्षा की निरर्थकता[1]

†*१८४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य शिक्षा की निरर्थकता के विस्तार का अनुमान लगाने के हेतु अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने के बारे में कोई प्रस्थापना सरकार के सामने है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् से प्रार्थना की है कि वे शिक्षा की निरर्थकता[1] और गतिहीनता[2] के राष्ट्रीय सर्वेक्षण का कार्य आरम्भ कर दे । इस सम्बन्ध में विस्तृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं और उनके तैयार होते ही सर्वेक्षण आरम्भ हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wastage

[2]Stagnation

कोयले का उत्पादन

†*९८५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में इन क्षेत्रों से कुल कितने उत्पादन की अपेक्षा की जाती है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तीसरी योजना में, दूरस्थ कोयला क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयत्न, जिनमें वर्तमान खानों का विस्तार और नयी खानों का चालू करना शामिल है, किये जा रहे हैं ।

(ख) तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में दूरस्थ कोयला क्षेत्रों से कुल ३१० से ३२० लाख टन कोयले के उत्पादन की योजना बनायी जा रही है ।

दिल्ली में सेंध लगाने की घटनाएं

†*९८६. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री श्री नारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ६ मई, १९६२ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' साप्ताहिक में "पुलिस इनएक्शन मेक्स देहली रैरेडाइस फॉर बर्गलर्स" (पुलिस की लापरवाही ने दिल्ली को सेंधमारों के लिये स्वर्ग बना दिया है) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में चोरी और सेंधमारी के अपराधी पकड़े नहीं जाते ;

(ख) पुलिस ने वर्ष १९६१ में ऐसे कितने मामले दर्ज किये थे और (१) कितने पकड़े गये, (२) कितने पकड़े नहीं गये, तथा (३) कितनों की जांच जारी है ;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक ; और

(घ) हालात को सुधारने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या	पकड़े गये मामलों की संख्या	*उन मामलों की संख्या, जो पकड़े नहीं गये	उन मामलों की संख्या जिनकी जांच-पड़ताल हो रही है
१९६०	६५४२	१२५३	५२८९	कोई नहीं
१९६१	६९८०	१११४	४७८२	१०८४

†मूल अंग्रेजी में

*इन मामलों के सम्बन्ध में यदि कोई आधार मिले तो उनकी जांच-पड़ताल फिर शुरू की जायगी ।

(ग) बुरे व्यक्तियों पर निगरानी और गश्त के रूप में पुलिस की निरन्तर सतर्कता के अलावा, इन अपराधों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का भी अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। कारों और टायरों की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए अलग से विशेष टोलियां रखी गयी हैं।

केरल और मैसूर राज्यों के बीच सीमा-विवाद

†*९८७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री पोट्टेकोट्टु :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोड क्षेत्र के बारे में केरल और मैसूर राज्यों के बीच कोई सीमा-विवाद है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कार्यवाही करने का यहै जिससें वह विवाद मैत्रीपूर्ण ढंग से स्हल हो जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) मैसूर सरकार ने सुझाव दिया है कि कासरगोड तालुक केरल से मैसूर राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाये।

(ख) राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के पैरा ३०६ में उल्लिखित, आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह तालुक केरल राज्य को हस्तांतरित किया गया था। भारत सरकार की सामान्य नीति यह रही कि पुनर्गठन योजना के अधीन निर्धारित क्षेत्रों का पुनस्समायोजन सम्बन्धित दलों की सहमति के आधार पर किया जाये।

नागालैंड में भारतीय विमान दल के डकोटा विमान दुर्घटना की जांच

†*९८८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में भारतीय विमान बल के डाकोटा विमान की हाल में हुई दुर्घटना की जांच करने वाले जांच न्यायालय ने अपना काम खत्म कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष तथा उपपत्तियां क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रद्दी लोहा

†*९८९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रद्दी लोहे (स्क्रैप) की अधिक मात्रा का उपयोग करने की ओर देश में उसका ढला लोहा बनाने की नथा रदी लोह के स्थान पर ढला लोहा निर्यात करने की कोई योजना है ;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) से (ग) उन श्रेणियों के रद्दी लोहे के, जिनका देश में इस्तेमाल किया जा सकता है, निर्यात के लिए अनुमति नहीं दी जाती। ४६,६४० टन की वर्तमान वार्षिक क्षमता के अलावा, रद्दी लोहे के इस्तेमाल से सालाना १,५९,७१० टन कास्टिंग्ज तैयार करने के लिए उद्योग अधिनियम के अधीन ४५ फर्मों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं और उन्हें स्वीकार किया गया है।

लिग्नाइट

†*९९०. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री वारियर :
श्री वसुदेवन् नायर
श्री मे० क० कुमारन :
श्री धर्मलिंगम :
श्री सेझियान :
श्री मुत्तु गौंडर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के लिग्नाइट की उपयोगिता की प्रविधिक संभावनाओं का पता लगाने की दृष्टि से लिग्नाइट की बड़ी मात्रा जांच के लिये विदेशों को भेजी गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि हाँ, तो रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) जी हां। कोक तैयार करने के लिए २००० टन नैवेली लिग्नाइट जर्मन लोकतंत्र गणराज्य को भेजा जा चुका है। यह कोक लोहा बनाने के लिए उसके इस्तेमाल की संभावना सिद्ध करने के लिए पिघलाने के परीक्षणों के लिए काम में लाया जा सकेगा। लोहा बनाने के लिए बिजली से पिघलाने की प्रणालियां लागु करने पर परीक्षण करने के लिए २० टन कार्बनिक लिग्नाइट भी नार्वे भेजा जा रहा है।

(ख) और (ग). जी हां। कच्चा लोहा तैयार करने की परियोजना के सम्बन्ध में जर्मन लोकतंत्र गणराज्य में प्रयोगशाला नैवेली लिग्नाइट से ईंटें तथा कोक बनाने के परीक्षणों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। ईंटें और कोक बनाने के परीक्षणों से पहले के संकेत की पुष्टि हो जाती है कि लिग्नाइट कोक लो शैफ्ट या बिजली की भट्टियों में लोहा तैयार करने के लिए उपयुक्त होगा। अभी और परीक्षण हो रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

किरिबुरू लौह अयस्क परियोजना

†*९९१. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करमपाड़े से किरिबरू लौह अयस्क परियोजना तक की रेलवे लाइन का पूंजीगत तथा संधारण व्यय वहन करने के लिये रेलवे बोर्ड की प्रस्थापन पर सरकार द्वारा निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय लेने कितना समय लगेगा; और

(ग) रेलवे लाइन का निर्माण कब आरम्भ होगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) से (ग). करमपाडे से किरिबुरु खान में माल लादने के स्थान तक रेलवे लाइन बनाने का काम जारी है। आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। अनुमान है कि वह १९६३ के मध्य तक यातायात के लिए तैयार हो जायगी। किरिबुरु से जापान को लौह अयस्क का निर्यात १९६४ के आरम्भ से शुरू होगा।

रेलवे बोर्ड सम्पूर्ण पूंजी और साधारण खर्च उठायेगा। उसने अतिरिक्त भाड़े का प्रस्ताव किया है और उस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

गोड़ी कोयला खान में आग

†*९९२. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष गोडी कोयला खान में लगी आग की जांच के लिये बनाई गई जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आग के कारणों के बारे में इसकी मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) कोयला खान की दशा में सुधार करने के लिये समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) जांच समिति की राय में आग का कारण समवतः तोड़ फोड़ या बिजली सम्बन्धी कोई खराबी थी लेकिन समिति इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं ढूंढ़ सकी कि इन दो कारणों में से वास्तव में किस कारण से आग लगी।

(ग) कोई नहीं ।

भारत-चीन सीमा विवाद

†१७८०. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से भारत-चीन सीमा पर भारतीय सशस्त्र सेना के कितने कर्मचारी मर गये ;

(ख) १९५८ से भारत-चीन सीमा पर चीनी सशस्त्र सेना के कितने कर्मचारी मर गये ; और

(ग) उन भारतीय और चीनी कर्मचारियों की, जिन्हें चोट पहुंची है अलग अलग संख्या कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १९५८ से भारत-चीन सीमा पर भारतीय हताहतों का ब्योरा इस प्रकार है :—

(१) भारतीय सशस्त्र सेना

३ व्यक्ति दुर्घटना में मर गये

३ न्यूमोनिया के कारण मर गये ।

(२) भारतीय सीमावर्ती सेना और आसाम राइफल्स

चीनियों के साथ सीमावर्ती मुठभड़ में १२ आदमी मर गये और १ गायब है जो मारा गया समझा जाता है ।

(ख) चीनी हताहतों की, यदि कोई हों तो, संख्या के बारे में हमें जानकारी नहीं है ।

(ग) भारतीय कर्मचारी ।

सशस्त्र सेना	कोई नहीं
पुलिस और भारत-तिब्बत सीमा सेना	४

चीनी कर्मचारी

हमें जानकारी नहीं है ।

बीकानेर जिले में पवन चक्कियां

†**१७८१. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि राजस्थान में वायु की गति के सर्वेक्षण से सिद्ध हुआ है, वर्तमान क्षमता को देखते हुए बीकानेर जिले (राजस्थान) के रेगिस्तानी क्षेत्र में पवन चक्कियां बैठाने की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) अभी फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

होस्टलों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

†**१७८२. श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के बड़े बड़े शहरों में होस्टल की इमारतें बनाने के लिए किन-किन स्वयं सेवी संगठनों को १९६०–६१ और १९६१–६२ में अनुदान दिये गये थे ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) किसी को नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

मैसूर और कर्नाटक विश्वविद्यालयों को ऋण

†**१७८३. श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५७–५८ से ३१ मार्च, १९६२ तक मैसूर और कर्नाटक विश्वविद्यालयों को कोई ऋण मंजूर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम मंजूर की गयी थी और वह किस काम में लायी गयीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जो नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर राज्य में ग्रामीण संस्थाओं को अनुदान

†**१७८४. श्री सिद्दय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में १९६०–६१ और १९६१–६२ के वर्षों में किन किन ग्रामीण संस्थाओं को अनुदान दिये गये ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी रकम मंजूर की गयी थी ; और

(ग) वह रकम किस काम में लायी गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). धारवाड़ जिले में ग्रामीण संस्था, हनुमानमत्ती, जो मैसूर में एकमात्र संस्था है, १९६१–६२ में चालू की गयी थी और उसे स्वीकृत अनावर्तक तथा आवर्तक खर्च पूरा करने के लिए उस वर्ष १,६०,००० रुपये का अनुदान दिया गया था ।

मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रा

†**१७८५. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में राज्य में तथा राज्य के बाहर विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रा की व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितना धन दिया गया ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने स्वयं को आवंटित किये गये धन का पूर्ण प्रयोग किया; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में इसी कार्य के लिए राज्य सरकार को कितना धन देने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वर्ष १९६१–६२ में राज्य सरकार को कोई राशि नहीं ी गई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वर्ष १९६२–६३ का आवंटन विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

†१७८६. **श्री उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महालेखापाल, उड़ीसा (केन्द्रीय सरकार) के कार्यालय के चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के दो वर्ष से अधिक सेवा के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जन्हें व्यक्तिगत रहने की जगह नहीं मिली है ; और

(ख) उन्हें उचित जगह देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भवनेश्वर में महालेखा पाल, उड़ीसा के कार्यालय संबंधी जानकारी निम्न है :

श्रेणी ३ . . .	९५
श्रेणी ४	३८

(ख) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अधिक क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

वस्तुओं का तस्कर व्यापार

†१७८७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने २७ अप्रैल, १९६२ को तुलीहाल और डमडम हवाई अड्डों पर मनीपुर में इम्फाल के गवर्नमेंट डी० एम० कालेज के मुख्याध्यापक और उनकी पुत्री की तलाशी ली और बर्मा से छिपा कर लाई गई वस्तुयें पकड़ी गईं ;

(ख) यदि हां, तो वे कितने मूल्य की वस्तुयें ले जा रहे थे ; और

(ग) क्या मनीपुर प्रशासन ने उक्त मुख्याध्यापक के विरुद्ध उनकी अवैध और अनूचित कार्यवाही के लिए कोई विभागीय कार्यवाही की गई है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह सच है कि २७ अप्रैल, १९६२ को केन्द्रीय उत्पादन-कर के कलक्ट्रेट शिलांग के अधिकारियों ने इम्फाल के डी० एम० कालेज के मुख्याध्यापक श्री एस० एन० कौल और उनकी पुत्री श्रीमती एस० एन० घर की तुलीहार हवाई अड्डे पर तलाशी ली थी और कुछ वस्तुयें पकड़ी जिनके बारे में सन्देह था कि वे बर्मा से अवैध रूप से लाई गई हैं । डमडम हवाई अड्डे पर तलाशी नहीं हुई थी ।

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य ३३३ रू० था ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये मकान

१७८८. **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बाढ़ क्षेत्रों में १९६१–६२ में अनुसूचित जातियों के लिये कितने मकान बनाने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये मकान कहां-कहां बनाये जायेंगे ; और

(ग) इन मकानों में कितने परिवार बसाये जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है । जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी, एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

आन्ध्र प्रदेश में पुस्तकालयों को सहायता

†१७८९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न पुस्तकालयों (यदि हो सकें तो उनके नाम दिये जायें) को कुल कितनी सहायता दी गई ;

(ख) क्या इनमें से किसी को पुस्तकों का उपदान भी दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) राज्य में पुस्तकालयों को सीधे कोई सहायता नहीं दी गई । फिर भी, राज्य की योजना में पुस्तकालयों के विकास की योजनायें शामिल हैं । इन योजनाओं पर केन्द्रीय अनुदान नहीं बताया जा सकता क्योंकि केन्द्रीय सहायता योजनावार आवंटित नहीं होती ।

(ख) और (ग). २८ हिन्दी पुस्तकों में से प्रत्येक की २५० प्रतियां हिन्दी पुस्तकों के मुफ्त उपहारों का दिया जाना योजनाओं के अधीन स्कूल पुस्तकालयों में वितरण के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को दी गई थीं ।

नागार्जुन सागर परियोजना स्थल पर स्मारक

†१७९०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनसागर परियोजना स्थल पर पाये गये सारे स्मारक भली प्रकार रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ;

(ग) क्या राजघाट पर नये संग्रहालय में रखे जाने के लिए कोई स्मारक नई दिल्ली लाया गया है ; और

(क) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) एक समिति द्वारा चुने गये नागार्जुन के स्मारक उचित स्थानों पर पहाड़ियों की चोरी पर पुनः बनाये गये हैं । अन्य अनेक स्मारकों के बड़े और छोटे नमूने भी तैयार किये गये हैं ।

(ख) ३,७२,७४३ रु० ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सम्बलपुर (उड़ीसा) में सीमेंट का कारखाना

†१७९१. **श्री उलाका :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर जिले में सीमेंट बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए उड़ीसा सरकार से सरकार को कोई विस्तृत योजना योजना प्राप्त हुई है ।

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ;

(ग) क्या सरकार को सीमेण्ट कारखाने की प्रगति की कोई रिपोर्ट मिली है; और

(घ) कारखाना किस तारीख से चालू होगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (घ). पोर्टलैण्ड सीमेण्ट के निर्माण के लिये उड़ीसा के जिला सम्बलपुर में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये लाइसेन्स के हेतु उड़ीसा सरकार का एक प्रार्थना पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। परियोजना उड़ीसा सरकार आरम्भ करेगी। भारत सरकार ने प्रस्तावित योजना स्वीकार कर ली है। योजना हाल में ही स्वीकृत हुई थी जिसके कारण कभी किसी प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट की आशा नहीं की जा सकती। आशा है कि नया कारखाना १९६५–६६ में उत्पादन आरम्भ करेगा।

भारतीय रियासतों के राजाओं आदि की सम्पत्तियां

†१७९२. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय रियासतों के राजाओं, आदि को अपने अउतराधिकारियों की अनुमति के बिना पैतृक सम्पत्ति बेचने का अधिकार है ;

(ख) क्या उनके परिवार के सदस्यों से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं कि उनके हितों की रक्षा की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) भारत सरकार का विचार उस विक्रयाधिकार में हस्तक्षेप करने का नहीं है जो किसी राजा, आदि को अपनी निजी सम्पत्ति बेचने के लिये प्राप्त है। यह निश्चित करना प्रत्येक राजा, आदि का काम है कि क्या अपनी किसी सम्पत्ति को बेचना उसके लिये उचित है या नहीं।

(ख) हाल में नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी

†१७९३. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५७ से अब तक टैक्निकल शिक्षा के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कितने विद्यार्थी विदेश भेजे गये ;

(ख) वे किस किस देश भेजे गये ;

(ग) अब तक कितने विद्यार्थी अपनी टैक्निकल शिक्षा पूरी कर चुके हैं ; और

(घ) उनमें कितने विद्यार्थी उड़ीसा के हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भारत सरकार की समुद्र पार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सात विद्यार्थी अनुसूचित जातियों के और छः विद्यार्थी अनुसूचित आदिम जातियों के मार्च १९५७ के बाद टैक्निकल शिक्षा के लिये विदेश भेजे गये हैं ।

(ख) ब्रिटेन, अमरीका और पश्चिम जर्मनी ।

(ग) अनुसूचित जाति के चार और अनुसूचित आदिम जाति के दो उम्मीदवार ।

(घ) शून्य ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†१७९४. **श्री उलाका** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये सरकार का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना सम्बन्धी गोष्ठी में, जो हाल में हुई थी, भाग लेने वाले प्रतिनिधियों पर कितना व्यय हुआ ; और

(घ) गोष्ठी में उड़ीसा के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया ?

†**शिक्षा मंत्री (का० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) २,६७० रुपये ।

(घ) शून्य ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का कार्य-संचालन

१७९५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास विभिन्न विभागों से कितने फार्म हिन्दी अनुवाद के लिये प्राप्त हो चुके हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने फार्मों का अनुवाद करके सम्बन्धित कार्यालयों को वापस भेजा जा चुका है ; और

(ग) शेष कार्य को पूरा करने में देर लगने का क्या कारण है और कार्य को जल्दी निबटाने के लिए क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). हिन्दी में अनुवाद के लिये अभी तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के पास ४८०२ फार्म प्राप्त हो चुके है। ४६३१ फार्मों का अनुवाद पूरा हो चुका है और इनमें से ६१९ को सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिये वापिस भज दिया गया है। शेष ४०१२ के अनुवादो की जांच की जा रही है। यह कार्य निरन्तर चलने वाला है।

दिल्ली में अल्प आय वाले वर्ग के लिये प्लाट

१७९६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **गृह-काय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अल्प आय वाले लोगों के लिये प्लाट देने के लिये बनी योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को प्लाट दिये गये ; और

(ख) और इनसे कितना मूल्य वसूल किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) "दिल्ली में भूमि के अर्जन, विकास तथा निपटान का योजना" के प्रबन्ध के अनुसार कम आमदनी वाले लोगों को ६०० विकसित प्लाट दिये गये। योजना का विवरण श्री पी० जी० देब संनियम १९७ के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को लोकसभा के पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दिया हुआ है।

(ख) २२१ लोगों से जिनको प्लाट बांट गये हैं आंशिक भुगतान में ३,५४,१५० ० की रकम प्राप्त हुई है।

हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में हिन्दी

१७९७. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये समय-समय पर जो आदेश जारी किये जाते हैं क्या उनका हिमाचल प्रदेश प्रशासन और त्रिपुरा में भी परिपालन किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश संघ राज्य क्षेत्रो में आप से आप लागू नहीं होते। हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से सम्बन्धित जो योजना मार्च, १९६१ में जारी की गई थी उसे आवश्यक अदल बदल के साथ हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अपना लिया है। त्रिपुरा में ज्यादा लोग बंगला बोलते हैं और हिन्दी को किसी विशेष मात्रा में प्रयोग में नहीं लाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर प्रशासन

१७९८. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर प्रशासन में क्रमशः हिन्दी और अंग्रेजी में कार्य करने वाले कितने अधिकारी, सहायक, आशुलिपिक टीपक और लिपिक हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : हिन्दी और अंग्रेजी में काम करने के लिए अलग अलग अधिकारी सहायक इत्यादि नहीं रखे गये हैं। मनीपुर प्रशासन में हिन्दी का योग किसी खास मात्रा में नहीं हो पाया है।]

दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल

१७९९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी भी कई स्कूलों के पास अपने भवन नहीं हैं और वे तम्बुओं में लग रहे हैं ;

(ख) ऐसे स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) कब तक उन स्कूलों के लिये भवनों की व्यवस्था हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख)

	स्कूलों की संख्या	छात्रों की संख्या
(१) राजकीय स्कूल . . .	३१	१४,६१९
(२) स्थानीय निकायों के स्कूल . .	१०२	३०,३६०

(ग) स्कूलों के लिये भवन निर्माण का कार्य एक क्रमिक प्रोग्राम के अनुसार हो रहा है और आशा है कि सन् १९६५ के अन्त तक वर्तमान तम्बुओं वाले स्कूलों के लिये भवन तैयार हो जायेंगे।

धुला कोयला

†१८००. **श्री मुरारका** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमें आजकल कितने धुले कोयले की आवश्यकता है; और

(ख) यह कहां तक पूरी होती है; और

(ग) किस साधन से पूरी होती है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). लगभग ६५.६ लाख टन वार्षिक धुले कोयले की वर्तमान आवश्यकता है और इस में से लगभग ४० लाख टन कोयले की वार्षिक आवश्यकता पूरी होती है।

(ग) धुला कोयला निम्न साधनों से उपलब्ध होता है :—

जमादोवा

पश्चिम बोकारो

---

†मूल अंग्रेजी में

लोदना

करगली

दुग्दा

दुर्गापुर ।

विदेशी लाटरी

†१८०१. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे मे कोई जानकारी है कि विदेशी लाटरियों में कितना धन विदेश जाता है;

(ख) क्या इस के लिए विदेशी मुद्रा दी जाती है; और

(ग) देश में कितनी विदेशी लाटरियां और एजेंसियां कार्य कर रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) भारत में ऐसी किसी लाटरी या एजेंसी को स्वीकार नहीं किया गया है ।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में केन्टीन

†१८०२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री दिल्ली छावनी में ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में ठेके का केन्टीन खोलने के बारे में २२ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य किसी प्रतिरक्षा संस्थान मे ऐसा ठेके का केन्टीन नहीं है; और

(ख) क्या इन केन्टीनों में असैनिक व्यक्ति नहीं आ सकते ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). संगत जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

क्षेप्यास्त्रों[१] के लिये प्रयोगशाला

†१८०३. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक नियंत्रित क्षेप्यास्त्र अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना बना ली गई है; और

(ग) प्रस्ताव कब तक निश्चित रूप ले लेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]Guided missiles.

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). ब्योरा बताना लोक हित में नहीं है। क्षेप्यास्त्र सहित आधुनिक शस्त्रों सम्बन्धी अनुसन्धान तो प्रतिरक्षा अनुसन्धान प्रयोगशालाओं के काम का एक अंग है।

विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन

१८०४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन में पिछले दो वर्षों मे छात्रों पर सब मिलाकर पृथक् पृथक् प्रति मास कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में यह व्यय बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(घ) कुल मिलाकर आजकल यहां कितने छात्र हैं और उनके लिये वार्षिक बजट क्या है;

(ङ) भारत मे सब से कम व्यय किस विश्वविद्यालय में होता है और उसकी तुलना में विश्वभारती विश्वविद्यालय का व्यय कितना अधिक बैठता है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (च). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

असैनिक अधिकारियों पर विद्रोही नागाओं का आक्रमण

†**१८०५. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं ने उन सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों पर आक्रमण किये तथा उनके साथ मुठभेड़ हुई जो मनीपुर के पिछले सामान्य निर्वाचनों में निर्वाचन-सेवा पर वहां गये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) दोनों ओर कितने व्यक्ति मारे गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). हां। ऐसी २२ घटनायें हुई थीं।

(ग) नागाओं में कितने व्यक्ति मारे गये इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे सुरक्षा बल के ३ व्यक्ति मारे गये, १२ व्यक्ति (जिनमें ३ असैनिक संवाददाता भी हैं) घायल हुए।

मनीपुर के लिये नालीदार लोहे की चादरें

†**१८०६. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में मनीपुर को नालीदार लोहे की कितनी चादरें (बंडलों के रूप में) आवंटित की गईं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निर्धारित मांग तथा उन प्रार्थनापत्रों के अनुसार, जो अब संबंधित अधिकारियों के हाथ में है, मनीपुर में नालीदार चादरों को तत्काल कितनी (बण्डलों के रूप में) आवश्यकता है; और

(ग) क्या मनीपुर की आवश्यकता पूरी करने एक कोई विशेष प्रबन्ध किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) आवंटन मीट्रिक टनों में दिया जाता है । (एक मीट्रिक टन लगभग १० बण्डलों के बराबर होता है) । वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में जस्ता-चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों का कोटा निम्न है :—

	(मीट्रिक टनों में)
१९६०–६१ .	२,८४९.९
१९६१–६२	२,११८.०

(ख) ४,६९७.५० टन, जैसी कि प्रशासन ने बताई हैं ।

(ग) जस्ता चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों की स्थिति और भी कठिन है । मांग उपलब्धि से अधिक है । अतः उपलब्ध मात्रा सामान्य रूप में बांट दी जाती हैं । उपलब्ध थोड़ी विदेशी मुद्रा से और वस्तु-विनिमय के आधार पर जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का आयात करने का प्रयास किया जा रहा है ।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने स्वदेशीय साधनों से राज्यवार मासिक संभरण का कोटा निर्धारित कर दिया है ताकि सीमित उपलब्धि सारे राज्यों/प्रशासनों में विभाजित हो जाये । मनीपुर को जाने वाले ६० टन के अतिरिक्त, उत्पादकों के साथ विशेष प्रबन्ध किया गया है कि अप्रैल तथा मई, १९६२ में और ८० टन चादरें भेजी जायें । प्रशासन के अपूर्ण क्यादेशों पर ५०० टन भेजने के लिए भी प्राथमिकता दी गई है ।

डी० एम० कालेज, इम्फाल

†**१८०७. श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के डी० एम० कालेज में सारी कक्षाओं के लिए अपेक्षित अध्यापक हैं;

(ख) कितने पद स्थायी कर दिये गये हैं और कितने किये जाने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कालेज के लगभग बीस अध्यापकों को प्रति वर्ष महालेखापाल के शिलांग स्थित कार्यालय से वेतन-कार्ड की प्राप्ति की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तीन ,चार महीने तक बिना वेतन मिले रहना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इस का क्या कारण है; और

(ङ) उससे पैदा होने वाली उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का०ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). जानकारी मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला उत्पादन

†१८०८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में अलग अलग कोयले का लक्ष्य और उत्पादन कितना कितना था;

(ख) यदि कोई कमी थी, तो उस का क्या कारण था; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ का क्या प्रोग्राम है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे मालवीय)** : (क) और (ख) वर्ष १९६०–६१ के लिये अन्तिम तिमाही में ६ करोड़ टन के उत्पादन की दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस में से १६१.५ लाख टन सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होना था और बाकी मात्रा गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होना था। सरकारी क्षेत्र ने अपने लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया और गैर-सरकारी क्षेत्र ने भी ऐसा ही किया। समूचे वर्ष में कुल लगभग ५५० लाख टन उत्पादन हुआ जिस में से १०५ लाख टन सरकारी क्षेत्र में था।

वर्ष १९६१–६२ तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहिला वर्ष था। तीसरी योजना का लक्ष्य यह है कि उस के अन्तिम वर्ष में उत्पादन ९७० लाख टन होगा जिस में से ३७० लाख टन सरकारी क्षेत्र में होगा। अभी तक वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) वर्ष १९६२–६३ के लिये उत्पादन प्रोग्राम यह है कि उत्पादन ६२० से ६३० लाख टन हो।

बहु-प्रयोजनीय शिक्षा स्कूल

†१८०९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को राज्य के कुछ स्कूलों में बहु प्रयोजनीय शिक्षा लागू करने के लिये वित्तीय सहायता देगी;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) इस में यदि कोई शर्त लगाई गई है, तो वह क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) **बहु-प्रयोजनीय** माध्यमिक शिक्षा लागू करने की योजनायें राज्य योजनाओं में शामिल हैं और उन पर ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में एक या दो स्कूलों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिये मंत्रालय एक केन्द्रीय पुरस्कृत योजना पर विचार कर रहा है, जो प्रयोगात्मक कार्य क्रम के लिये आदर्श बहुम्र-योजनीय स्कूल का काम कर सकें। ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्तियां

१८१०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में विशेषत: कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई और मद्रास में अधिकतर उन जगहों के स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य पिछड़े हुए इलाक़ों के योग्य व्यक्तियों को भी सुअवसर देने के बारे में विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का स्वरूप क्या है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) इस बारे में सरकार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह संभावना है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के पदों में स्थानीय व्यक्ति अधिक संख्या में हो सकते हैं और अन्य क्षेत्रों के व्यक्ति इन पदों को स्वीकार करने में कतराते हैं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि वर्तमान नियमों के अधीन भी कोई भी भारतीय नागरिक सभी केन्द्रीय सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन कर सकता है।

त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग

†**१८११. श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास विभाग बन्द करने से पूर्व बाक़ी कार्य का मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ख) विभाग के बन्द होने के बाद वह कार्य कहां तक किया गया है; और

(ग) पुनर्वास के बाक़ी कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]**

त्रिपुरा में पत्थर की खान का मिलना

†**१८१२. श्री दशरथ देब** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दुर्गा पूजा के त्यौहार के अवसर पर या उस के बाद त्रिपुरा के धूमचारा क्षेत्र में किसी पक्ष ने कोई पत्थर की खान का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन खदानों की क्या संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि जिस पक्ष ने रुपया और श्रम व्यय कर के इन पत्थर की खानों का पता लगाया है, उस को उन खानों से पत्थर निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, नहीं। धूमचारा क्षेत्र में पत्थर की खानें होने के बारे में त्रिपुरा प्रशासन को काफ़ी पहले से पता था और इसलिये पिछले दुर्गा पूजा के त्यौहार के बाद उन के पता लगाने जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) इन पत्थर की खानों की संभावना ३ से ४ लाख घन फुट पत्थर होगी।

(ग) क्योंकि धूमचारा क्षेत्र में पत्थर की खानों का पता था, उन खदानों से पत्थर के संभरण के लिये त्रिपुरा प्रशासन ने स्थानीय समाचार पत्रों में टेंडर आमंत्रित किये और इच्छुक सभी ठेकेदारों से अपने दर देने को कहा गया। यह कार्य सब से सस्ते टेंडर वाले को सौंपा जायेगा।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण

†१८१३. **श्री दशरथ देव** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के प्राकृतिक खनिज संसाधनों का उपयुक्त ढंग से सर्वेक्षण करने का कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में और सर्वेक्षण किया जायेगा ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतबीस)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये खनिज सर्वेक्षण का परिणाम निम्न प्रकार है;

लिग्नाइट : उत्तरी त्रिपुरा में बर्मनगर और कैलाश पहाड़ में कई स्थानों से लिग्नाइट के निक्षेपों का पता चला है। उज्जैन थांगनांग के पूर्व में प्रत्य क्रेचारा से लगभग १–२ किलोमीटर दूर २ फुट मोटी (०.६ मीटर) लिग्नाइट पट्टी का पता लगाया गया। पेचारथैल और कुमार घाट के उत्तर पूर्व में लगभग १० किलोमीटर पर हीरा चारा, धारतुई चारा, नाटलिंग चारा टी. ई. भुतई चारा के समीप दौला चारा, देबा चारा, लम्बा चारा से कई वस्तुओं का पता लगा है। लिग्नाइट के नमूनों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि उन में ४१ प्रतिशत तक निर्धारित कार्बन है। अभी तक पता लगे खनिज का कोई आर्थिक महत्व नहीं है।

मिट्टी : अगरतला के पूर्व में लगभग ५ किलोमीटर पर पश्चिम चम्पामूरा के निकट पहाड़ी की ओर सफेद और हल्के भूरे रंग की मिट्टी का पता चला है। अगरतला और रानीबाजार के बीच ६ किलोमीटर की दूरी में गढ़े खोद कर इस की संभावना है। जोगेन्द्रनगर में लगभग ३३००० टन सफेद मिट्टी और २००० टन उच्च श्रेणी की प्लास्टिक मिट्टी का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम चम्पामूरा में सफेद मिट्टी का भंडार ६०० टन है जब कि रानी बाजार में १३०० टन सफेद मिट्टी और २००० टन प्लास्टिक मिट्टी का अनुमान लगाया गया है। पश्चिम चम्पामूरा की मिट्टी पर किये गये परीक्षण से निम्न परिणाम प्राप्त हुये :

आग लगाने से पहले रंग : सफेद अथवा क्रीम, आग लगाने के बाद : क्रीम; प्लास्टिक का सा, मध्यम, १३०° सेंटीग्रेड पर फ्यूज नहीं होता, सुकड़ने की क्षमता –१० प्रतिशत। यह चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उपयुक्त है।

लेटराइट : बकबारा, सिलबाडी, पाबीचारा और सिन्धुकुमार पाडा के निकट इमारत के सामान के लिये लैटराइट को उपयुक्त पाया गया है।

(ग) त्रिपुरा के भागों में क्रमबद्ध मानचित्रण और प्राथमिक खनिज सर्वेक्षण का तृतीय पंचवर्षीय योजना में आयोजन किया गया है और यह कार्य इस वर्ष आरम्भ हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में आदिम जातियों और गैर-आदिम जातियों के लिये अकृष्य भूमि

†१८१४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा पिछले दिनों एक घोषणा की गई है कि त्रिपुरा में रायमा-सरमा में स्थित समूची अकृष्य भूमि, जो सारी की सारी १९५० ई. से केवल आदिम जातियों के लिये रक्षित रखी गई थी, वह अब आदिम जातियों और गैर-आदिम जातियों को आधी-आधी दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उस घोषणा के अनुसार, क्या प्रत्येक पक्ष के लिये विशिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों की व्याख्या कर दी गई है अथवा रेखांकित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में विदेशी अधिनियम का कार्यकरण

†१८१५. { **श्री दशरथ देव** :
श्री बीरेन दत्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१—६२ में त्रिपुरा में विदेशी अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को नोटिस दिया गया;

(ख) ये नोटिस किस आधार पर दिये गये हैं;

(ग) इस अधिनियम के अधीन वर्ष १९६१-६२ में कितने व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया; और

(घ) किये गये जुर्माने का क्या स्वरूप है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संसद् और राज्य विधान मंडल के निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन

१९१६. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार संसदीय और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन-क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण १९६१ की जनगणना के आधार पर करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कब तक आयोग स्थापित करने की आशा है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). जैसाकि संविधान के अनुच्छेद ८१ में विहित है तदनुसार प्रत्येक जनगणना के पूरे हो चुकने पर राज्यों में लोक सभा के स्थानों, बांटे जाने का काम और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का काम ऐसे

†मूल अंग्रेजी में

प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में पुनः समायोजित किया जायेगा जिसे कि संसद् विधि द्वारा अवधारित करे। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद १७० (३) में राज्यों की विधान सभाओं के बारे में ऐसे ही उपबन्ध मौजूद हैं। १९६१ की जनगणना के आबादी विषयक अन्तिम आंकड़े प्रकाशित होते ही ऐसे पुनः समायोजन के लिये किसी प्राधिकारी की नियुक्ति के निमित्त आवश्यक विधायी और अन्य प्रकार के कदम उठाये जायेंगे ।

मनीपुर में योजनाओं का विस्तार

†१८१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी और मार्च, १९६२ में पंचवर्षीय योजना की योजनाओं को क्रियान्वित करने में मनीपुर प्रशासन ने कितना व्यय किया ;

(ख) इन तीन महीनों में कुल कितने धन के लिये वित्तीय मंजूरी प्राप्त की गई थी ; और

(ग) यदि कोई वित्तीय मंजूरी प्राप्त की जानी है तो उस के प्राप्त करने मे विलम्ब क्यों हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली में डूबने की घटनायें

†१८१८. **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों मे संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली मे डूबने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारणों का पता लगाया गया है ; और

(ग) वर्ष १९६१-६२ में ऐसी कितनी घटनायें हुईं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) पुलिस रिकार्ड के अनुसार वर्ष १९६१-६२ में डूबने की घटनाओं की संख्या के मासिक आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

अप्रैल, १९६१	१६
मई	७
जून	७
जुलाई	२६
अगस्त	१८
सितम्बर	८
अक्तूबर	५
नवम्बर	४
दिसम्बर	२
जनवरी, १९६२	५
फरवरी	३
मार्च	९
कुल	१२०

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के महीनों में संघ-राज्य-क्षेत्र, दिल्ली, में डूबने की घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है ।

जाति-भेद मिटाना

†१८१९. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जाति-भेद को मिटाने के लिये भारत सरकार ने अब तक क्या कदम उटाये हैं ; और

(ख) क्या कोई परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि, उन स्थानों को छोड़ कर जहां संवैधानिक अथवा संविहित आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा प्रशासनिक उद्देश्य जाति अथवा वर्ग का रिकार्ड आवश्यक हो, विभिन्न सरकारी कार्यों (जैसे जेल, पुलिस, शिक्षा, सेवाओं और अन्य विभागों में और न्यायिक कार्यवाही में भी फार्मों में और रजिस्टरों में) में जाति अथवा वर्ग का उल्लेख न किया जाये । इस आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने कार्यवाही की है ।

बीकानेर में विश्वविद्यालय

†१८२०. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बीकानेर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जावेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० डा० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तरी सीमा में सड़कें

†१८२१. **श्री जेधे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत सीमान्त से किसी पड़ोसी देश को जाने वाली सड़कें बनाने के कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का क्या ब्योरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). ब्योरा बताना राष्ट्र के हित में नहीं है ।

मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी में अनुवाद

१८२२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय हैं जो संसद् के सदस्यों में परिचालित की जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद अपने कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कराते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे कौन-कौन से मंत्रालय हैं जो इन का अनुवाद बाहर की किसी एजेंसी द्वारा पारिश्रमिक देकर कराते हैं ; और

(ग) क्या कारण है कि उक्त भाग (ख) में उल्लिखित मंत्रालय यह कार्य अपने ही कर्मचारियों द्वारा नहीं कराते ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता, खाद्य तथा कृषि, श्रम तथा नियोजन और वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयों को छोड़ कर बाकी सभी मंत्रालय अपनी वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी अनुवाद अपने ही कर्मचारियों से कराते हैं ।

(ग) बाहरी एजेन्सी से अनुवाद कराने का इन्तजाम इसलिये किया गया कि हिन्दी में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की कमी मालूम होती थी । जल्द ही इस पर फिर से विचार किया जायेगा ।

दिल्ली पुलिस के हिन्दी जानने वाले और न जानने वाले कर्मचारी

१८२३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के कितने अफसर तथा कर्मचारी हिन्दी जानने वाले हैं और कितने हिन्दी नहीं जानते हैं ; और

(ख) इन में से जो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं उन को दैनिक कार्यों को हिन्दी में करने के क्या-क्या अवसर प्रदान किये गये हैं या भविष्य में क्या और अवसर प्रदान करने का विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ६२६० हिन्दी जानते हैं । ५२४३ हिन्दी नहीं जानते हैं ।

(ख) (१) पुलिस महा निरीक्षक, दिल्ली द्वारा दिल्ली के सभी पुलिस अधीक्षकों आदि को हिन्दी जानने वाले कर्मचारी वर्ग को सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिये प्रोत्साहित करने के अनुदेश भेज दिये गये हैं ।

(२) हिन्दी के पत्रों के उत्तर बहुधा हिन्दी में भेजे जाते हैं ।

(३) पुलिस ड्रील मे समादेश के हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाता है ।

(४) दिल्ली पुलिस द्वारा प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के फार्मों का हिन्दी अनुवाद किया जा रहा है और वे यथाशीघ्र प्रयोग में आने लगेंगे ।

हिमाचल प्रदेश पुलिस में हिन्दी जानने वाले और न जानने वाले कर्मचारी

१८२४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश पुलिस के कितने अफसर तथा कर्मचारी हिन्दी जानने वाले हैं और कितने हिन्दी नहीं जानते हैं ; और

(ख) इन में से जो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं उन को दैनिक कार्यों को हिन्दी में करने के क्या-क्या अवसर प्रदान किये गये हैं तथा भविष्य में क्या और अवसर प्रदान करने का विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) हिमाचल प्रदेश पुलिस के १७ अफसर और २३१० अन्य कर्मचारी हिन्दी जानते हैं । हिन्दी न जानने वाले कर्मचारियों की संख्या ३५२ है ।

(ख) साधारणत: हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और तबादले उन पुलिस स्टेशनों, पोस्टों और कार्यालयों में किये जाते हैं जहां काम हिन्दी में किया जाता है ।

निर्वाचन आयोग के प्रकाशन

१८२५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग द्वारा गत एक वर्ष में कितने प्रकाशन निकाले गये ;

(ख) उनमें से कितने प्रकाशनों का हिन्दी संस्करण भी निकाला गया ; और

(ग) ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है कि भारत के १९६२ के आम निर्वाचनों की रिपोर्ट हिन्दी में भी प्रकाशित हो ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) तेरह ।

(ख) किसी का भी नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

निर्वाचन आयोग में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

१८२६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग के कितने अफसर तथा कर्मचारी हिन्दी जानने वाले हैं ;

(ख) इनमें से जो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं, उनको हिन्दी में काम करने के क्या क्या अवसर प्रदान किये गये हैं और क्या और अवसर प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) जो हिन्दी नहीं जानते उनमें से कितने गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा संचालित कक्षाओं में भाग ले रहे हैं ?

विधि मंत्री (श्री अ० क० सेन) : (क) बासठ ।

(ख) तृतीय साधारण निर्वाचनों से सम्बन्धित काम की अधिकता का ध्यान रखते हुए निर्वाचन आयोग के हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के अवसर देना प्रशासनिक कारणों से सम्भव नहीं था और न ही आगे आने वाले कई महीनों तक यह सम्भव हो सकेगा ।

(ग) काम की अत्यावश्यकताओं के कारण निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी उक्त हिन्दी कक्षाओं में भाग नहीं ले रहा है ।

त्रिपुरा में "उनाकुटी तीर्थ"

†१८२८. **श्री दशरथ देव**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कैलाशहर सब-डिवीजन के ऐतिहासिक स्थान, 'उनाकुटी तीर्थ', का संरक्षण करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार त्रिपुरा के पवित्र स्थानों का आवश्यक सहायता देकर संरक्षण करना आवश्यक समझती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) त्रिपुरा में उनाकुटी तीर्थ में कलाकृतियों और पत्थर काट कर बनायी गयी मूर्तियों को हाल ही में संरक्षित घोषित किया गया है और भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा उनके संरक्षण के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

(ख) क्योंकि स्मारक संरक्षित है, सहायता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में लौह-अयस्क के निक्षेप

†१८२९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में शैघाट लौह अयस्क निक्षेप निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में निकाला जा रहा है या गैर-सरकारी क्षेत्र में; और

(ग) क्या इनकी हमारे इस्पात सन्यन्त्रों में खपत हो जाती है या बाहर निर्यात किया जाता है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). शैघाट निक्षेपों को सरकारी क्षेत्र में विदोहन के लिये सुरक्षित रखा गया है। इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने २०-१२-१९६१ को एक अधिसूचना जारी की है। अभी निक्षेप का कार्य आरम्भ नहीं किया गया है क्योंकि यह निकटतम रेलवे स्थान, भिलाई इस्पात सन्यत्र की राझारा खानों के राझारा की ओर, से लगभग ५५ मील उत्तर में है। इसके दक्षिण -पूर्व की ओर रौघाट निक्षेप विजारा-जगदलपुर-भीलाडीला रेलवे लाइन पर, जो निर्माणाधीन है और १९६६ के आरम्भ तक पूरी हो जायेगी, निकटतम स्थान से लगभग १०० मील दूर है। नई रेलवे लाइन से भीलाडाल से, जहां निक्षेप पहले निकाला जा रहा है, लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकेगा। उस रेलवे लाइन से निर्यात के लिये रौघाट के निक्षेप को मिलाने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

स्कूलों और कालिजों में छात्र

†१८३०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में और संघ-राज्य क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् (१) प्राथमिक स्कूलों, (२) माध्यमिक स्कूलों और (३) कालिजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या के बारे में ठीक अथवा सम्भावित ठीक आंकड़े उपलब्ध हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उपलब्ध नवीनतम जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]**

कलकत्ता में स्टेडियम

†१८३१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकता में स्टेडियम बनाने के कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी कारण से इसमें आशातीत प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला श्रीमाली)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जो इस परियोजना को पुरस्कृत कर रही है, कलकत्ता में प्रस्तावित स्टेडियम बनाने के लिये इटली के एक भवन-निर्माण-विशारद, श्री ए० विटेल्लोजी की सेवायें मांगी गयी थीं। श्री विटेल्लोजी जुन, १९६०, दिसम्बर, १९६०, और दिसम्बर, १९६१ में कलकत्ता आये और उन्होंने प्रस्तावित स्टेडियम के लिये स्थान का परीक्षण किया और अनुमोदन किया। श्री विटेल्लोजी ने अन्तिम रूप से जो कार्यकरण योजना पेश की थी, वह कलकत्ता सुधार न्यास ने मान ली है। विस्तृत हिसाब-किताब और योजना का प्रारूप, भवन-निर्माण सम्बन्धी और संरचनात्मक दोनों हाल ही में श्री विटेल्लोजी से प्राप्त हुए हैं और वह राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण-कार्य यथा सम्भव शीघ्र आरम्भ किया जायेगा।

टायरों की चोरी

†१८३२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टायरों की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) वर्ष १९६१ में ऐसे १७९ मामलों की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और इस वर्ष ३० अप्रैल तक, ७६ मामलों की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

(ख) गश्त के रूप में लगातार पुलिस की सतर्कता के अतिरिक्त ऐसे मामलों की शीघ्र जांच-पड़ताल करने के लिये पुलिस सुपरिन्टेंडेंट की देखरेख में एक विशेष दस्ता बनाया गया है।

रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को बच्चों सम्बन्धी भत्ता

†१८३३. **श्री जेधे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिये बच्चों सम्बन्धी भत्ता स्वीकार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से दिया जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रति बच्चा कितना भत्ता दिया जाता है ;

(घ) कर्मचारियों को अधिकतम कितने बच्चों के लिये भत्ता दिया जाता है ; और

(ङ) किस आयु तक के बच्चे के लिये भत्ता दिया जाता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां । परन्तु भत्ता परिवार भत्ता कहा जाता है ।

(ख) १–४–१९४६ से द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को तथा १–१०–१९५३ से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ।

(ग) द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भत्ता १० रुपये मासिक प्रति बच्चा दिया जाता है परन्तु शर्त यह है कि परिवार भत्ता समेत वेतन ५५० रुपये मासिक से अधिक न हो जाये । ३०–६–५७ तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रति बच्चा ५ रुपये थे परन्तु १–७–५७ से यह ७ रुपये ५० नये पैसे पर दिये गये हैं ।

(घ) तीन ।

(ङ) पच्चीस वर्ष । यदि लड़का अथवा लड़की कोई रोजगार कर लेते हैं अथवा लड़की का विवाह हो जाता है तो भत्ता विवाह की अथवा रोजगार मिल जाने की तिथि से बन्द कर दिया जाता है ।

नई दिल्ली नगरपालिका समिति क्षेत्र में साइकिलों के चालान

†१८३४. **श्री जेधे** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हाल में ही नई दिल्ली नगरपालिका समिति क्षेत्र में साइकिल पर दो आदमी के बैठने अथवा बिना रोशनी के साइकिल चलाने के लिये पकड़े गये साइकिल सवारों से ५ रुपये से बढ़ा कर १० रुपये सिक्योरिटी लेती है ;

(ख) यदि हां, तो सिक्योरिटी की राशि कब से बढ़ाई गई है ;

(ग) इसे बढ़ाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पहचान पत्र दिखाने पर बिना सिक्योरिटी लिए सरकारी कर्मचारियों का चालान करने की सुविधा वापस ले ली गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री दातार)** : (क) नकद सिक्योरिटी की राशि ५ रुपये से १० रुपय बढ़ा दी गई है ।

(ख) १२ अप्रैल, १९६२ से ।

(ग) यह पाया गया कि ५ रुपये की सिक्योरिटी के कारण यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले साइकिल सवार अदालत में नहीं आते थे ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाना

†१८३५. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि अमरीका में समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाने की नई प्रक्रिया का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया का विकास भारत में भी किया जायेगा जिससे जहाजों पर खारे पानी की समस्या हल हो जाये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) जहाजों पर इस प्रक्रिया के प्रयोग की सिफारश करने का प्रश्न तब उठेगा जब यह प्रक्रिया भूमि पर की जायेगी और मितव्ययी पाई जायेगी ।

पदावलि से बहार के पदों पर सेवा निवृत गजेटेड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति

१८३६. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन रिटायर्ड गजेटेड केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अपने स्थायी पदों से वार्धक्य अवस्था पूरी होने पर दुबारा १ अप्रैल, १९६२ तक एक्स-केडर पदों पर नियुक्त कर लिये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की नियुक्ति से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के युवक अधिकारियों की पदोन्नति के सब अवसर समाप्त हो गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) (क) छ : ।

(ख) जी नहीं ।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित पुस्तकें

१८३७. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित पुस्तकों पर ब्रिटिश शासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक इस प्रकार की पुस्तकें हैं जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में बन्द पड़ी हैं और वहां जाने वाले व्यक्तियों को नहीं दी जाती क्योंकि उन पर प्रतिबन्ध हटाने का कोई आदेश अभी तक भारत सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार इन पुस्तकों का राष्ट्रीय अभिलेखागार में जाने वाले व्यक्तियों को इस्तमाल करने की पूरी सुविधा प्रदान करेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) से (ग). जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इस प्रकार की पुस्तकों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये जाने का अभिलेख नहीं है । फिर भी,

---

†मूल अंग्रेजी में

यह ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रकाशनों की प्रतियां जो ब्रिटिश शासन में राज्य सरकारों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ६६–ए के अन्तर्गत बहिष्कृत कर दी गई थीं, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिरक्षण में हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख के निरीक्षण के विषय में निर्धारित नियमों के अधीन सच्चे अनुसन्धानकर्त्ताओं को भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित इस प्रकार के प्रकाशनों के इस्तेमाल करने में भारत सरकार को आपत्ति नहीं है।

विद्रोही नागाओं द्वारा हमला

†१८३८. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही २०० सशस्त्र नागाओं के एक दल ने उत्तर कचार में हाफलांग से लगभग ६७ मील दूर दूलिया में घुस कर परेश रंजन देव और विमल देव पर हमला किया था और ५,००० रुपये लूट लिये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने डीमेट जागोले तथा उनके अनुयायियों का अपहरण कर लिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दतार)** : (क) राकेश धर (परेश रंजन देव नहीं) तथा विमल डे (विमल देव नहीं) समेत ७ व्यक्तियों, जो सिल्चर–हाफलांग सड़क पर एक ट्रक और जीप में जा रहे थे, का २४ अप्रैल, १६६२ के सायंकाल में दलिया लोक निर्माण विभाग के दरवाजे के निकट २०० नागा विद्रोहियों के दल ने अपहरण कर लिया था। उनसे कुछ नहीं छीना गया। विद्रोहियों ने २७ अप्रैल को इन व्यक्तियों को मुक्त कर दिया।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संसद्-सदस्यों के फ्लैटों में चोरियां

†१८३६. **श्री जेधे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि बहुत समय से नई दिल्ली के नार्थ और साउथ एवेन्यु के संसद्-सदस्यों के फ्लैटों में सत्र तथा सत्रावसान अवधि में चोरियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चोरियों को रोकने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में कितने संसद् सदस्यों को चोरियों के कारण हानि हुई;

(घ) गत पांच वर्षों में किन संसद् सदस्यों के यहां से कितने मूल्य की सम्पत्ति चोरों ने चुराई; और

(ङ) उनकी अनुपस्थिति में उनके फ्लैटों में उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) सरकार को स्थिति का पता है।

(ख), (घ) और (ङ). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६, और ७]** ।

(ग) १६५७–६१ तक ५५ संसद् सदस्यों को चोरियों से हानि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी

†१८४०. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को मसूरी (उत्तर प्रदेश) से हटा और कहीं ले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संस्था को कहां पर स्थानान्तरित किया जायेगा और कब ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी को मसूरी से हटाने के तथा इसको अन्य किसी स्थान पर ले जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार के मृत कर्मचारियों की विधवायें

†१८४१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मृत कर्मचारियों की विधवाओं, जिनकी जीवनयापन की कोई व्यवस्था नहीं है, ने नौकरी करने की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ग) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीयन अथवा शिक्षा अर्हताओं आदि के सम्बन्ध में नियमों तथा काम की दशाओं में कुछ छूट देने का विचार है जिससे रोजगार मिलने की कुछ कठिनाइयां दूर हो जायें ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां, कुछ मामलों में।

(ख) और (ग). वर्तमान आदेशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय को अधिकार है कि नौकरी मिलने की सामान्य प्रक्रिया की छूट दे दे। अर्थात् सरकारी कर्मचारी के अचानक मर जाने के कारण परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य अथवा निकट सम्बन्धी को परिवार के किसी कमाने वाले सदस्य के न होने के कारण नियुक्ति दे। परन्तु यह आवश्यक है कि इस प्रकार नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति आयु, शिक्षा आदि में अर्ह हो। इन शर्तों में छूट देने का कोई विचार नहीं है।

इंदौर में विश्वविद्यालय

†१८४२. **श्री दाजी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर में विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किस प्रक्रम पर है;

(ख) इसके कब तक स्थापित हो जाने की आशा है; और

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कितनी सहायता देगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और राज्य सरकार को परामर्श देना स्वीकार कर लिया है कि इंदौर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) कोई नहीं।

पंजाब को कोयले के वैगन

†१८४३. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के लिए अब तक पंजाब राज्य को कुल कितने कोयले के वैगनों का आवंटन किया गया था; और

(ख) इस अवधि की पंजाब राज्य की वास्तविक आवश्यकता क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). पंजाब को प्रति मास ८१,११४ वैगन कोयला तथा कोक की स्वीकृत मांग पर १९६२ के पहले तीन वर्षों में १३,४३५ वैगन वहां भेजे गये थे ।

वायु सेना के विमान से चोरी छिपे लाये गये सामान का पकड़ा जाना

†१८४४. **श्री दशरथ देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में, जैसा कि ३ मई, १९६२ को अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता संस्करण) में प्रकाशित हुआ है, भारत में वायु सेना के एक विमान में से चोरी छिपे लाया गया सामान पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) इस तस्कर व्यापार में लगे प्रतिरक्षा सेवाओं के कितने पदाधिकारी पाये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). भारतीय वायु सेना का एक डकोटा विमान २८ अप्रैल, १९६२ को जकार्ता से बैरकपुर आया जिसमें वायु सेना के पांच व्यक्ति थे। सामान नियमों के अतिरिक्त निःशुल्क सामान लाने ले जाने के अतिरिक्त, ये पदाधिकारी अपने साथ निम्नलिखित सामान लाये थे :

४ ट्रांजिस्टर रेडियो
१ वाल्व प्रकार के रेडियो
२ रेफ्रिजरेटर
१ हवाई बन्दूक
शराब की कुछ बोतलें और अधिक समय तक बजने वाले रिकार्ड
१ कैमरा

इनमें से एक पदाधिकारी अपने साथ ४ बंडल भी लाया था जिसमें वह भारत में एक अन्य पदाधिकारी के लिये कप्लरी और मछली पालन के बर्तन लाया था इन बंडलों की अभी जांच नहीं की गयी है ।

४ रेडियो, १६ शराब की बोतलों, हवाई बन्दूक, कैमरा और ५ अधिक समय तक बजने वाले रिकार्डों को शुल्क देकर बिना जुर्माना ले जाने की अनुमति दे दी गयी । इसके अतिरिक्त दो पदाधि-

---

†मूल अंग्रेजी में

कारियों द्वारा लाये गये दो रेफ्रिजरेटर और अन्य पदाधिकारी द्वारा लाये गये ट्रांजिस्टर रेडियो को शुल्क और जुर्माना देकर ले जाने की अनुमति दी गयी । जुर्माने की कुल रकम ८७० रुपये है ।

असिस्टेंटों की भर्ती के लिये परीक्षा

†१८४१. श्री बी० च० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग १०० असिस्टेंट भर्ती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य परीक्षा की जायेगी;

(ख) क्या यह सच है कि मई, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी परीक्षा के आधार पर केवल २०२ उम्मीदवारों को भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था और ८०० उम्मीदवार प्रतीक्षा सूची में रखे गये थे;

(ग) यदि हां, तो जब पहली परीक्षा के उम्मीदवार अभी भी प्रतीक्षा-सूची में हैं, तो अन्य परीक्षा करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए, अन्य परीक्षा करने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जायेगा और पहली परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों पर पदों पर लगाया जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है :

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिये लगभग १०० असिस्टेंटों की भर्ती के लिये वर्ष १९६३ के आरम्भ में एक परीक्षा लेगा । इस परीक्षा में से कुछ असिस्टेंटों भारतीय विदेश सेवा (ख शाखा), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा और उपरोक्त तीनों सेवाओं के क्षेत्राधिकार के बाहर कुछ अन्य कार्यालयों में भी भर्ती किये जायेंगे ।

जहां तक मई, १९५९ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजत आसस्टेंट ग्रेड परीक्षा का सम्बन्ध है, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिये सिफारिश किये गये कुल ११२५ अभ्यार्थियों में से (अनूसूचित जातियों/अनूसूचित आदिम जातियों के १०२ अभ्यर्थी समेत) २११ अभ्यर्थी (जिनमें ५७ अनूसूाचत जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हैं) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये गये हैं । इनके आंतरिक्त, इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर असिस्टेंटों की कुछ अस्थायी नियुक्तियां भी की गयी हैं । उन उम्मीदवारों को छोड़ कर जिन्होंने नियुक्ति के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया या सेवा में शामिल होने के बाद त्यागपत्र दे दिया, इस समय की स्थिति यह है कि मई, १९५९ की परीक्षा के आधार पर सिफारिश किये गये उम्मीदवारों में से सामान्य सूची में ऊपर है के २०६ और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातयों के उम्मीदवारों की सूची में ऊपर के ८७ उम्मीदवार नियुक्ति के लिये चुने गये हैं । यह परीक्षा प्रतियोगी होने के कारण, सफल उम्मीदवारों की सूची में से नियूक्तियां, विभिन्न सेवाओं/कार्यालयों में सीधे भर्ती द्वारा भो जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या और उम्मीदवारों द्वारा योग्यता-सूची में प्राप्त स्थान पर निर्भर करती हैं । अतः यह आवश्यक नहीं है कि सभी सफल उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाये और न ही

†मूल अंग्रेजी में

अनिश्चित काल के लिये उम्मीदवारों के प्रतीक्षा-सूची में रहने का कोई प्रश्न है। दूसरी ओर, संतुलित पदाली बनाये रखने के लिये और नियुक्ति के नये पात्र उम्मीदवारों को प्रतियोगिता का अवसर देने के लिये, यह आवश्यक है ऐसी प्रतियोगी परीक्षायें नियमित अवधि के बाद की जाती रहें।

रद्दी लोहे का निर्यात

†१८४६. **श्री याज्ञिक :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ३ वर्षों में विदेशों को कितने रद्दी लोहे का निर्यात किया गया ; और

(ख) रद्दी लोहे के निर्यात में यदि कोई कमी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :**

(क) १९५९ . . . २८०,९११ लोंग टन
१९६० . . . . . ३३४,६६८ ,, ,,
१९६१ . . . . . ३७०,००० ,, ,,

(ख) क्योंकि निर्यात में वृद्धि हो रही है, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आदिवासी नेताओं का इतिहास

†१८४७. **श्री ह० च० सौय :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के आदिवासी नेताओं और सिपाहियों ने अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना के साथ कई लड़ाईयों में कड़ा मुकाबला किया ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके बारे में कोई अनुसंधान करने और क्रमबद्ध इतिहास लिखने के लिये अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया है और वीरों की स्मृति में अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर)** (क) से (ग). उनमें असन्तोष था और फलस्वरूप इन लोगों में विद्रोह बढ़ता रहा। इनके बारे में श्री चौधरी की पुस्तक 'सिविल डिस्टरबेंसिस ड्यूरिंग दि ब्रिटिश रूल इन इन्डिया (१७६५–१८५७)' में लिखा गया है और 'हिस्ट्री आफ़ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इन्डिया' जो तैयार हो रही है, में भी इनका जिक्र होगा।

सिंहभूम में चीनी मिट्टी की खानें

†१८४८. **श्री ह० च० सौय :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में बिहार में सिंहभूम में चीनी मिट्टी की खानों का परीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कमी पायी गयी है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या स्थानीय किसान, जिनकी भुमि पर खनन कार्य किया जायेगा, खान मालिकों का विरोध कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) जिन ९ खानों का परीक्षण किया गया, उनमें २ में खनन की स्थिति असंतोषजनक पायी गयी । अन्य सात खानों में पाये गये दोष पत्थर के उचित बेंचों की कमी और बिना प्रमाणित भुमि पर गंदा सामान इकट्ठा करने की कुप्रथा के सम्बन्ध में है। जहां इन कमियों का पता लगा है, खान मालिकों को खनन के तरीके में सुधार करने और उत्पादन लागत में कमी करने के लिये उसी स्थान पर परामर्श दिया गया ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पालना लिग्नाइट परियोजना

†१८४९. **श्रीमती गायत्री देवी :**
श्री क० रा० गुप्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में पालना लिग्नाइट परियोजना को पूरा करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में शामिल किया गया था ; और

(ख) कथित परियोजना पर कितनी प्रगति की गयी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) पालना में लिग्नाइट के निक्षेप निकालने और डूंगरपुर में प्लोराइट के निक्षेप निकालने की एक योजना राजस्थान राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है । 'वर्क्ड आउट' क्षेत्रों में लिग्नाइट के निक्षेप खुली खनन प्रणाली से निकाले जायेंगे । राज्य सरकार ने तृतीय योजना-काल में योजना के विकास के लिये अस्थायी रूप से २.७५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है । राजस्थान सरकार प्रति वर्ष ५ लाख टन लिग्नाइट के उत्पादन के लिये पालना में एक खुली (ओपनकास्ट) खान की योजना बना रही है और एक उपयुक्त संगठन स्थापित किया जा रहा है ।

अपाहिजों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

†१८५०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का अपाहिजों के कृये लिये काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जी, हां । तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में अपाहिजों के लिये एक काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का प्रस्ताव है ।

---

†मूल अंग्रजी में

उत्तर प्रदेश के लिये कोयला

†१८५१. **श्री कृ० चं० पंत :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७ से उत्तर प्रदेश की कोयले की कुल मांग कितनी है ;

(ख) इस मांग के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितना अभ्यंश आवंटित किया गया ; और

(ग) प्रति वर्ष कितनी मात्रा का संभरण किया गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और इकट्ठा होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†१८५२. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० अप्रैल, १९६२ को भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की क्या संख्या है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों के पास पारपत्र हैं और कितने व्यक्तियों के पास पारपत्र नहीं हैं ;

(ग) उनमें से कितनों को देश छोड़ने को (प्रत्येक राज्य के पृथक पृथक आंकड़े) कहा गया है ; और

(घ) बिना पारपत्र के बाकी पाकिस्तानियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

जामा मस्जिद दिल्ली में मरम्मत

†१८५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में दिल्ली में जामा मस्जिद में कुछ बड़े पैमाने पर मरम्मत की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धनव्यय किया जायेगा ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस बारे में कितना धन व्यय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी, हां ।

(ख) इसका अनुमान २५,००० रुपये लगाया गया है ।

(ग)

वर्ष	व्यय
१९५९–६०	३४,२२० रुपये
१९६०–६१	१८,०८७ रुपये
१९६१–६२	१९,२५२ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

कूच-बिहार रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी

†१८५४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने पर ३ मई, १९६२ को या उसके आसपास कुच बिहार रेलवे स्टेशन पर कई पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किये गये ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) ये व्यक्ति भारत में किस प्रकार घुस पाय ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दात)** (क) से (ग). ऐसे ग्यारह व्यक्ति जो, गुप्त रीति से भारत में घुस आये थे, १ मई, १९६२ को गिरफ्तार किये गये थे ।

कच्छ और सौराष्ट्र में खनन पट्टा

†१८५५. **श्री याज्ञिक :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में खानों से विभिन्न वस्तुयें निकालने के लिये वही बड़ी संख्या में लोगों ने खनन पट्टे के लिये आवेदन किया है;

(ख) कितने पट्टे मंजर किये गये हैं ; और

(ग) बाक़ी आवेदन पत्रों पर कब विचार किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) से (ग). खनिज रियायतें देने के आवेदन पक राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जाते हैं और निपटायें जाते हैं। पूछी गयी जानकारी के बारे में गुजरात सरकार से पूछा जा रहा है और प्राप्त होने पर वह सभा पटल पर रख दी जावेगी।

कच्छ में तेल और गैस

†१८५६. **श्री याज्ञिक :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले कुछ वर्षों में कच्छ में तेल और गैस संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिये कितने दल भेजे गये हैं;

(ख) क्या वही दल पिछले कुछ वर्षों से उसी स्थान पर प्रथम प्राथमिक सर्वेक्षण कर रहे हैं; और

(ग) क्या उन से कोई अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) वर्ष १९५६–५७ से १३ दल भेजे गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस क्षेत्र में केवल प्राथमिक सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूतत्वीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही इस क्षेत्र की संभावना का पता लगाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एन० राय के बारे में पुस्तक

१८५०. { **श्री सरजू पांडेय :**
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैलीफोरनिया यूनिवर्सिटी प्रैस श्री एम० एन० राय के जीवन और क्रान्तिकारी कार्यों के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार से भी उक्त प्रैस संबंध स्थापित कर कुछ जानकारी प्राप्त करने को प्रयास किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

कोयले का उत्पादन

†१८५८. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय योजना काल में सरकारी क्षेत्रों में कुछ कोयला खानों में उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ;

(ख) यदि हां, तो उन खानों के नाम, लक्ष्य के आंकड़े और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उस की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ कोयला खानों में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ;

(घ) यदि हां, तो उन खानों के नाम, लक्ष्य के आंकड़े और वास्तविक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ङ) सरकारी क्षेत्रों में खानों में असन्तोषजनक कार्य के क्या कारण हैं; और

(च) तृतीय योजना काल में स्थिति सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) योजना के अधीन अन्तिम वर्ष की अन्तिम तिमाही में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य १६१.५ लाख टन था । यह लक्ष्य पूरा ही नहीं किया गया बल्कि यह लक्ष्य से बढ़ गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र ने कुल मिला कर द्वितीय योजना में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया ।

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सौराष्ट्र में बौक्साइट

†१८५९. **श्री याज्ञिक :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र में खान से बौक्साइट निकालने के लिये कितने खनन पट्टे दिये गये हैं;

(ख) ये खनन पट्टे किन क्षेत्रों के लिये दिये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में सौराष्ट्र में बौक्साइट निकालने का है ; और

(घ) यदि हां, तो यह किस क्षेत्र में निकाला जायगा ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख) बौक्साइट के लिये खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं। यह जानकारी गुजरात सरकार से मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(ग) और (घ) बौक्साइट के सरकारी विदोहन के लिये गुजरात के जामनगर और कच्छ जिलों में निम्नलिखित स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। विशिष्ट खनन परियोजनायें अभी बनायी जानी हैं।

जामनगर जिला (केवल कल्याणपुर महल)

१. रान-मेवासा-हाबरड़ी

२. ननदाना

४. महादेविया

४. लाम्बा

५. बाकुडी

ञ. भाटिया

७. मोटा असोटा

कच्छ जिला

८. अबदोसा तालुक—नरोदी का क्षेत्र।

९. मांधवी तालुक—गोबियासार-बांध, असमबिया (नाना), फारदी, पुनादी तुबंदी, नानगरेचा और रातारिया (नाना) के क्षेत्र।

१०. लखपत तालुक-माध और सारन के क्षेत्र।

११. नाखा तराना—नरोदा-क्रोटादा-जारजोक के क्षेत्र।

हैदराबाद में बिजली के भारी उपकरण का संयंत्र

†१८६०. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद स्थित बिजली के भारी उपकरण के संयंत्र के लिये अब तक कितने प्रविधिक व्यक्ति भर्ती किये गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अपेक्षित संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो रही है ।

†**इस्पात, और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ३१ ।

(ख) अनुभवी इंजीनियरों की सेवायें प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। किन्तु, यह कठिनाई इसी संयंत्र के बारे में हो ऐसी बात नहीं है । देश में अनुभवी कर्मचारियों का अभाव है।

येरागुन्टाला आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट फैक्टरी

†**१८६१. श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्टरी को आन्ध्र प्रदेश के कड़पा जिलों में येरागुन्टाला में एक सीमेंट फैक्टरी खोलने की अनुमति दी गई थी;

(ख) फैक्टरी अब तक स्थापित न करने का क्या कारण है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी, हां ।

(ख) मे० ऐसोसियेटेड सीमेन्ट फैक्टरी को तीसरी योजना में और परियोजनाओं का कार्यान्वय करना था। इसलिये उस ने येरागुन्टाला में सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना के लिये दिया गया लाइसेंस लौटा दिया है ।

एवरो ७४८

†**१८६२. श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में एवरो ७४८ की मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों को कितने विमानों का संभरण किया जायेगा और उन का मूल्य कितना होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) विमान के कार्य के प्रदर्शन के लिये कुछ देशों ने पूछताछ और अनुरोध किये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में पुनर्वेलन मिलें

†**१८६३. श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पुनर्वेलन मिलों की स्थापना के लिये कोई लाइसेन्स दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित की जायेगी और उस की क्षमता कितनी होगी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी, नहीं । किन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, पुनर्वेलन की छोटी मिलों की स्थापना पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है बशर्ते

†मूल अंग्रेजी में

कि उन में ५० से कम कर्मचारी काम करें और स्थानीय रद्दी लोहा काम में लाया जाये। पंजाब राज्य में ऐसी मिलों की स्थापना की हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आसाम नेफा और नागालैण्ड में भूतपूर्व सैनिक

†१८६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, नेफा और नागालैंड में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की कई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). नेफा और नागालैंड में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये अन्य राज्यों में भी उपलब्ध निम्नलिखित सुविधायें आसाम के भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध हैं;

(१) सरकारी नौकरियों में जहां सैनिक प्रशिक्षण एक विशेष अर्हता के रूप में अपेक्षित हो वहां भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाती है। सरकारी नौकरी के लिये जितनी सैनिक सेवा की गई हो उसे आयु में से घटा दिया जाता है। और आवश्यक हो तो तीन साल और कम किये जा सकते हैं।

(२) राज्य सरकार रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में भूतपूर्व सैनिकों को व्यावसायिक। प्रविधिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण, की अवधि १२ से ले कर २४ महीने होती है और प्रतिरक्षा मंत्रालय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रत्येक भूतपूर्व सैनिकों को इस अवधि में २५ रुपये की मासिक वृत्ति देता है।

आसाम में पाकिस्तानी

†१८६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने हाल में लखीमपुर, नौगांग और शिवसागर जिलों के कई पाकिस्तानियों को भारत से चले जाने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो यह सूचना कितने लोगों को दी गई है;

(ग) क्या आसाम में जाली वीसा रखने वाले कुछ पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

हिन्दी का प्रचार

†१८६६. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में हिन्दी के प्रचार के लिये दक्षिण के विभिन्न (अहिन्दी भाषी) राज्यों को कुल कितना धन दिया गया और खर्च किया गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में और क्या प्रयत्न किये गये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ८]**

पंजाब में मतदान

†**१८६७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में लोक सभा और विधान-सभा के लिये हाल में आयोजित चुनावों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया;

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों को अलग अलग कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए; और

(ग) प्रत्येक दल के कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) पंजाब में तीसरे आम चुनावों में लोक-सभा और विधान सभा के लिये क्रमश: ६५.४५ और ६५.३९ मतदाताओं ने मतदान किया।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या ९।]**

त्रिपुरा के आदिम जाति के छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिये अनुदान

†**१८६८. श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के आदिम जाति के छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिये इस समय कोई अनुदान दिये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुदान के लिये छात्रों की पात्रता पर विचार करते समय छात्रों के माता-पिता या अभिभावक की मासिक आय का ध्यान रखा जाता है; और

(ग) यदि हां तो अनुदान प्राप्त करने के लिये कोई छात्र पात्र हो इस के लिये उस के अधिभावक की अधिकतम मासिक आय कितनी होनी चाहिये ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) आदिम जाति के परिश्रमी छात्रों को, जो जरूरतमन्द हैं, पुस्तकें खरीदने के लिये अनुदान दिये जाते हैं ?

(ख) और (ग). छात्रों के अभिभावकों की मासिक आय पर विचार तो किया जाता है किन्तु उस की कोई अधिकतम सीमा निहित नहीं की गयी है ।

अलवर में चूने का पत्थर

†**१८६९. श्री का० रा० गुप्त** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट बनाने के काम आने वाले चूने के पत्थर का राजस्थान के अलवर जिले की राजगढ़ और थाना गाजी तहसीलों में कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार का निकट भविष्य में सर्वेक्षण करने का इरादा है या वह राज्य सरकार से यह कार्य करने के लिये कहने वाली है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). जी,हां। राजगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध अधिकांश चूने का पत्थर सीमेन्ट उत्पादन के लिये उपयुक्त नहीं है। घाटरा के निकट उपलब्ध चूने के पत्थर में मैगनीशिया कम होता है और वह सीमेन्ट बनाने के लिये उपयुक्त है। अनुमान है कि इस चूने के पत्थर का २५०,००० टन का भंडार है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उद्योगों के लिये कोयला

†१८७०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यह निर्णय कि कोयले के यातायात की कटौती से पहले उद्योगों को जितना कोयला मिलता था उस से कम नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां। रेल से वास्तव में कितने कोयला का यातायात हो सकता है इस बात के आधार पर कोयले के कोटे का पुनः आवंटन किया है और इस बात का ध्यान रखा गया है कि यह कोटा विभिन्न राज्यों को पिछले वर्ष जो कोटा दिया गया था उस से कम न हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली पोलीटेक्नीक, दिल्ली

†१८७१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पोलीटैक्नीक का दर्जा बढ़ा कर उसे एक पूर्ण इजीनियरिंग कालेज बनाने का इरादा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक-काय मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). दिल्ली पोलीटैक्नीक पिछले कुछ वर्षो से इंजीनियरिंग और टैक्लाबाजी के पाठ्यक्रय चला रहा है जो इस वर्ष दिल्ली में इजीनियरिंग और टैक्नालाजी कालेज की स्थापना के बाद बन्द किये जाने वाले थे। पोलीटैक्नीक में ये पाठ्यक्रमे जारी रखने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

रामरूप विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल, दिल्ली

†१८७३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह २६ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय को यह विशिष्ट शिकायत किस तारीख को प्राप्त हुई थी;

(ख) शिकायत की जांच करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या रामरूप उच्च माध्यमिक स्कूल के अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया;

(घ) स्कूल ने क्या उत्तर दिया;

(ङ) क्या स्कूल से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है; और

(च) स्पष्टीकरण मांगने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १५ जुलाई, १९६१ ।

(ख) शिकायत की जांच एक जांच अधिकारी ने की ।

(ग) जी हां ।

(घ) स्कूल के प्रबन्धकों ने शिक्षक के विरुद्ध आरोप लगाये और बताया कि चूंकि वह नियत तिथि को काम पर नहीं आया इसलिये उस की सेवायें समाप्त कर दी गईं ।

(ङ) और (च). और स्पष्टीकरण आवश्यक न था क्योंकि जांच अधिकारी ने स्कूल के अधिकारियों द्वारा लगाये गये आरोपों को पुष्टि की है ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†**१८७४. श्री वीरप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में कोई अनुसूचित जाति के भी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जाति का कोई रिकार्ड नहीं रखती ।

आन्ध्र में लौह अयस्क के निक्षेप

†**१८७५. श्री म० ना० स्वामी** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कोनी-जेदू, पेरनामेट्टा तथा आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले के ओगल तालुक में अहिन्दी के आस पास कुछ क्षेत्रों में लौह अयस्क के बड़े निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन संसाधनों को काम में लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) जी, हां । इन सभी क्षेत्रों में लौह-अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध है ।

(ख) चूंकि यह अयस्क घटिया किस्म का है इसलिये उसे निकट भविष्य में काम में लाये जाने की कोई संभावना नहीं है ।

वर्जीनिया किस्म की तम्बाकू पैदा करने वालों को ऋण

†**१८७६. श्री म० ना० स्वामी** : क्यय **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार से वर्जीनिया किस्म की तम्बाकू पैदा करने वालों को अग्रिम ऋण देने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सराकार ने आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू पैदा करने वालों को सहायता देने के लिये १९६० में २ करोड़ रुपये का ऋण मांगा था। राज्य सरकार को बताया गया कि कृषि संबंधी ऋण राज्य के क्षेत्र में आते हैं, इसलिये आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू पैदा करने वालों को सहायता के तौर पर ऋण देना राज्य सरकार पर निर्भर करता है ।

सोने के निक्षेप

†१८७७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के एक विशेषज्ञ ने पितोगढ़ जिले में चारूगढ़ और काली नदियों की बालू में सोने का अंश होने का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में सोने की उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र में यदि अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अस्तित्व का पता लगाया हो तो वे क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं। किन्तु हिमालय से निकलने वाली नदियों में सोने का अल्प मात्रा में अस्तित्व भली भांति विदित है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) कोई नहीं ।

"पीकिंग रिव्यू"

†१८७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने "पीकिंग रिव्यु" का दिनांक १५ दिसम्बर, १९५७ का अंक निषिद्ध कर दिया है जिसमें एक मानचित्र है जिसमें भारत की उत्तर सीमा गलत दर्शायी गयी है और कुछ आपत्तिजनक मामला है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने अन्य राज्यों में ऐसी सारी कापियां निषिद्ध करने की कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दण्ड विधि संशोधन अधिनियम १९६१ की धारा ४ के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर, १९६१ के "पीकिंग रिव्यु" के अंक संख्या ५० को निषिद्ध किया ।

(ख) और (ग). भारत सरकार ने समुद्र सीमा शूल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १९ के अन्तर्गत पत्रिका के इस अंक का भारत में आना निषिद्ध कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में इंजीनियरिंग कालेज

†१८७९. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में कोई नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार को उस राज्य सरकार का कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। फिर भी, एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज की स्वीकृति दी गई है। राज्य की योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में भी एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का उपबन्ध है ।

महंगाई भत्ता और अधिक समय भत्ता का भुगतान

†१८८०. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री अन्सार हरवानी :
श्रीमती सुभद्रा जोशी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक समय-भत्ता की बकाया नवम्बर, १९६१ से उन कर्मचारियों को दी जायेगी जिनका मंहगाई स्तर उस तारीख से भत्ता बढ़ जाने के बाद बदल जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् । उन व्यक्तियों को जिनके मंहगाई भत्ता की गणना मंहगाई भत्ता सहित उपलब्धियों के आधार पर की जाती है ।

(ख) प्रश्न उप्पन्न नहीं होता ।

'कस्टम हाउस' कलकत्ता में विक्रयकर्ता

†१८८१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरोधक अधिकारियों को 'कस्टम हाउस' कलकत्ता में फुटकर दुकान में विक्रयकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी नियुक्तियां स्वीकार की थीं ;

(ग) क्या वे नीलाम भी करते हैं ;

(घ) क्या विक्रय उपलब्धियों का खाता फाइलों और रजिस्टरों में ठीक से रखा जाता है ;

(ङ) क्या सरकार की अनुमति से गैर-सरकारी वार्ता की जाती है ; और

(च) क्या इस मामले में कोई जांच हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (घ). निरोधक अधिकारियों को "विक्रय कर्ता" के रूप में कोई औपचारिक नियुक्ति नहीं की गई है। कलकता 'कस्टम हाउस' में फुटकर विक्रय-प्रयोग के रूप में आरम्भ किया गया था और यह कार्य निरोधक कर्मचारियों ने किया था। 'कस्टम हाउस' के नीलाम भी निरोधक कर्मचारियों ने वरिष्ठ कस्टम अधिकारियों की देख रेख में किया। विक्रय उपलब्धियों का खाता ठीक ढंग से रखा गया है।

(ङ) जब्त की गई वस्तुओं के विक्रय के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेशों में गैर-सरकारी वार्ता से वहां उचित मूल्य पर सम्बधित कलक्टर के आदेश से विक्रय करने का उपबंध है जहां नीलाम, टेन्डर, आदि से उन्हें बेचने के प्रयत्न से उचित मूल्य न मिल पाया हो। प्रत्येक विक्रय के लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(च) पूछताछ का कोई मौका नहीं आया है।

भारत को नई रूसी सहायता

†१८८२. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये बड़ी रूसी सहायता का कोई प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में निश्चित रूप ले लेगा; और

(ख) यदि हां, तो सहायता किन परियोजनाओं के लिये ली जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त रूसी सहायता का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी

†१८८३. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में मद्रास सरकार ने कितने अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा पदाली में शामिल करने की सिफारिश की थी ; और

(ख) उनके मंत्रालय में उन में से कितनों को स्वीकार किया गया और उनमें कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) मद्रास सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा के पदोन्नति कोटा में नियुक्ति के लिए जिन अधिकारियों की सिफारिश की थी, उनकी संख्या निम्न है :—

वर्ष	सिफारिश किये गये अधिकारियों की संख्या
१९५९	५
१९६०	३
१९६१	२

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किये उपरोक्त सभी अधिकारी सेवा नियुक्त किये गये। उनमें कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं था।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये अध्ययन केन्द्र

†१८८४. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं के लिए अनूसूचित जातियों और अनूसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को अध्यापन की सुविधा देने के लिए एक केन्द्र खोला जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हैवी इलक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल के कर्मचारी

†१८८५. **श्रीमती ममूना सुल्तान :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाने में स्थिति पर विचार करने के लिए हाल में उनसे 'हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, भोपाल' के कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधिमण्डल मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या शिकायतें सामने रखी थीं ; और

(ग) विचारविमर्श का क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) हां।

(ख) मुख्य शिकायत हड़ताल करने वाले कुछ कर्मचारियों पर लगाये गये आरोपों के बारे में थी।

(ग) मंत्री महोदय ने प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे जी लगाकर कार्य करें। साथ ही वचन दिया कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० इसकी जांच करेगा और इसका शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

†१८८६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की बैठक अप्रैल, १९६२ के मध्य में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या माध्यमिक स्तर पर स्त्री शिक्षा बढ़ाने का प्रश्न बैठक के सामने आया था ;

(ग) प्रश्न के किस किस पहलू पर चर्चा हुई थी ; और

(घ) इस मामले में यदि कोई निश्चय किया गया है तो क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पन्ना हीरे की खानें

†१८८७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्ना हीरा की खानों को वाणिज्यिक आधार पर प्रयोग करने की अनेक योजनायें स्वीकार की गई हैं ; और

(ख) योजनाओं की कार्यान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). पन्ना हीरा की परियोजना कार्यान्विति के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंप दिया गया है और उसमें अलग अलग अनेक खानें होंगी । रामखेरिया खान की परियोजना रिपोर्ट, जिस के लिये १,२५,००० कैरट वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा गया है, स्वीकार हो चुकी है और इस के साथ ही ३०,००० कैरट वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य वाली मझगावन खान की परियोजना रिपोर्ट भी स्वीकार हो चुकी है । आशा है कि वर्ष १९६३ में इन खानों में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । मझगावन खान में ३०,००० कैरट वार्षिक अतिरिक्त उत्पादन के लिये बाद में दूसरी पारी आरम्भ करने का भी विचार है । तीसरी खान खोलने के प्रश्न पर भी अवस्थित प्रोग्राम के एक भाग के रूप में विचार किया जायेगा ।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कालेज ।

†१८८८. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विचार विशेष विषयों में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये चार क्षेत्रीय कालेज खोलने का विचार है ;

(ख) इस कार्य के लिए क्या वित्तीय व्यवस्था है ;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों से परामर्श किया गया है कि क्या वे आवश्यक वित्तीय सहायता से पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर सकते हैं ;

(घ) इस का क्या कारण है कि चुने हुए कुछ विद्यमान कालेजों का विकास और सुधार नहीं किया जा सकता ताकि वही कार्य काफी कम व्यय पर हो सके ;

(ङ) दिल्ली के केन्द्रीय शिक्षा संस्था, विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित कालेजों और प्रस्तावित कालेजों में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति कितना आवर्तक व्यय होगा ; और

(च) लगभग १५ चुनी संस्थाओं के मुकाबले, जिन में से एक संस्था प्रत्येक राज्य में है, इन संस्थाओं में प्रति व्यक्ति कितना पूंजी व्यय होता है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां । चार क्षेत्रीय कालेजों में बहु-प्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३.३२ करोड़ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से परामर्श किया गया, परन्तु विश्वविद्यालयों से परामर्श नहीं किया गया। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने से इस बात की पुष्टि हो गई कि बहुप्रयोजनीय स्कूलों के लिये अपेक्षित प्रकार के प्रशिक्षण के लिये वर्तमान ट्रेनिंग कालेजों या विश्वविद्यालयों शिक्षा विभागों का उपयोग करना सम्भव नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय शिक्षा संस्था में प्रति व्यक्ति पर २,६०० रु० व्यय होता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित अन्य कालेजों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित कालेजों में प्रति व्यक्ति पर २,१५० रु० व्यय होने का अनुमान है।

(च) प्रश्न के इस भाग में उल्लिखित १५ संस्थाओं के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि क्योंकि प्रशिक्षण विभिन्न प्रकार की है, इसलिये दो प्रकार की संस्थाओं का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

२२ मई, १९६२ को सियालदह में हुई रेल-दुर्घटना

श्री बागड़ी (हिसार): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत रेलवे मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

सियालदह स्टेशन पर २२ मई को हुई रेल दुर्घटना, जिस में ४१ व्यक्तियों को चोटें-आईं।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दी गई अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की पूर्व-सूचना के संबंध में मुझे सभा को सूचित करना है कि २२-५-१९६२ को जब एस० १८८ डाउन डाकुनी-सियालदह लोकल पैसेन्जर ९ बज कर ५२ मिनट पर सियालदह नार्थ स्टेशन के प्लेटफार्म नं० १ पर प्रविष्ट हो रही थी, तब वह लाइन समाप्त होने के स्थान पर लगे एक बफ़र से टकरा गई और उससे ४१ व्यक्तियों को चोटें आईं। उन में से १७ रेलवे कर्मचारी और शेष २४ यात्री थे। रेलवे स्टेशन पर तुरन्त ही घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया गया। सियालदह का डिवीजनल मेडिकल आफिसर घायलों को दी जाने वाली चिकित्सीय सहायता की देखभाल के लिये तुरन्त ही दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गया था।

चार रेलवे कर्मचारियों और एक यात्री को बी० आर० सिंह रेलवे अस्पताल में और एक महिला यात्री को एन० आर० सरकार अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। शेष ३५ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी।

दोनों अस्पतालों के अधिकारियों के अनुसार छहों व्यक्तियों को साधारण सी चोटें आई थीं।

दुर्घटना के कारणों की जांच के लिये डिवीजनल अधिकारियों द्वारा जांच कराने का आदेश दिया जा चुका है।

श्री बागड़ी: इस को हिन्दुस्तानी में भी समझा दीजिये।

श्री शाहनवाज खां: मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि जब एस-१८८ डाउन डाकुनी-सियालदह लोकल पैसेंजर २२-५-१९६२ को ९ बज कर ५२ मिनट पर सियालदह

---

†मूल अंग्रेजी में

नार्थ स्टेशन के प्लैटफ़ार्म नम्बर १ में दाखिल हो रही थी, तो वह डेड-एंड बफ़र से टकराई, जिस से ४१ मुसाफ़िरों को मामूली चोटें आईं। उन में से १७ रेलवे के कर्मचारी थे और बाकी के २४ यात्री थे। उनको फ़ौरन रेलवे स्टेशन पर फ़र्स्ट एड दिया गया। डिविज़नल मेडिकल आफ़िसर, सियालदह भी फौरन वहां पर पहुंच गये और उन्होंने ज़ख्मी आदमियों को डाक्टरी सहायता देने में मदद की।

चार रेलवे कर्मचारी और एक यात्री बी० आर० सिंह रेलवे हास्पिटल में और एक महिला यात्री एन० आर० हास्पिटल में दाखिल किये गये। बाकी के ३५ आदमियों को मामूली मरहम-पट्टी करने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।

उन दोनों हास्पिटल्ज़ के, जिन में ये छः ज़ख्मी आदमी दाखिल हुए थे, अथारिटीज़ के मुताबिक उन को मामूली चोटें आईं।

डिविज़नल आफ़िसर्ज़ की छान-बीन करने की एक कमेटी बिठा दी गई है और बाकी हालात उस कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर मुहैया होंगे।

श्री बागड़ी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह एक्सिडेंट किस की ग़लती की वजह से हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : यह तो तहकीकात होने पर ज़ाहिर होगा।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया है कि घायलों की चिकित्सीय सहायता समय पर न होने की भी शिकायतें की गई हैं और इस के फलस्वरूप वहां एक दंगा खड़ा हो गया था। लोगों ने रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया था।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : चिकित्सीय सहायता तुरन्त ही पहुंचा दी गई थी। चूंकि चोटें साधारण थीं, इसलिये अधिकांश लोगों ने अस्पताल जाने की जरूरत नहीं समझी। केवल छः व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती हुए थे। उन की चोटें भी मामूली हैं और चिकित्सा अधिकारी उन के लिये भरसक प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : क्या यह सच है कि इंजन का वैकुअम ब्रेक काम नहीं कर रहा था, इसलिये दुर्घटना हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो जांच से ही पता चलेगा।

†**श्री प्रभातकार** : समाचारपत्रों में घायल व्यक्तियों की संख्या ४१ से अधिक बतलाई गई है अधिकांश घायलों को अस्पतालों में भर्ती न करने के कारण, लोग क्रोध में आ गये थे और क्या ड्राइवर को इंजन छोड़ कर भाग जाना पड़ा था?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सियालदह में तो ड्राइवरों को और भी छोटी-छोटी बातों पर जान बचा कर भागना पड़ता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : अब चूंकि आये दिन दुर्घटनायें होने लगी हैं। इसलिये क्या सरकार विभिन्न दुर्घटनाओं की जांच के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति या आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करेगी? मेरा मतलब है एक ऐसी समिति जो तुरन्त नियुक्त की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

मुझे मालूम है कि एक समिति तो मौजूद है, लेकिन उस में चार-पांच वर्ष लग जायेंगे । तो क्या तुरन्त ही ऐसी एक समिति नियुक्त की जायेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है । उन को मालूम है कि दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और उन से बचने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की जा चुकी है । उस में इस सभा और राज्य-सभा के भी प्रतिनिधि मौजूद है । वह एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है । हमें उसकी सिफारिशें मिलने तक रुकना चाहिये ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और कालिंग एटेन्शन नोटिस था ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझ से मिल कर उस के बारे में पूछ लें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का १९६१–६२ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन और १९६०–६१ के लिये प्राविधिक प्रतिवेदन

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति रखता हूं :—

(एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक टैक्निकल प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल०टी०—१३४/६२ और एल०.टी. १३५। ६२]।

संघ लोक-सेवा आयोग परामर्श से छूट संशोधन विनियम, १९६२

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अन्तर्गत, दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८२ में प्रकाशित संघ लोक-सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, १९६२ की एक प्रति एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस० टी० १३६/६२]।**

समिति के लिये निर्वाचन

अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमयून कबिर)**: : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि शिक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ३० नवम्बर, १९४५ के संकल्प संख्या एफ० १६–१०/४४—३ के पैराग्राफ ३ के खंड १ (च) के अनुसरण में,

---

†मूल अंग्रेजी में

लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के २९ अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्तमान कार्य-काल के लिये परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक ३० नवम्बर, १९४५ के संकल्प संख्या एफ० १६-१०।४४-३ के पैराग्राफ ३ के खंड १ (च) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् के २९ अप्रैल, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्तमान कार्य-काल के लिये परिषद् के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें---जारी

परिवहन तथा संचार मंत्रालय---जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम परिवहन और संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे। श्री जगजीवन राम अपना भाषण जारी रखें।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** कल मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद दे रहा था जिन्होंने मेरे बारे में कई अच्छी बातें कही थीं। आज मैं उनकी प्रशंसा का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करूंगा यह बतला कर कि हम ने अपने सीमित संसाधनों के बल पर परिवहन और संचार सेवा को किस प्रकार कार्यक्षमतापूर्ण बनाने का भरसक प्रयत्न किया है।

आज हमारे देश के परिवहन की मुख्य समस्या उसकी अव्यवस्था नहीं, बल्कि अपर्याप्तता है। आज देश में सभी प्रकार के परिवहन साधन अपर्याप्त हैं। इसलिये उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत आना स्वाभाविक है। इस अपर्याप्तता को कुछ लोग गलती से अकार्यक्षमता मान बैठते हैं।

पूछा गया है कि भारत सरकार की परिवहन नीति क्या है। भारत सरकार की एक दीर्घ-कालीन परिवहन नीति पारिभाषित करने के लिये श्री नियोगी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी। उसे विभिन्न परिवहन साधनों में सह-कार्य पैदा करने के उपाय भी सुझाने थे। लेकिन यदि मैं कहूं तो भारत सरकार की परिवहन नीति यही है कि देश में परिवहन के सभी सुलभ साधनों का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाये और किसी भी परिवहन-साधन की क्षमता का अपव्यय न होने दिया जाये।

नियोगी समिति के यही पद-निर्देश थे। समिति ने परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकारों से जो जानकारी मांगी थी, वह उनके पास तैयार नहीं थी। जैसी कि आशा थी रेलवे के पास तो वे सभी आंकड़े तैयार थे, लेकिन परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकारों के पास वे तैयार नहीं थे। अधिकांश सड़क परिवहन गैर-सरकारी स्वामित्व में हैं और उनके पास वे आंकड़े नहीं थे। इसीलिये कठिनाई

---

†*मूल अंग्रेजी में*

[श्री जगजीवन राम]

पड़ी। लेकिन जैसा कि श्री राज बहादुर ने कल बतलाया था परिवहन मंत्रालय ने वह पूरी जानकारी जुटाने के लिये भरसक प्रयत्न किया था। इसलिये केन्द्रीय और राज्य मंत्रालयों पर नियोगी समिति से असहयोग करने का दोष नहीं लगाया जा सकता। समिति द्वारा मांगी गई जानकारी और आंकड़े थे ही इस प्रकार के कि उनके संग्रह में काफी समय लग गया। और, नियोगी समिति का काम जिस ढंग से, जिस विस्तार के साथ चल रहा है, उसे देखते हुए यही अनुमान होता है कि तृतीय योजना का काल समाप्त होने से पहले वह अपना अन्तिम प्रतिवेदन तैयार नहीं कर पायेगी।

हमें सभी परिवहन-साधनों की क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के साथ-साथ, क्षमता में वृद्धि भी इस ढंग से करनी है कि उनमें परस्पर सहकार्य बना रहे। अतिरिक्त क्षमता स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल ही होनी चाहिये।

मैं फिर जोर देकर कहता हूं कि परिवहन की मुख्य समस्या आज अपर्याप्तता की है, अकार्य-क्षमता की नहीं। आशा है कि श्री हरि विष्णु कामत अपनी अत्यधिक कल्पनाशीलता के बल पर इसे समझने में सफल होंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यदि मेरे पास कल्पनाशीलता का आधिक्य है, तो मैं उसका एक भाग माननीय मंत्री को देने के लिये तैयार हूं।

†**श्री जगजीवन राम** : अच्छा होता यदि कल्पना के साथ माननीय सदस्य में कुछ धैर्य भी होता।

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि देश का अधिकांश यातायात रेलवेज़ के जरिये होता है, इसलिये स्वाभाविक था कि योजना में रेलवेज़ के लिये काफी बड़ी राशि रखी जाती। कुछ लोगों का मत है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसन्द के परिवहन साधन का उपयोग करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये। यह तो उन्हीं देशों में हो सकता है, जहां परिवहन साधनों की बहुलता हो। लेकिन हमारे यहां तो समस्या उनकी अपर्याप्तता की है। इसलिये हमें निश्चित करना पड़ेगा कि किन क्षेत्रों में किन वस्तुओं के लिये कौन से परिवहन साधन प्रयुक्त किये जायेंगे। परिवहन की सुलभ क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हुए हमें परिवहन के विभिन्न साधनों में सहयोजना पैदा करनी पड़ेगी। उसका अपव्यय बिलकुल रोक देना पड़ेगा। यह सहयोजना पैदा करने के लिये हम ने कई अभिकरण बना दिये हैं। कुछ लोगों ने प्रचार शुरू किया था कि रेलवे और सड़क परिवहन के बीच एक अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता चल रही है। मैं इसे नहीं मानता। हमारे देश में सभी परिवहन-साधनों के विकास के लिये काफी गुंजाइश है।

मैं तो समझता हूं कि दोनों परिवहन साधनों के बीच भारत की तरह का सामंजस्य और सह-अस्तित्व हमें संसार के अन्य किसी देश में नहीं मिलता। हमारे यहां खच्चरों से लेकर जैट विमानों तक के विकास के लिये काफी गुंजाइश है। हमें जैट विमानों के साथ बैल गाड़ियों की भी आवश्यकता है।

इसलिये परिवहन साधनों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतियोगिता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सभी साधन एक-दूसरे के सम्पूरक हैं।

मुख्य समस्या सभी सुलभ परिवहन साधनों में सहयोजना पैदा करने की है। इसके लिये कई अभिकरण बनाये गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि सहयोजना बिलकुल त्रुटिहीन और आदर्श है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वह तो किसी भी देश में सम्भव नहीं है । अभी अमरीका में रेलवे और सड़क-परिवहन के सहयोजना पैदा करने की दृष्टि से उनका अध्ययन किया गया था । लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके । इसीलिये वे आदर्श सहयोजना पैदा करने के किसी एक उपाय की सिफारिश नहीं कर सके । परन्तु हमारे देश की समस्या तो परिवहन-साधनों की अपर्याप्तता की है ।

हमारे देश का समुद्री तट काफी लम्बा-चौड़ा है । इसलिये तटीय नौवहन के विकास के लिये बड़ी गुंजाइश है । हमारे काफी पोत पुराने पड़ गये हैं, उनके स्थान पर नये पोत लाना आवश्यक है । साथ ही नौवहन निगम भी तटीय नौवहन के क्षेत्र में उतर रहा है । मैं गैर सरकारी नौवहन समवायों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनको निगम की ओर से कोई भी खतरा नहीं है । गैर-सरकारी नौवहन समवायों को जहां भी सरकारी सहायता दरकार होगी उनको दी जायेगी । निगम के आने का मुख्य कारण यही है कि कोयले के परिवहन के लिये हमें एक दीर्घकालीन परिवहन नीति निश्चित करनी पड़ेगी । कोयले की एक निश्चित प्रतिशत मात्रा तटीय नौवहन द्वारा ही दक्षिण और पश्चिम के दूरस्थ स्थानों को ले जानी पड़ेगी । श्री राज बहादुर कल आप को इसके बारे में कई आंकड़े जुटा चुके हैं । इसलिये मैं आप की तटीय नौवहन में प्रवेश करने वाले इस निगम से सम्बन्धित सामान्य नीति बतलाना चाहता हूं ।

आन्तरिक जल परिवहन को विकसित करना है । संविधान के अनुसार आन्तरिक जल-परिवहन के साधन राज्यों के अधीन हैं । परन्तु हम कुछ जल-मार्गों को राष्ट्रीय जल-मार्ग भी घोषित कर सकते हैं । अभी तक हम ने वैसा किया नहीं है । हम ने जलमार्गों के विकास के सम्बन्ध में राज्यों को परामर्श देने के लिये एक सलाहकार संगठन भी बनाया है । जल-मार्गों के विकसित हो जाने पर, परिवहन की कठिनाइयां एक हद तक तो हल हो जायेंगी ।

छोटे और मध्यम दर्जे के पत्तनों के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था । मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता । हालांकि वह विषय मुख्यतः राज्य के अधीन है, फिर भी भारत सरकार उसके सम्बन्ध में यथाशक्ति प्राविधिक और वित्तीय सहायता देती रही है और देती रहेगी ।

श्री याज्ञिक ने कण्डला और गांधीधाम को बसाने के बारे में प्रश्न उठाया था । हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि लोगों की आर्थिक स्थिति पर वहां कोई कुप्रभाव पड़ा है और वे गांधीधाम छोड़ कर भागते जा रहे हैं । ऐसी कोई आशंका नहीं है ।

जल और विद्युत् संभरण की दरें भी कोई इतनी अधिक नहीं हैं ।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : अहमदाबाद और बम्बई के मुकाबले बहुत ऊंची हैं ।

†**श्री जगजीवन राम** : जल संभरण की दर तो ऊंची नहीं है । विद्युत् संभरण की दरें भी अधिक ऊंची नहीं हैं । मैं कह यह रहा था कि गांधीधाम को बसाने के लिये कुछ करना पड़ेगा, जिस में राज्य सरकार की ओर से सहयोग और सहायता अपेक्षित है । मेरा सुझाव है कि याज्ञिक जी जैसे नेताओं को त्रुटियां निकालने के बजाय, गांधीधाम को बसाने में सहायता देनी चाहिये ।

देश में सड़कों के विकास का एक कार्यक्रम चल रहा है । परिवहन क्षमता भी इस पर निर्भर करती है कि हमारे यहां सड़कों का विस्तार कितना है । हमारे इस विशाल देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां परिवहन के किसी भी साधन का विकास नहीं हुआ है । वहां न सड़कें हैं, न रेलें और न ही परिवहन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

पर्वतीय प्रदेशो में ही नहीं, मैदानी प्रदेशो में भी ऐसे-ऐसे स्थान हैं जहां से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिये ४०–४० मील पैदल चलना पड़ता है। उनमें सड़कें निर्मित करने के लिये केन्द्र और राज्य सरकारें प्रयत्नशील हैं। लेकिन उनमें समय तो लगेगा ही। सड़कों के निर्माण में हमने अभी तक जितनी प्रगति की है, उस पर कोई भी देश गर्व कर सकता है।

एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या पिछड़े हुए इलाकों में सड़क-निर्माण के लिये विशेष तौर पर कोई राशि मंजूर की जानी चाहिये। केन्द्रीय सड़क निधि को राज्यों में वितरित करने के बाद परिवहन मंत्रालय के पास कुछ प्रतिशत राशि बच रहती थी। ऐसे क्षेत्रो में सड़क-निर्माण के लिये उसी राशि में से कुछ व्यवस्था की जानी थी। मैं कोशिश करूंगा कि योजना आयोग भी इसके लिये अलग से कोई व्यवस्था कर दे, यदि राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था नहीं कर पातीं। हो सकता है कि योजना आयोग राज्यों को ५० प्रतिशत की सहायता देने को तैयार हो जाये।

गढ़वाल के सदस्य ने अपने क्षेत्र की स्थिति का दयनीय वर्णन किया है। मेरे विचार में उन्होने अतिशयोक्ति से काम लिया है। सीमान्त क्षेत्र होते हुए, गृहकार्य मंत्रालय ने भी वहां की सड़कों पर कुछ धन खर्च किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को मालूम है कि गृह मंत्रालय, परिवहन मन्त्रालय और अन्य अभिकरणों ने टिहरी और गढ़वाल में सड़कों के विकास के लिये कितना रुपया खर्च किया है। उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी।

अब मैं असैनिक उड्डयन की ओर कुछ निर्देश करूंगा। एयर इण्डिया इन्टरनेशनल ने अपने अच्छे काम से अन्य देशो में नाम पैदा किया है और यह गर्व की बात है कि बहुत से देशों में वहां के लोग अपने देश के विमानो की अपेक्षा एयर इण्डिया को अधिक पसन्द करते हैं। इसलिये यदि एयर इंडिया भारत सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर सूद नहीं दे सकती तो यह उसकी वित्तीय कमजोरी नहीं समझनी चाहिये। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि एयर इण्डिया ने देश का नाम ऊंचा किया है। यदि इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने की कुछ गुंजाइश है तो एयर इण्डिया के प्रबन्धक अवश्य ऐसा करेंगे। जहां तक भारतीय विमान निगम का सम्बन्ध है, हाल के वर्षों में उसने हर दिशा में संचालन और कार्यक्षमता में उन्नति की है ?

एक माननीय सदस्य : बुकिंग ?

श्री जगजीवन राम : बुकिंग में कठिनाई इसलिये है कि आई० ए० सी० के पास सीटों की कमी है और माननीय सदस्यों तथा अन्य लोगो को कई कई दिनों तक प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। इसका इलाज एक ही है और वह यह कि विमानो की संख्या बढ़ाई जाये। आई० ए० सी० ऐसा कर रही है। इसके बाद सीटों के न मिलने की शिकायत दूर हो जायेगी।

कैरावेल खरीदने और वाइकाउण्ट विमानों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न उठाया गया था। मैं स्वयं चाहता हूं कि विमान भिन्न प्रकार के न हो। किन्तु इसका निर्णय विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद किया जायेगा। आई० ए० सी० ने कैरावैल खरीदने के लिये सरकार को सिफारिश की है। हम इस की जांच करेंगे और उसके बाद निर्णय करेंगे।

भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और उन की एक शिकायत यह है कि विमानों में एडवान्स बुकिंग नहीं करा सकते। इस वर्ष आई० ए० सी० ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। मने आंकड़े देखे हैं और मैं समझता हूं कि विमानों की वर्तमान संख्या को देखते हुए परिणाम यह होगा कि हमारे अपने लोगों के लिये बहुत ही कम सीटें रह जायेंगी। क्योंकि विदेशी पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, इसलिये विमान बढ़ाने पड़ेंगे।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि आई० ए० सी० में कर्मचारीवृन्द अत्यधिक हैं। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि पिछले ४ या ५ वर्षों में कर्मचारियों की संख्या लगभग उतनी ही रही है। ४० या ५० की वृद्धि हुई है किन्तु उड़ानों की संख्या भी तो बहुत बढ़ गई है ।

खाने, सफाई और जमीनी सेवाओं के बारे में कुछ सदस्यों ने शिकायत की है। मैं आई० ए० सी० से कह दूंगा कि इस किस्म की शिकायतें न पैदा होने दें । हर एक यात्री के साथ सभी कर्मचारियों को चाहे वे बड़े हों या छोटे, नम्रता और शिष्टाचार से पेश आना चाहिये ।

विमान सेवाओं के साथ साथ असैनिक उड्डयन विभाग को हवाई अड्डों की देखभाल करनी पड़ती है। एक सदस्य ने मद्रास अड्डे के बारे में पूछा था । वहां काम जारी है और इसे पूरा करने के लिये ठेका दे दिया गया है । पटना अड्डे में सुधार करने के लिये कुछ काम शुरू किये गये हैं इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विकास की गुंजाइश नहीं है। बिहार हवाई अड्डे को जो पटना से १० या १२ मील पर है, अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा बनाया जा सकता है, जहां भारी विमान उतर सकें ।

एयर इण्डिया इण्टर नेशनल और आई० ए० सी० के कर्मचारियों, विशेष कर चालकों और इंजीनियरों ने अपनी दक्षता और कार्यक्षमता के लिये नाम पैदा किया है. उनकी ओर से जहाज चढ़ाना या उतारना बहुत ही अच्छी तरह किया जाता है और इसके लिये हम उनके आभारी हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं जान सकता हूं कि नागपुर रात्रि विमान सेवा को अक्तूबर १९६२ से क्यों बन्द किया जा रहा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं। किन्तु अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ।

अब मैं डाक तार विभाग को लेता हूं । एक सुझाव यह दिया गया है कि डाक तार बोर्ड की शक्तियां और कृत्य रेलवे बोर्ड की तरह होनी चाहियें । इसे अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और इसमें सन्देह नहीं कि समय के साथ इस की शक्तियां और कृत्य बढ़ जायेंगे और यह लगभग रेलवे बोर्ड की तरह हो जायेगा । जैसा कि सदस्यों को मालूम है, हमने डाक तार विभाग के लिये भी एक सलाहकार समिति बना दी है । मेरा विचार है कि विभिन्न सर्कलों के पोस्ट मास्टर जनरलों की भेंट संसद् के सदस्यों से कराई जाये । जैसा कि रेलवे के मामले में रेलवे के पदाधिकारियों से होती है । इन बैठकों में स्थानीय शिकायतों पर विचार किया जा सकेगा। इसी तरह इस सभा के और राज्य सभा के सदस्य डाक तार विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों और पोस्ट मास्टर जनरल से स्थानीय मामलों पर विचार कर सकेंगे और शीघ्र निर्णय कर सकेंगे । सर्कलों की सलाहकार समितियों के अतिरिक्त, विभागीय स्तर पर भी ऐसी समितियां स्थापित की जायेंगी ताकि डाकघर अधीक्षक संसद सदस्यों से, वाणिज्य मन्डलों और अन्य स्थानीय निकायों से बातचीत कर सकें । जहां तक टेलीफोनों का सम्बन्ध है, हमने बहुत से स्थानों पर टेलीफोन सलाहकार समितियां स्थापित की हैं ताकि उपभोक्ताओं के सुझावों और आलोचनाओं पर विचार करके सेवा में सुधार किया जा सके ।

एक सुझाव में कहा गया है कि अधिकाधिक डाक विमान द्वारा ले जाई जाये और रात्रि विमान सेवायें चालू की जायें । मैं रात्रि सेवाओं के बारे में कुछ नहीं कह सकता किन्तु यह आश्वासन देता कि राज्यों की राजधानियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर डाक हवाई सेवाओं द्वारा भेजी जायेंगी ।

१९५२ में हमने डाक तार और तार सुविधायें बढ़ाने की नीति निर्धारित की थी और उस रीति का अनुसरण हो रहा है । किन्तु मैंने देखा है कि कुछ क्षेत्रों में जैसा कि पहाड़ी और अविकसित क्षेत्रों में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

७५० या १००० रुपये की हानि की सीमा के अन्दर डाकघर नहीं खोले जा सके। अब मैंने निर्णय किया है कि कुछ आपवादिक मामलों में यह सीमा २,५०० रुपये तक बढ़ा दी जाये।

डाक विभाग में वाहि-विभागीय या अंशकालिक की संख्या काफी है और डाक घरों की संख्या में बहि-विभागीय डाकघरों की वजह से वृद्धि हुई है। और ऐसे डाकघरों की प्रथा उन्नत देशों में भी है। मांग की गई है कि ऐसे कर्मचारियो के भत्ते बढ़ाये जायें। मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा और मैं बहि-विभागीय कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाना चाहता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री दाजी ने एक गुप्त पत्र पढ़ कर सुनाया था जो कि विभाग ने पोस्ट-मास्टर जनरलों को भेजा है कि भत्ता २ या ३ रुपये से अधिक न बढ़ाया जाये। क्या यह सत्य है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैंने पूछताछ नहीं की, किन्तु यदि ऐसा पत्र भेजा भी गया है तो इसका कोई महत्व नहीं है। डाक तार विभाग में आवास स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इसका कारण यह है कि डाकघरों का शहरों घनी जनसंख्या वाले भागों में होना आवश्यक है और ऐसे क्षेत्रो में जमीन प्राप्त करना बहुत कठिन होना है। यदि दूर क्षेत्रो में डाकघर बनाये जायें, तो लोगों को असुविधा होती है। अतः मैं कार्यक्रम के आधार पर चल कर डाकघरो के कार्यालयों के लिये और कर्मचारियों के रहने के लिये आवास बनाना चाहता हूं।

†**श्री याज्ञिक** : जब तक मकान बनाने के लिये आप की अपनी एजेंसी न हो, आप उन्नति नहीं कर सकते।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं सहमत हूं। निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय ने कुछ कर्मचारी डाकघरों के निर्माण कार्य के लिये अलग कर देना मंजूर कर लिया है और मैं इस मामले पर अपने सहयोगियों से बातचीत करूंगा।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : कलकत्ता में भी कुछ डाकघरों की हालत बहुत खराब है। क्या इन में कुछ सुधार किया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : अवश्य।

†**श्री प्रभातकार** : क्या आर०एम० एस० का पुनर्गठन मरा समिति की सिफारिशो के अनुसार किया जायेगा।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं अभी इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सका।

टेलीफोनों के बारे में शिकायतों की बहुत गुंजाइश है और इसका कारण यह है कि टेलीफानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इन की मांग बहुत बढ़ गई है। जब तक हम अधिक पैनल न बनायें और अधिक कनेक्शन न दें, यह कठिनाई दूर नहीं की जा सकती। यह इस बात पर निर्भर है कि हमें कितने पये दिये जाते है। हम कुछ कदम उठा रही हैं। जब टेलीफोनों पर अधिक जोर हो, तो गलत नम्बर मिलने या देर से मिलने की सम्भावना बढ़ जाती है। हमने तीसरी योजना में टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने की कुछ योजनाएं बनाई हैं। किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि जब तक हमें अधिक धन न दिया जाये, स्थिति में बहुत सुधार नहीं होगा। हमारे पास सामान की कमी है और उसे आयात करना पड़ेगा और इसमें विदेशी मुद्रा का भी प्रश्न है। हमें ऊपर की तारो की जगह जमीन से नीचे की तारें लगानी पड़ेंगी।

---

†मूल अंग्रजी में

दिल्ली-कलकत्ता, दिल्ली-बम्बई और दिल्ली-मद्रास के बीच दोहरी तार लगाने से कठिनाई कुछ हद तक दूर हो जायेगी ।

टेलीफोनों के बारे में, मैं दो घोषणायें करना चाहता हूं । एक यह है कि टेलीफोन के शुल्क के ४५ स्लैबों को घटा कर १० बना दिया गया है । इससे कर्मचारियों और उपभोक्ताओं दोनों को सुविधा होगी ।

दूसरा यह है कि टेलीफोन की रियायती दरें केवल दो श्रेणियों में बांट दी गई हैं । आठ बजे प्रातः से ७ बजे शाम तक ट्रंक काल के लिये पूरा शुल्क होगा, ७ बजे शाम से ८ बजे प्रातः तक आधा शुल्क अर्थात् ५० प्रतिशत होगा यह इसलिये किया गया है कि डाक तार विभाग के कर्मचारियों को गणना में कठिनाई न हो और उपभोक्ता भी इस रियायत का स्वागत करेंगे । ये दरें १ जून से लागू होंगी ।

†**श्री प्रभात कार :** क्या टेलीफोन की दरें कम करने का विचार नहीं है ?

†**श्री जगजीवन राम :** ये पहले ही देश में बहुत कम हैं ।

शिकायतें की गई हैं कि कुछ क्षेत्रों में डाक तार विभाग के कर्मचारियों पर काम का भार बढ़ गया है । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की जांच के बाद हमने कुछ प्रमाण निश्चित किये हैं । कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारियों की आवश्यकता और नियुक्ति में समय का अन्तर होता है । इस समय प्रथा यह है कि यदि पदाधिकारी चालू वर्ष में देखें कि काम बढ़ गया है और अधिक आदमी चाहियें तो भरती अगले साल शुरू होगी । फिर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है । इसी तरह उनकी नियुक्ति तक समय का अन्तर होता है । भीड़ के समय कुछ डाकघरों में सम्भवतः कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ता है । किन्तु एक प्रक्रिया यह है कि ऐसी हालत में कार्मिक संघ के सदस्य यह चीज पदाधिकारियों के ध्यान में लाते हैं और व आवश्यक पग उठाते हैं । मैं इस प्रश्न की जांच करूंगा कि काम का भार जानने और भरती की प्रणाली का कैसे सरल बनाया जाये, ताकि समय के अन्तर को घटाया जा सके और यह शिकायत पैदा न हो कि कर्मचारियों को अधिक काम करना पड़ता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या बिवूर समय परीक्षा अब जारी है ?

†**श्री जगजीवन राम :** कुछ श्रेणियों में यह प्रणाली है ।

कुछ किस्म के कामों और दुकानों के लिये प्रोत्साहन बोनस का प्रश्न उठाया गया था । हमने पहले ही प्रोत्साहन बोनस आरम्भ कर दिया है और मेरा इरादा और ज्यादा से ज्यादा स्टाफ के लिये प्रोत्साहन बोनस देने का है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** जैसा कि उन्होंने रेलवे में किया क्या वैसे ही वे पारितोषिक का सिस्टम पुरःस्थापित कर सकते हैं ।

†**श्री जगजीवन राम :** डाक और तार विभाग के कर्मचारियों में अच्छा और दियानतदारी से काम करने के लिये इनाम का सिस्टम जारी कर दूंगा ।

अब श्रमिकों के सम्बन्धों पर आता हूं । कुछ सदस्यों ने कहा कि डाक और तार कर्मचारियों को कम वेतन मिलता था । शायद माननीय सदस्य को पता नहीं कि वेतन आयोग ने सब सरकारी कर्मचारियों के वेतनों पर विचार किया । डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को वही वेतन मिलते हैं जो अन्य सरकारी विभागों के उसी श्रेणी के कर्मचारियों को मिलते हैं । इसलिये यह आरोप लगाना गलत है कि डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

अब श्रमिकों के सम्बन्धों के विषय में कहूंगा । डाक और तार विभाग में कई यूनियनें हैं । सबसे ऊपर राष्ट्रीय संघान (नेशनल फैडरेशन) है । जब मैंने इस विभाग का काम सम्भाला तो विभिन्न संघों और फैडरेशन के पदाधिकारी मुझे मिलने आएऔर मुझे प्रसन्नता हुई कि उन्होंने अपनी व्यथाओं के बारे में कुछ नहीं कहा । एक बात उन्होंने यह कही कि कुछ देर से वे महासंचालक को नहीं मिल सके । मैंने शीघ्र ही डाक और तार मण्डल से कहा कि बैठक मुकर्रर की जाए । और मेरे विचार में बैठक होने वाली है । मैं संघों, फैडरेशन और डाक और तार बोर्ड में बैठकों को प्रोत्साहन देना चाहता हूं । यह बैठक कितनी देर बाद हुआ करेगी, इसका निश्चय बाद में होगा ।

शायद श्री बनर्जी ने मासिक बैठकों के बारे में कटौती प्रस्ताव किया था । मेरे विचार में मासिक बैठकें सम्भव नहीं होंगी और यह आवश्यक भी नहीं है । प्रशासन और फैडरेशन में कुछ समय बाद बैठकें होनी चाहियें । अन्तरों को दूर कर लिया जाए । चाहे आफिसर हों या स्टाफ, सब राष्ट्र को अच्छी संचार सेवा देने के काम में लगे हुए हैं । आफिसरों और स्टाफ में गश्त सहयोग से होना चाहिये ।

मरे अधीन और जो विभाग हैं यही बात वहां लागू होगी । यहां भी संघ हैं वहां पर अन्तरों को दूर करने के लिये बैठकें होनी चाहियें । यदि नौपरिवहन मन्त्री के मेरे मदाखलत की आवश्यकता हो तो हम प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में अन्तरों को दूर करने के लिये अपनी सेवाओं के प्रयोग को मिलने के अवसर का स्वागत करेंगे ।

मेरी हमेशा यही कोशिश होगी कि मेरे अधीन जितने विभिन्न विभाग हैं वहां आपस में अन्तरों को दूर करने के लिये बातचीत के ठीक साधन हों ताकि राष्ट्र की सेवा में वे मिल कर काम करें और परिवहन और संचार सेवा को अच्छा बनायें ।

अन्त में मैं सदन के सदस्यों को जो मेरे और मेरे पदाधिकारियों के विषय में अच्छे शब्द उन्होंने कहे हैं उनके लिये धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देता हूं कि उनकी आशाओं को पूर्ण करने की हमारी इच्छा होगी ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार के विचाराधीन एक केन्द्रीय डाक और तार और सरकन बनाने की प्रस्तावना है ?

†**श्री जगजीवन राम** : ज्यों ही भूपाल में जगह मिलेगी तो भूपाल का अलग रखना जिसका मुख्य कार्यालय मध्य प्रदेश में होगा बना दिया जायेगा ।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : जब तक भूपाल में जगह नहीं मिलती तो क्या वे नागपुर में मुख्य कार्यालय रख कर सरकल नहीं बना सकते ।

†**श्री जगजीवन राम** : मेरे विचार में माननीय सदस्य स्थिति नहीं समझते । केन्द्रीय सरकल में सारा मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकल का थोड़ा सा भाग भी इसमें शामिल कर दिया हैं । इस समय केन्द्रीय सरकल में सारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग है । इसका मुख्य कार्यालय नागपुर में है । हम भूमि खरीद रहे हैं और पैसे भी खर्चेंगे । हम अपनी इमारत बनाना चाहते हैं और ज्यों ही यह पूरी होगी, मुख्य कार्यालय वहां लाया जाएगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सब कटौती प्रस्ताव मतदान देने के लिये रखूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संचार तथा परिवहन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखीं गईं तथा स्वीकृत हुई :

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
८८	परिवहन तथा संचार मन्त्रालय .	७७,१५,०००
८९	ऋतु-विज्ञान विभाग	१,५९,००,०००
९०	केन्द्रीय सड़क निधि	३,३८,१९,०००
९१	संचार (राष्ट्रीय राजमार्ग सहित)	५,६७,५०,०००
९२	वणिक् नौवहन	६२,७२,०००
९३	प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत .	७२,७८,०००
९४	उड्डयन . . .	४,२४,०७,०००
९५	समुद्रपार संचार सेवा	१,२०,५०,०००
९६	परिवहन तथा संचार मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	२,३७,७२,०००
९७	भारतीय डाक व तार विभाग (कार्यवहन व्यय सहित)	६१,८९,५५,०००
९८	सामान्य राजस्व में डाक व तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग . .	१०,४४,००,०००
१३६	सड़कों पर पूंजी व्यय .	२७,६६,५०,०००
१३७	पत्तनों पर पूंजी व्यय .	२,८७,८६,०००
१३८	असैनिक उड्डयन पर पूंजी व्यय . .	३,०६,८५,०००
१३९	परिवहन तथा संचार मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	६,७२,७४,०००
१४०	भारतीय डाक तथा तार विभाग पर पूंजी व्यय (राजस्व से पूरा नहीं किया गया)	१९,१८,५७,०००

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय:** अब हम खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे । इसके लिये आठ घण्टे समय निर्धारित किया गया है और जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे उनकी सूचना १२ 'मिनटों' में दे दें ।

†मूल अंग्रेजी में

१६६२-६३ के लिए खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
३६	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय	६१,५६,०००
४०	कृषि	२,८०,०६,०००
४१	कृषि अनुसन्धान	४,०७,०२,०००
४२	पशुपालन	८२,७१,०००
४३	वन	६७,५५,०००
४४	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	१५,५६,३६,०००
१२४	वनों पर पूंजी व्यय	१०,७३,०००
१२५	खाद्यान्नों का क्रय	१,४१,८०,८१,०००
१२६	खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	४७,१६,२६,०००

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : कृषि सब उद्योगों की मां है, सभ्यता की मां है और हमारी राष्ट्र अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारी तृतीय योजना में कृषि को ठीक पहली प्राथमिकता दी गई है। दो योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। हम खाद्य में आत्म-निर्भर नहीं हुए हैं। जितनी विदेशी मुद्रा की खाद्यान्न के आयात में हानि हुई, उतनी सहायता यदि किसानों को देते तो अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता। यह सब जंग के वायुमण्डल की तरह करना चाहिए।

जितने अधिक पदाधिकारी होंगे, उतनी अधिक ढील होगी। हमें अनावश्यक पदाधिकारियों को हटा देना चाहिये। हमें खेती का क्षेत्र नहीं बढ़ाना चाहिए। गहन खेती करनी चाहिए। खेती ⅓ भूमि में होनी चाहिए। जंगल कृषि की मां है। हम जंगल काट रहे हैं। इस से कृषि को हानि होगी। वर्षा कम होगी। जलवायु में परिवर्तन आजाएगा। भूमि का कटाव होगा। हमें वनरोपण अवश्य करना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमें जापान की भांति गहन खेती करनी चाहिए। एक ही क्षेत्र से उत्पादन बड़ाना चाहिए। परन्तु हमारा खेती वाला क्षत्र बढ़ता जा रहा है। हमें इसे रोकना चाहिये।

भूमि के कटाव को बन्द करना आवश्यक है। हमारी भूमि का एक-चौथाई भूमि के कटाव से खराब हो रहा है। हजारों एकड़ भूमि बह जाती है। निचली भूमि में रेत एकत्रित हो जाती है। नदि घाटियों में भूमि-संरक्षण अत्यावश्यक है। वनरोपण और भूमि संरक्षण में ठीक कदम उठाने चाहिएं। मेरे विचार में जब भी हम किसी नदी घाटी परियोजना का आरम्भ करें १० प्रतिशत वनरोपण के लिए रख लेना चाहिए। भूमि संरक्षण के लिए हमें जैसा कि रूज़वैल्ट ने १६३३ में अमेरिका में किया फौज के पदाधिकारियों के अधीन असैनिक संरक्षण निकाय नियुक्त करनी चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरकों का प्रयोग सूझ बूझ से करना चाहिए । हमारे देश का जलवायु युरुप के देशों से भिन्न है । यहां भूमि शीघ्र ही टूट जाती है । भूमि की हानि रोकने के लिए उर्वरकों का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए ।

पशुओं के संबंध में चुनाव बहुत आवश्यक है । भारत में गाओं और भैंसों की संख्या संसार की संख्या की एक चौथाई है । हमारी गाएं और भैंसें बहुत कम दूध देती हैं । आर्थिक दृष्टि से गाय रखना हानिकारक है । हमें गाय का ठीक संरक्षण करना चाहिए । उन्हें अच्छी खुराक देनी चाहि। और उनकी नसल अच्छी बनानी चाहिए ।

बहुत से पशु नहीं रखने चाहिएं । उन में से चुनाव करना चाहिए । उन्हें अच्छी खुराक देनी चाहिए और अच्छी नसल बनानी चाहिए । हमें गाओं पर अधिक ज़ोर देना चाहिए । मैंने आनन्द का पर्यटन किया है ; वहां लोग भैंसें रखते हैं और खेती के बैल बाहर से मंगवाते हैं । गाए दो काम देती है । दूध भी देती है और बैल भी पैदा करती है । हमें यदि गाय से दूध लेना है तो उन्हें अच्छी खुराक देनी चाहिए ।

एक काम शीघ्र बन्द कर देना चाहिए । हमें अपनी गाएं जंगल में ले जा कर छोड़नी नहीं चाहिएं । अधिक घास के चरने से और कुचले जान से जंगली क्षेत्रों में भूमि का कटाव हो जायगा । इस तरह से देश की सारी खुराक वे खा जाएंगी ।

हमें वनरोपण बहुत तेजी से करना चाहिए । हमें प्रविधिक पदाधिकारियों की मन्त्रणा लेनी चाहिए । उन्हें क्षेत्रों में जाना चाहिएं । देहली और कलकत्ता में बैठने से कुछ नहीं होगा ।

†**श्री बृजराज सिंह-कोटा** (झालावाड़) : भूमि के कटाव को रोकने के लिए काफी कुछ हो चुका है । काफी बाकी करने को है । भूमि का संरक्षण कृषि भूमि और भूमि को अच्छा बनाने के लिए बहुत आवश्यक है । पूर्वी राजस्थान के कोटा डिवीज़न में भूमि के कटाव की समस्या का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहां की नदियां कन्दराएं बनाती हैं। भूमि संरक्षण पर अधिक बल देना चाहिए ।

भूमि के कटाव बढ़ने का एक कारण कृषि योग्य भूमि के निर्धारण के विषय में थोड़ी सी गलत नीति है । हमारी जन संख्या बढ़ती जा रही है । इस लिए लोग जो भी भूमि मिलती है उसे खेती के लिए प्रयोग में लाते हों चाहे वह उस काम के लिए है या नहीं । इस को रोकने के लिए कृषि को छोड़ लोगों को और पेरो करने चाहिएं ।

नदियों और खतों के बीच की भूमि का खेती के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । और भूमि इस काम में लाई जा सकती है । ऐसा करने से भूमि का कटाव बढ़ता है, क्योंकि जो झाड़ियां इत्यादि भूमि के कटाव को रोकती है वे काट दी जाती हैं । इस तरह से जब बारिश होती है तो मिट्टी पानी वहां ले जाता है ।

दूसरी बात मैं 'मेढ़े बन्दी' कार्यक्रम के बिषय में कहना चाहता हूं । यह कहा गया है कि वह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है । परन्तु ऐसी बात नहीं है । खेतों के बीच की भूमि का टुकड़ा भी नहीं रखा जाता है । इससे भूमि का कटाव बढ़ता है ।

राज्यों के पुनर्गठन से पहले हमारे हिस्से में एक 'महकमा बन्दाल' (बन्दो की देखभाल करने वाला महकमा) होता था जो कि मौनसून में खेतों पर छोट बान्ध बनाने और उन की मुरम्मत का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजराज सिंह--कोटा]

काम करता था । काराह के कुछ भागों में ये बांध हैं । लगभग पिछले १४ वर्षों में कोई विभाग इन की देखभाल नहीं करता । यदि इन पुराने बांधों की रक्षा का काम किसी विभाग को सौंप दिया जाए तो इस से किसानों को सहायता मिलेगी ।

हम ने गोबर से चलने वाले "गैस पलांट" के बारे में पढ़ा है । सरकार को गांवों में "गैस प्लांट" लगाने के लिए सहायता देनी चाहिएं । इससे जनसाधारण को ईंधन मिलेगा और वे कीमती वृक्षों इत्यादि को काटते हैं जो कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए बहुत आवश्यक हैं ।

सरकार को भूमि के कटाव को रोकने के लिए बांध बनाने चाहिए । बांध बनाने पर जो खर्च होता है उस का भाग ग्रामीणों को देना पड़ता है जोकि उन के लिए भारी होता है ।

जो विद्युत् गांवों को दी जाती है उस का प्रयोग होना चाहिए । सरकार को 'तकावी' ऋण दे देने चाहिए ताकि गांवों के लोग अपने कुंओं में 'पंप लगा लें और उसे अधिक खाद फसलें उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाएं ।

वन्य पशुओं के संरक्षण की समस्या पिछले कुछ वर्षों से महत्वपूर्ण हो गई है । वन्य पशुओं के संरक्षण में कम प्रगति हुई है । कानून ऐसा है कि वन्य पशुओं के मारा करने वाल को ठीक सजा नहीं मिलती । इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाई की जानी चाहिए ।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस भूमि के कटाव की समस्या को अधिक गम्भीरता से देखना चाहिए ।

†**श्री उ० न० ढेबर** (राजकोट) : मैं पशुपालन के विकास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमें ७ करोड़ बैलों की आवश्यकता है । उन में से १ करोड़ के स्थान प्रति वर्ष नए बैल चाहिए । हमारा दुग्ध संभरण दुनिया में सब से कम है । हमें परिवहन के लिए बैलों की आवश्यकता है । हमें गोबर खाद्य के लिए चाहिएं । हम औद्योगीकरण से इतन प्रभावित हो गए हैं । कि हम भूल गए हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और ऐसा रहेगा ।

तृतीय योजना में यह शिकायत की गई है कि पहली दो योजनाओं में पशुपालन में कुछ बाधाएं रहीं । उनमें से कुछ ये थीं---आर्थिक दृष्टि से न लाभ देने वाले फालतू पशु, कम खुराक, नस्ल सुधारने वाले सांडों की कमी । ये एक दूसरे के उन्ट हैं । एक तरफ तो योजना में कहा है कि कई आर्थिक दृष्टि से हानिकारक पशु है । दूसरी ओर "आहारपोषण में कमी" का जिक्र है । हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम पशुपालन की निन्दा करते हैं ।

योजना में यह कहा है कि फालतू पशु पर्याप्त संख्या में हैं । हमें ७ करोड़ बैलों की आवश्यकता है और १९५६ की गणना के अनुसार साढ़े ६ करोड़ बैल हैं । हमें ५ करोड़ गाओं की आवश्यकता है जब कि हमारे पास ४.५ करोड़ गौ हैं । यह समझ में नहीं आता कि पशु कैसे फालतू हैं ।

कृषि प्रधान देश में संकर्षक शक्ति चाहिए । भारत के पास न उस के कृषक के पास ट्रैक्टरों द्वारा खेती करने के संसाधन हैं । हमारे देश को बैलों की संकर्षक शक्ति चाहिए । हमारे पास पशुओं के लिए खुराक की कमी है ।

यदि हम अपनी कृषि को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें संकर्षक शक्ति बढ़ानी है । ऐसा नहीं हो सकता जब तक हम कृषि की माता गाय की क्षमता नहीं बढ़ाते । सरकार को इस दृष्टि-कोण से बटवारे को फिर से देखना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब हम कृषि को गहन बनायेंगे तो तृतीय योजना के तीसरे या चौथे वर्ष में ऐसी अवस्था आएगी जब हमारी बैल शक्ति कम होगी। जब तक क्षेत्रिक आधार मजबूत नहीं होता यह देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो सकता। हमारे कृषि का आधार खाद्य और संकर्षक शक्ति है इस के बिना गहन कृषि नहीं हो सकती ।

पशुपालन विभाग को सरकार को कम महत्व नहीं देना चाहिये। इस ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण काम करना है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को पशुपालन के लिए काफी सहायता देनी चाहिए ।

हम औद्योगीकरण का वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे स्कूलों में औद्योगीकरण की शिक्षा पर ज़ोर दिया जाता है। यह आवश्यक है परन्तु देश की अर्थव्यवस्था के इस पहलू पर कुछ नहीं बताया जाता। हमारी शिक्षा प्रणाली में पशुपालन को भी स्थान मिलना चाहिए।

देश की अर्थ व्यवस्था में कृषि देश की अर्थ व्यवस्था का आधार है। इस आधार को मजबूत बनाने के लिए गाओं की काफी संख्या होनी चाहिए, बैलों की शक्ति काफी मात्रा में होनी चाहिए।

श्री ब्रजराज सिंह (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न और कृषि की मांगों पर बोलते समय ऐसा मालूम होता है जैसे देश की ओर से किसान से मांग ही मांग है। ऐसा मालूम होता है कि देश चाहता है कि किसान ज्यादा अन्न पैदा करे, ज्यादा अन्न दे। इसी तरह से मैं समझता हूं कि किसान की भी देश मांग ही मांग है। उसकी हालत आज जैसी बन रही है, उस में कहा नहीं जा सकता है कि उसको क्या क्या चाहिये और यह बताया नहीं जा सकता है कि काश्तकार की क्या क्या जरूरतें हैं। बहुत सारी बातें उस में हैं। हम अगर गौर से देखें तो खाद्यान्न और कृषि अलग अलग चीजें नहीं रह जाती हैं। ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर एक चीज़ को हम सुधार लें तो दूसरी चीज़ अपने आप उपलब्ध हो जाती है।

खेती की समस्या को अगर हम अलग अलग हिस्सों में बांटें तो हर हिस्से में कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि खेती की समस्या के हम तीन चार टुकड़े बना सकते हैं, उसके लिये तीन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। सब से पहले हमें देखना होगा कि जलवायु हमारे देश में कैसी है। दूसरे हमें यह देखना होगा कि ज़मीन की किस्म कौन सी है। तीसरे हमें यह देखना होगा कि हमारे यहां सिंचाई के साधन क्या है। चौथे हम किस शक्ति का प्रयोग करते हैं, खेती के लिए। इसके बाद हमें देखना होगा कि ढुलाई के साधन क्या हैं और आखिरी बात जो हमें देखनी होगी यह है कि बाज़ार यानी बिक्री के हमारे साधन क्या हैं।

इन सभी हिस्सों पर अगर हम अलग अलग बिचार करें तो मालूम होगा कि हर हिस्से में हमारी व्यवस्था की कमी है। जहां तक जलवायु का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान का काश्तकार जलवायु के बारे में इतना कुछ जान चुका है जितना कि आपके एक्सपर्ट नहीं जानते और न ही वे उसको शायद बतलाने की स्थिति में हैं। उसे मालूम है कि किस समय उसे क्या बोना है, कौन सी फसल उसके खेती के लिए उपयुक्त है और किस से उसे थोड़ा लाभ हो सकेगा, देश को थोड़ा लाभ हो सकेगा।

दूसरी चीज़ ज़मीन की किस्म की आती है। मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह गौर करें कि बड़ी बड़ी अनुसंधानशालायें खोलने से, बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोलने से काश्तकार को कोई लाभ नहीं हो पाता है। अगर वह अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाना चाहे तो मैं समझता हूं कि उसके लिए साधन अपलब्ध नहीं हैं। पहले तो उसे कोई जरूरत होती नहीं थी इसकी क्योंकि वह अपने जानवरों के गोबर की खाद बनाता था और प्रकृति ने उसे एक ऐसी चीज़ गोबर के रूप में दे रखी थी कि जिससे सारी ताकतें ज़मीन की ज़मीन को मिल जाया करती थीं।

[श्री ब्रजराज सिंह]

लेकिन आज नई खादों का आविष्कार हुआ है। ब्लाक के अधिकारीगण जा कर उसे समझाते हैं कि अमोनियम सल्फेट डालो, यह डालो और वह डालो। जब इस तरह की चीज डाली जाती है तो देखना यह होगा कि जिस जमीन में जिस प्रकार की कमी है, उसको पूरा करने किया जाए और किस प्रकार की खाद की डाली जाए ताकि हमारी जमीन की पैदावार नहीं बल्कि पैदावार करने की शक्ति घटने न पाये, बल्कि बढ़े। यह हो सकता है कि नई प्रकार की खाद डाल कर हम एक साल या दो सालों के लिए पैदावार अधिक कर लें। लेकिन देखना यह होगा कि उस पैदावार को लेने के बाद हमने अपनी जमीन की शक्ति में बढौत री की है या उसको घटाया है। इसके लिए बड़े बड़े रिस्सर्च सैंटर खोलने से काम नहीं चल सकेगा। मैं समझता हूं कि ब्लाक लेवेल्ज पर छोटे छोटे रिसर्च सैंटर्ज हों जोकि काश्तकार को बता सकें कि अमुक प्रकार की खाद उसमें लिए जरूरी है और वह किस मात्रा में उसे डालनी है।

तीसरी चीज सिंचाई के साधनों की आती है। जहां तक सिंचाई के साधनों का सम्बन्ध है मैं निवेदन करूंगा कि जैसी बड़ी बड़ी योजनायें हमारी सरकार बना रही है, उनको देख कर तो ऐसा लगता है जैसे इन रकमों का केन्द्रीकरण करने वह जा रही है। भाखड़ा नंगल बना लिया और इसी प्रकार की और योजनाओं को पूरा कर लिया गया है। हर तरफ बड़ी बड़ी योजनाओ को केवल देख कर खेतीहर को अधिक फायदा नहीं हो सकता है। इसका कारण स्पष्ट है। हमें देखना होगा कि बड़ी योजना और छोटी योजना में कितना अन्तर होता है। बड़ी योजना में बड़ा रुपया चाहिये, बड़ी जमीन चाहिये। अगर उसके लिए रुपया नहीं है तो विदेश रुपया हमें दे देते हैं। लेकिन जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, वह तो हमें विदेश ला के नहीं दे देंगे। हम बनायेंगे उन्हें ऐसी जगहों पर जहां काश्त के लिये पानी बहुत ज्यादा अवश्य हो और काश्त की ही धरती पर हम उसका निर्माण करेंगे और बड़े बड़े भूभाग उस के नीचे डूब जायेंगे। फिर हमें जरूरत होगी एक्सपर्टस की, और हमें बाहर से एक्स्पर्टस मंगाने पड़ेंगे। तब कहीं हमारी योजना एक लम्बी अवधि में, एक लम्बा खर्च करने के बाद और लम्बी चौड़ी जमीन को हड़पने के बाद तैयार होती है, और तैयार होने के बाद भी वह पानी समय से देगी, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आज कि जो नहरें हैं उन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वे सब बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत ही बनी हैं, पर उन से देश के काश्तकार को कोई अधिक लाभ हो रहा हो, ऐसा कोई खेतिहर कहने को तैयार नहीं होगा। सदा यह होता चला आया है कि खेती इस आशा पर काश्तकार करता है कि नहरें हैं। जब भी कभी कोई ब्लाक अधिकारी जाता है वह सदा बतलाता है कि तुम को जून में चारा बोना चाहिये। अरे भाई, क्यों नहीं बोते ? तुम्हारी ऐक्शन कमेटी है, नहर है, तुम्हें समय से पानी मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर कभी हो नहीं पाता। कहीं अगर छोटी सी बीच हो गई तो लम्बी चौड़ी खेती समाप्त हो गई। भारी भारी योजनाओ में अगर थोड़ी सी दरार पड़ गई तो करोड़ों अरबो बीघे जमीनों के मालिक मुंह देखते रह जाते हैं। अक्सर यह देखने में आता है। वाटर लागिंग की समस्यायें इन्हीं बड़ी योजनाओं के कारण हमारे देश में उत्पन्न होती हैं। उन के बरअक्स अगर हम छोटी योजनाओं को देखें तो छोटी योजनाओं में थोड़ा पया और अपने देश के ही साधन पर्याप्त होते हैं। यहां के मेकनिक पर्याप्त होते हैं। जगह घेरने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। हर काश्तकार अपने खेत के लिये छोटा सा कुंआं बनाये या बोरिंग करे तो वह जगह बरबाद नहीं होती। उस के बिगड़ जाने पर भी देश को कोई बड़ा भारी झटका नहीं लगता। एक काश्तकार की अगर थोड़ी सी जमीन उस की अपनी लापरवाही के कारण रह गई तो वह शिकायत करने नहीं जायेगा, दूसरे धक्का भी बिलकुल नहीं लगेगा। फिर देखिये कि उन के पानी का कितना उपयोग होता है। मैं ने जो कुछ पढ

कर देखा है उस से मालूम पड़ता है कि बड़ी योजनाओं में ५५ से ६० प्रतिशत तक ही पानी सिंचाई के उपयोग में आता है। छोटी योजनाओं में ९० से ९५ प्रतिशत तक पानी काश्तकार अपने ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसी हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें हमें छोटी योजनाओं की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

तीसरी चीज आती है कि कौन सी शक्ति से हम खेती करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जितने पैसों के ट्रैक्टर हम हिन्दुस्तान में मंगा लेते हैं उतने पैसे बेकार जाते हैं, ऐसा मेरा मत नहीं है, वह तो उपयोगी ही होते हैं। उन से बड़ी खेतियां होती हैं। पर एक लालच वह उत्पन्न करता है खेतिहरों के मन में। जहां पैसा इकट्ठा हुआ, ट्रैक्टर खरीदने की बात आई तो काश्तकार के मन में आता है कि इतने बड़े हाथी के लिये इतना बड़ा चारा भी चाहिये। मुझे अधिक जमीन किस प्रकार लेनी चाहिये ताकि हम बड़े ट्रैक्टर को पाल सकें। सुख मिलता है उन को। कहां पैदल चलना और कहां सीट पर बैठ कर चलना, कहां बैलों के लिये चारा तलाश करना और कहां फर से डीजल इंजिन के ऊपर बैठ कर चल दिये। बड़ा सुख है। उस सुख को बनाये रखने के लिये काश्तकार को सूझता है कि येन केन प्रकारेण बेईमानी करो, चोरी करो, कुछ करो, अधिक जमीन मिलनी ही चाहिये ताकि वह सुख उस से छिनने न पाये। जब इतनी सुविधायें मिल जाती हैं तो बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दौड़ पड़ते हैं कि अरे, अब तो बड़ा आसान हो गया। एक बड़ा ट्रैक्टर लिया और यहां से वहां तक जमीन अपने काबू में आ सकती है। इस तरह से उन का लालच चलती है। उन का पेशा नहीं है खेती। वह खेती को उस श्रद्धा से नहीं कर सकते जैसे कि एक खेतिहर करता है। पर सुख सुविधायें और अन्न की पैदावार उन को आकर्षित करती है और वे भी बड़े बड़े फार्म बनाने के लिये तैयार हो जाते हैं। दोनों बातें हमें देखने होंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि हमारे डेबर साहब ने अभी कहा, कि भारतवर्ष के लिये इन नये साधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है। शायद हो, मैं नहीं कह सकता, पर इतनी नहीं है जितना उन की ओर हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं। हमें ध्यान देना है अपनी साधारण बैल वाली शक्ति की ओर। इस से हमें और भी बहुत से लाभ हैं।

चौथी चीज आती है कि हम अपने अनाज को कहा ले जायें। कहां से हमें उस के सही पैसे मिलें इस में एक लम्बा ब्योरा है, कई प्रकार की चीजें हैं। खाद्यान्न अलग हैं और पैसे वाली क्राप अलहदा हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उन को मैं अलग लूंगा। फिर भी बैलों से ढो कर ले जाने के लिये सड़कें चाहियें या कोई और साधन चाहियें जिस में हम किराये पर अपनी चीजों को ले जा सकें। ऐसे साधन अभी हमारी सरकार खेतिहरों को उपलब्ध नहीं कर पाई है। ऐसा करने से पहले यह भी सोचना होगा कि अगर हम सड़कें बनायें तो इस प्रकार की सड़कें न हों कि उन से भी हमारी परेशानी बढ़ जाये जैसे कि बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं से बढ़ गई हैं। खैर, यह एक टेकनिकल मामला है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या हमें करना होगा इस मामले में, कैसे सड़कें बनानी होंगी, कनाल के किनारे वाली सड़कें ज्यादा उपयोगी होंगी या सीधी सीधी वाली ज्यादा उपयोगी होंगी। यह हम को जमीन के लेवेल और वाटर लेवेल को देख कर बनानी होंगी। बहरहाल काश्तकार को सुविधा होनी चाहिये कि वह अपना गल्ला ले जा कर सही मार्केट में बेच सके।

अब सवाल आता है कि काश्तकार क्या क्या फसल बोता है, किस ओर उसका ध्यान जाता है। कुदरती पर आज सब से बड़ी समस्या जो काश्तकार के सामने वह केवल अन्न की नहीं है। वह जो कुछ भी पैदा करता है उस में से मोटा से मोटा अनाज हो, सस्ते से सस्ता अनाज हो, काश्तकार केवल उस को खा कर अपनी और अपनी औलाद की जिन्दगी पालता है। उस के सामने जो समस्या है वह और बाकी चीजों की है। कपड़े की है, लोहे की है, लकड़ी की, बरतनों की, हर प्रकार की दवाओं

[श्री ब्रजराज सिंह]

की, बच्चो को पढ़ाने के साधनों की है, इन सब चीजों की चिन्ता उस के सर पर सवार रहती है। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिये उसे मजबूर होना पड़ता है कि वह ऐसी फसलो को पैदा करे जिन से उसे अधिक से अधिक पैसा मिले। उस का ध्यान इस तरफ हो जाता है क्योंकि उस की जरूरियात की चीजें मंहगी होती चली जाती हैं दिन ब दिन। इस लिये उस का ध्यान अधिक अन्न उपजाओ की तरफ नहीं जाता, उस का ध्यान अधिक पैसा पैदा करो की तरफ जाता है। नतीजा यह निकलता है कि वह गन्ना पैदा करता है जब कि हिन्दुस्तान को गन्ने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीनी चाहिये ही नहीं। पर काश्तकार क्या करे? उसे तो गन्ना पैदा करना है। पैसा चाहिये क्योंकि और जरूरियात पूरी करनी हैं। वह तम्बाकू पैदा करता है। नहीं चाहिये तम्बाकू। तम्बाकू के बगैर हिन्दुस्तान मर नहीं जायेगा मगर काश्तकार जरूर मर जायेगा, क्योंकि उसे पैसा चाहिये अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिये। वह पैदा करता है अफीम। मुमकिन है कि अफीम की हमें जरूरत हो, पर मैं समझता हूं कि अफीम काश्तकार अपने लिये नहीं पैदा करता है। वह पैदा करता है पैसे के लिये। इन सब चीजों के रिटर्न्स देखिये। नतीजा यह निकलता है कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, इन सब चीजों का रकबा कम होता जाता है, ईख और हमारे कई कई इलाकों में जूट वगैरह भी है, या तम्बाकू इन सब का रकबा बढ़ता चला जाता है, अफीम का रकबा, मैं समझता हूं अधिक बढ़ता चला जाता है। मगर इसमें भी उसे पूरा रिटर्न मिलता है या नहीं, उसकी आशा पूरी होती है या नहीं? फिर भी उसकी आशा पूरी नहीं होती। अगर वह गन्ना पैदा करता है तो उसको उसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है यह मैं हाउस को बताना चाहता हूं। कम से कम तीन महीने २४ घटें लग के काश्तकार को खेत तैयार करना पड़ता है, उसके बाद बुवाई करने के बाद से फसल कटने तक कोई दिन काश्तकार का खाली नहीं जाएगा जब कि उसे कोई न कोई आपरेशन उस पर न करना हो। पूरे ११ महीने मेहनत करने के बाद उसको गन्ना नसीब होता है कितनी परेशानियों के बाद। न मालूम इस बीच म कितनी बार नहर का पानी खत्म होता है, कितनी बार नहर के पानी पर वर्षों के पानी लग जाता है, कितनी बार ऐसा होता है कि वह खुदाई करने जा रहा है और पानी बरस जाता है। इसके बाद भी उसे क्या मिलता है यह आपके आंकड़े बता देंगे। जो आप काश्तकार को एक मन गन्ने का एक रुपया ११ आना देते हैं उसमें उसको कुछ बचता नहीं।

एक माननीय सदस्य : एक रुपया दस आना।

श्री ब्रजराज सिंह : तो उसमें काश्तकार को कोई विशेष सुविधा नहीं मिल जाती कि वह समझे कि मुझे इतना पैसा मिल गया चलो शादी विवाह कर डालो, या बच्चों के लिए कपड़े बना लो। और यह भाव भी उसको उस एरिया में मिलता है जिसको आप फैक्टरी एरिया कहते हैं। अगर वह उस फैक्टरी एरिया के एक कदम भी उधर चला गया तो मालूम है उसका क्या भाव मिलता है? दस आने एक मन का। इसमें कोई चैलेंज करने की बात नहीं है। यह तो मेरे अपने सिर पर बीतती है। इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं है।

इधर फैक्टरी वाले अपने नाम बांड भरवा लेते हैं, एक हजार, दो हजार, चार हजार या दस हजार मन का। उनका कोटा चलता है। उधर उसके पड़ोसी जो फैक्टरी एरिया से बाहर हैं वह छटपटाते हैं कि अपना गन्ना कहां ले जाएं। उनको दस आने मन मिलता है। अगर फैक्टरी एरिया वाले उनका

गन्ना १२ आने मन पर ले लेते हैं तो वे उनके गुलाम हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज अगली बार भी हमारा थोड़ा सा गन्ना फैक्टरी में भेज दें। यह हालत है।

अब फिर वही सवाल आते है। बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं। उनका तो थोड़ा एरिया होगा। उस चिराग की रोशनी तो थोड़ी दूर में फैलेगी। लेकिन यहां के लिए चाहिए ऐसा चिराग जिसकी रोशनी घर घर फैले। कोई ऐसी फैक्टरियां या प्रोसेसिंग सटेर बनाए जाएं ताकि काश्तकार को कहीं भी दो तीन मील से ज्यादा अपना माल ले कर न जाना पड़े और हमारे देश का सारा गन्ना क्रश हो जाए। यदि ऐसा हो तो मैं समझता हूं कि किसान सुखी हो सकता है और जो वह आशा करता है वह पूरी हो सकती है। फिर भी मैं चाहता हूं कि उसको इस ओर नहीं दौड़ना चाहिए। मगर वह क्या करे मजबूर है।

अब मैं कुछ बरेली जिले की बात कहना चाहता हूं। वहां अफीम की खेती होती है। अफीम खेती में जो परेशानियां हैं मैं समझता हूं उनको इस हाउस में कम लोग जानते होंगे। सबसे पहले दादनी की बात आती है।

†**एक माननीय सदस्य** : यह दादनी क्या चीज है ?

†**श्री बृजराज सिंह** : यह एडवांस है जो एक्साइज डिपार्टमेंट पहले से काश्तकारों को देता है कि तुम अफीम का खेती करो और हम तुम्हारी प्रोड्यूस ले लेंगे। बहुत थोड़ा पैसा मिलता है। इस दादनी को प्राप्त करने के लिए काश्तकार को क्या क्या करना पड़ता है यह न कहा जाए तो अच्छा है। कोई भी पड़ोस में इंनफ्लूएंस वाला आदमी हो तो काश्तकार उसके पैर दबाने से लेकन, गालियां सुनने से लेकर हर प्रकार का ह्यूमिलिएशन बरदाश्त करता है ताकि वह उसको दादनी दिलवा दे। ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि यह वही समय होता है जब कि उसको पए को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वह इस वक्त किसी भी प्रकार रुपया लाएगा और खेती करेगा। किसान की दादनी देने के बाद रकबा एलाट कर दिया जाता है कि तुम डेढ़ बीघा करोगे, तुम चार बीघा करोगे, तुम पांच बीघा करोगे। दादनी मिलने के बाद काश्तकार उस एरिया को बो देता है। बोने के बाद, अभी फसल तैयार नहीं हो पाई कि इससे पहले इंस्पेक्टर साहब आते हैं और उनके साथ एक चपरासी आता है जो लकड़ी का गटठा ले कर आता है और उसको खींच कर इस प्रकार खेत को नापता है कि काश्तकार के एक बीघा को डेढ़ बीघा बना देता है। काश्तकार से कहा जाता है कि तुम ने एक बीघा के स्थान पर डेढ़ बीघा क्यों बोया। इसके लिए पहले तो तुम जेल जाओ और अपनी औलाद से कह जाओ कि वह खेती को देखे। काश्तकार को मालूम नहीं होता कि उसका एक बीघे का खेत डेढ़ बीघा कैसे हो गया। उसके बाद वह कुछ पैसा देता है या चाय पिलाता है तो उसका डेढ़ बीघा फिर एक बीघा हो जाता है।

यह तमाम मुसीबत उठाने के बाद काश्तकार को फसल इकट्ठी करनी होती है। दूध ठीक सूखना चाहिए। अगर ओस ज्यादा पड़ गयी तो फसल गारत हो जाती है, अगर धूप ज्यादा पड़ गई तो फसल खराब हो जाता है, पानी गिर गया तो फसल गारत हो जाती है। तो ऐसी कमजोर फसल होती है।

उसके बाद वह अपना माल लेकर आता है तो उसका एक अफसर ग्रेडिंग करता है। यह ग्रेडिंग वह आंखों से करता है। उनकी आखें बोलती हैं और काश्तकार से कहती हैं कि बताओ कैसा गडिंग करें, ३२ रुपए का करें, या तीस रुपए का करें या २८ रुपए का मुझे पता नहीं कि उनकी आंखों में क्या बातें होती हैं कि २८ रुपए का तीस रुपया हो जाता है और तीस का २८ हो जाता है।

! मूल अंग्रेजी में

[श्री बृजराज सिंह]

आप गौर करें कि उसको २७ रुपए सेर अफीम की कीमत दी जाती है जबकि ब्लैक में ८००रुपए सेर वही अफीम उसके घर से बिक सकती है। मैं समझता हूं कि मुझे उस काश्तकार की सही तस्वीर खींचने की जरूरत नहीं, आप जान सकते हैं कि जिसे मजबूरी हो पैसे की अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए, उसकी क्या मानसिक दशा हो सकती है। क्या किसी भूखे के आगे अच्छे अच्छे व्यंजन परोस कर हम आशा कर सकते हैं कि वह उनको नहीं खाएगा जब उससे कहा जाता है कि घर पर ही एक सेर अफीम के ८०० रुपए ले लो क्यों मारे मारे फिरते हो, तुम को वहां २७ रुपए सेर मिलेगा और दो तीन दिन बैठे रहने होगा, ग्रेडिंग कम होगा। उससे कहा जाता है कि हमसे रुपया ले कर पांच सात रुपये इंस्पेक्टर को देकर लिखवा लो कि फसल खराब हो गयी और हमसे ८०० रुपया ले लो। तुम को इससे कोई मुसीबत आने वाली नहीं है। आप देखें कि काश्तकार इस लालच को कैसे संवरण कर सकता है। आप उसकी इस मजबूरी को देखें। मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे। बजाए हमारा इम्तिहान लेने के तो यह अच्छा है कि इस काम को बन्द कर दिया जाए।

हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस रोज कहा कि हमारा नैतिक स्तर नीचा नहीं है बल्कि हमारा पैसे का स्तर नीचा है। हो सकता है कि लन्दन में जो दरवाजे पर दूध की बोतल रख दी जाती है उस को कोई नहीं उठाता। लेकिन अगर हमारे देश में ऐसा किया जाए तो लोग उसे उठा लेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वहां लोग इसलिए उसे नहीं उठाते कि उसको बेच कर उनको एक सिगरेट भी नहीं मिलेगी और यहां इसलिए उठा ले जाएंगे कि शायद उसके बच्चों ने पहले दूध पिया ही न हो और वह उनको पिला देगा।

अब मैं तीसरी बात पर आ रहा हूं। मुझे पशुधन के बारे में कुछ कहना है। कहा जाता है कि अच्छे गाय बैल पालो। ब्लाक में सबसिडी पर गाय दी जाती है। मुझ से भी कहा गया था कि अगर आप चाहो तो हिसार से आपको दस रुपए के हिसाब से गाय मिल सकती है। और किराया आदि देकर वह तीस चालीस रुपए में पड़ेगी। यह हो सकता है कि इधर की गाएं अच्छी होती हों लेकिन सवाल तो यह है कि उनको काश्तकार खिलाएगा कहां से। उसके पास इसके लिए कोई सूरत नहीं है। जमींदारी एबालिशन हुआ तो जैसे ही जमींदारी एबालिशन एक्ट में आया वैसे ही जमींदार ने अपना बंजर तुड़वा कर देर कर दिया। उसके बाद अधिवासी कानून बना जिसमें कहा गया कि अगर तुम अधिवासी हो तो पूरे राइट्स मिल जाएंगे। इसलिए लोगों ने बहुत से बंजर खत्म कर दिए। उसके बाद भी जो बंजर रह गए उनको ग्राम समाज की मैंनेजमेंट कमेटी के मैनेजमेंट ने अपने भाई भतीजों को दे कर खत्म कर दिया। बाकी क्या रह गया? वे बंजर, जो खेती में उठाए नहीं जा सकते, वे आज इस लिए रिटेन किये जाते हैं कि वहां पर पैदा होने वाले सींक, सेठा, भरा और पतेल आदि भी जरूरी अंग हैं। अगर वे न होंगे तो छप्पर नहीं छाए जायेंगे।

अगर जानवरों को घास खिलाते हैं, तो छप्पर खत्म और अगर छप्पर रखते हैं, तो जानवरों का दूध खत्म। इस लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक पैस्ट्युर लैंड्ज़ नहीं होंगी, तब तक आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन के द्वारा अच्छी नस्ल की गायें और बैल तैयार करने और काश्तकार की तरक्की की बात सोचना बेकार है। ये ब्लाक और ब्लाक अधिकारी कुछ काम नहीं आयेंगे, चाहे कितनी ही खाद मुहैया की जाये और कितने ही बाढ़ बराबांध बनाए जायें—उन का पानी सब जगह पहुंचने वाला नहीं है, जब तक कि . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बृजराज सिंह : बहुत अच्छा : धन्यवाद ।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** (बुलन्दशहर): यह बड़े खेद की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ साथ ही भारत सरकार का काफी ध्यान खाद्यान्नों की कमी की ओर लगा रहा है । जिसके कारण देश के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ध्यान कम जा सका । भारत जैसा व्यापक कृषि प्रधान देश अपने यहां इतना भी पैदा न कर सके कि वह अपनी खाद्य समस्या को हल कर सके तो यह दुर्भाग्य पूर्ण ही कहा जायेगा । हमें तो खाद्यान्नों के आयात के स्थान पर उसका निर्यात करना चाहिए फिर भी यह सन्तोष का विषय है कि हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने बड़ा शानदार काम किया है और आगे से स्थिति बहुत हद तक सुधरी है । यद्यपि अभी खाद्यान्नों की कमी है, परन्तु फिर भी उत्पादन बढ़ रहा है और उसे बढ़ाने के सारे प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु समस्या यह है कि आबादी के बढ़ जाने से अनाज की फिर कमी रह जाती है। कुछ भी हो हमें अपने देश में इतना तो पैदा करना ही है कि हमारी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। मेरा मत यह है कि हमारा किसान अयोग्य नहीं है । यदि उसे पूरी सुविधायें प्रदान की जायें तो यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वह कमाल कर दिखायेगा । उसमें वह तमाम गुण है जो कि दूसरे देशों के किसानों में होते हैं । हमारे कृषि औजार भी इतने अनोपयोगी नहीं जितने कि समझे जाने लगे हैं । हां, इतना मैं स्वीकार करता हूं कि उनका सुधार हो सकता है । एक दम खर्चीले पश्चिमी ढंग अपना लिये गये । अभी आर्थिक दृष्टि से हमारा किसान उन ढंगों को अपना नहीं सकता । इतना मैं कह सकता हूं कि यदि किसानों की कुछ सामान्य कठिनाइयां दूर कर दी जायें तो देश भर में खाद्यान्न उत्पादन की काफी वृद्धि हो सकती है ।

मेरे क्षेत्र में तो किसानों की सब से बड़ी कठिनाई यह है कि उन्हें सिंचाई के लिये समुचित जल उपलब्ध नहीं होता । केवल एक तिहाई भूमि पर सिंचाई हो पा रही है । कई स्थान तो ऐसे हैं जहां पानी है ही नहीं । सिंचाई परियोजना में सरकार को ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये । पानी के बिना तो कृषि में सुधार सम्भव नहीं हो सकता । एक और मनोरञ्जक बात यह है वहां नहरों की व्यवस्था की गयी है, ट्यूब वैल लगाये गये हैं वहां भी पानी की कमी है, हालांकि सिंचाई विभाग के कागजों में उस क्षेत्र को बिलकुल ठीक घोषित कर रखा है । वहां भी किसान की ५० प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा । पानी लेने के लिए किसान को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। कई तरह की घूस देनी पड़ती हैं, कई प्रकार की और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। जहां सिंचाई सुविधायें सरकार दे रही है, वहां और अधिक कुंये खोदे जाने चाहिएं ताकि जल सम्भरण की समस्या किसी हद तक हल हो सके ।

खाद और उर्वरकों की समस्या भी बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है । इसके बिना अन्न उत्पादन का कार्य अधिक प्रगति नहीं कर सकता । इसके लिए मेरा निवेदन है कि सरकार को कुछ ऐसे अच्छे और योग्य व्यक्ति नियुक्त करने चाहिएं जो कि गांवों में जाकर किसानों को इस का प्रयोग समझायें। अभी तक हमारा किसान इसके प्रति इतना जागरूक नहीं है । इसी तरह गांवों में ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग कर लिया जाता है । क्या सरकार किसानों को कोई सस्ता ईंधन दे सकती है ताकि वे गोबर का प्रयोग छोड़ दें । गोबर को अन्य अन्न उत्पादन साधनों में लाभदायक ढंग से प्रयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार भूमि विश्लेषण भी किया जाना चाहिए ताकि समय समय पर यह पता लग सके कि भूमि को किस प्रकार उत्पादन योग्य बनाया जा सकता है । बीज भी अच्छे उपलब्ध नहीं हो रहे । इसकी भी व्यवस्था करने की दिशा में कोई पग उठाया जाना चाहिए ताकि बीजों की शुद्धता को कायम रखा जा सके । किसानों की आर्थिक सहायता भी की जानी चाहिए । उन्हें कर्ज इत्यादि की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिएं । कर्जा लेने के ढंग को तनिक सरल बनाना चाहिए । कर्जे में उसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र पाल सिंह]

मशीनरी उर्वरक इत्यादि भी दिये जा सकते हैं। अन्त में मेरा सरकार से पुनः यह निवेदन है कि उन्हें किसानों की कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** (जम्मू और काश्मीर) : यद्यपि मंत्री महोदय ने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया परन्तु उन्होंने दिल्ली के चैम्बर आफ कामर्स में जो भाषण दिया है उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा कि अनाज के वर्तमान मूल्यों के स्तर को कायम रखा जायेगा और हमारा कृषि उत्पादन आगे से काफी बढ़ा है। पहिले हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर होना था अब यह हो रहा है कि हमें इतना उत्पादन करना है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके अनाज का निर्यात भी करें। मंत्री महोदय ने ठीक ही ऐसी आशा प्रकट की है कि ऐसा समय आने वाला है। परन्तु मेरा निवेदन है कि इतना कुछ करने और शोर मचाने के बाद क्या हम इस स्थिति में हैं कि निश्चित रूप से यह कह सकें कि हम दो तीन अथवा पांच वर्षों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। मुझे तो यह दिखाई देता है कि अनाज के मामले में देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। मेरा मत तो यह है कि हमें साहस करके यह बात कह देनी चाहिए। प्रति वर्ष लम्बे लम्बे प्रतिवेदन प्रकाशित कर खेद प्रकट करते रहने का कोई लाभ नहीं हो सकता।

अब तक तो हमारी नीति यह रही है कि जहां से भी अनाज मिले उसे लिया जाये, परन्तु अब हमें उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाना होगा। यह वृद्धि ५० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक होनी चाहिए। पशुधन का विकास और अच्छे प्रकार के बीजों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं ने कृषि आयोग की स्थापना की बात की थी। मन्त्रालय द्वारा जितनी भी समितियां नियुक्त हुई थीं उन सब ने भी इस बात पर जोर दिया था। पता नहीं सरकार इस दिशा में आनाकानी क्यों कर रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे। सरकार को इस बारे में बड़ा स्पष्ट निर्णय करना चाहिए।

सरकार को यह भी देखना चाहिए कि उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य से जो भी आन्दोलन उसके द्वारा चलाये जाते हैं वे जारी भी रहते हैं कि नहीं। कृषि अनुसंधान के कार्य को बहुत सी संस्थायें कर रही हैं, उनमें किसी भी प्रकार का सहयोग और समन्वय नहीं। मंत्रालय को इस बारे में कुछ करना चाहिए ताकि देश भर में जो कृषि अनुसंधान का कार्य हो रहा है उसका कुछ समन्वय हो सके। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को भी कुछ और अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। देश भर में लगभग १३, १४ ऐसे निकाय हैं जो कृषि अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त अफसोस की बात है कि हम अपने देश के बुनियादी कृषि उद्योग को अलक्षित कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर अगर आप सरसरी नजर डालें तो इस में इस उद्योग के लिए जितना रुपया रखना चाहिए उतना नहीं रखा गया है।

आप जानते हैं कि इस मुल्क में तकरीबन ८० फीसदी लोग कृषि उद्योग पर ही निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार और दूसरे उद्योगों को बढ़ावा दे कर मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते हैं उसी तरह एग्रीकल्चर के उद्योग को जो कि हजारों साल से चला आ रहा है और जो कि एक बुनियादी उद्योग है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। वास्तव में इसके लिए बजट का ८० प्रतिशत रुपया रखना चाहिए लेकिन अगर आप इतना नहीं रख सकते तो कम से कम ५० फीसदी तो एग्रीकल्चर, एनीमल हसबेंडरी और इससे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे कामों के लिए अवश्य रखना चाहिए। पैसे

†मूल अंग्रेजी में

की इतनी कमी होने के कारण इस मंत्रालय ने जो काम किया है वह शायद ही इस बड़े प्राबलम को साल्व कर सकता है।

अपने इस थोड़े से वक्त में मैं चन्द डेवेलपमेंट एरिया के प्राबलम्स के बारे मे और एग्रीकल्चरल लैंडलैस लेबर के कुछ मसायल पेश करना चाहता हूं। आपने सहकारी खेती के काम को हाथ में लिया है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानून बनाय गये हैं। मेरा सुझाव है कि उन कानूनों के मातहत जो जमीन हासिल होती है उसका कोआपरेटिव फर्म आरगेनाइज करके लैंडलैस लेबर को दिया जाये। यह जमीन लोगों को वैयक्तिक रूप में न देकर उसका कोआपरेटिव फार्म बना कर दिया जाये ताकि वे मिल कर उस पर काम कर सकें।

इसके अलावा मेरा यह सजेशन है कि एक कानून आल इंडिया लेविल पर बनाया जाये कि कोई भी किसान अपने से छोटे किसान की जमीन नहीं खरीद सके। जिनके पास उससे ज्यादा जमीन है उससे जमीन ले सकें। इससे दस बारह साल में ईक्वलाइजेशन हो सकेगा। अभी यह होता है कि जिन लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है वह छोटे जमीन वाले से पसा देकर एक घं में उसकी जमीन खरीद लेते हैं। इस सिस्टम को खत्म किया जाय और कोई आदमी अपने से कम जमीन रखने वाले से जमीन न खरीद सके।

दूसरी बात मैं उन लैंडलैस लेबरर्स के बारे में कहना चाहता हूं जो कि बतौर टिनेंट जमीन जोतते हैं। इनको मारगेज बैंक से कर्जा नहीं मिलता। अभी नियम यह है कि इन बैंकों से केवल जमीन के मालिक को ही कर्जा मिल सकता है। मेरा सजेशन है कि इन टिनेंट्स को भी कर्जा मिलना चाहिए और मौजूदा सिस्टम को रिवाइज करना चाहिए। अभी नियम यह है कि एक रुपये की लैंड रेवेन्यू पर १६ रुपया कर्जा मिल सकता है। इस सम्बन्ध में आज-कल स्थिति यह है कि बावली खोदने के लिये १ रुपया लैंड रेवेन्यू पर ६० रुपये दिये जाते हैं। उस से ज्यादा नहीं दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस पालिसी को रिवाइज़ किया जाये, क्योंकि वर्तमान नीति के अनुसार केवल दो तीन सौ रुपया मिलता है और यह स्पष्ट है कि इतनी छोटी रकम से बावली नहीं खोदी जा सकती है। इसका परिणाम यह है कि इस सिलसिले में हमारा जो मकसद है—वह मकसद है सिंचाई के लिए ज्यादा सुविधायें उपलब्ध करना—, वह पूरा नहीं होता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि एक बावली के लिए दो, ढाई हज़ार रुपये दिये जायें, ताकि छोटे काश्तकार सिंचाई से फ़ायदा उठा सकें।

लैंड लेजिस्लेशन करने के बाद ज़मींदारों के पास जो ज़मीन बचती है, को-आपरेटिव फ़ार्मिंग सोसायटीज़ बना कर उस को भूमिहीन किसानों, लैंडलैस लेबरर्ज़, को दे दिया जाये। इस के अलावा दूसरी जगहों पर ज़मीन खरीदने के लिए लैंडलैस लेबरर्ज़ को लैंड मार्गेज बैंक्स से कर्ज़े दिये जायं और ज़मीन को इकट्ठा कर के को-आपरेटिव सोसायटीज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाय।

जैसा कि मैं ने अभी कहा है, एक रुपया लैंड रेवेन्यू पर ६० रुपये देने का जो सिस्टम है, उस को खत्म कर दिया जाना चाहिये। इस सिस्टम के कारण छोटे छोटे ज़मीन वाले बावलियां नहीं खोद पाते हैं और सिर्फ़ बड़े बड़े ज़मींदारों को ही रुपया मिलता है। छोटे ज़मींदारों को जो थोड़ा बहुत रुपया इस सम्बन्ध में मिलता है, उस को वे सोशल फंक्शन्ज़ में खर्च कर देते हैं और जिस मकसद के लिए वह रुपया दिया जाता है, वह पूरा नहीं हो पाता है। मैं सुझाव दूंगा कि मौजूदा सिस्टम को खत्म करके दो चार महीने पहले बन्द किये गये उस सिस्टम को फिर से जारी किया जाये, जिसके मातहत पांच दस एकड़ वाले छोटे ज़मींदारों को बावलियां बनाने के लिए कम्यूनिटी डेवेलपमेंट या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आफ़िसर के द्वारा दो, ढाई हज़ार रुपये दिये जाते थे, जो कि बावलियां खुदवाने के काम की देख-भाल किया करते थे।

[श्री मूर्त्ति स्वामी]

इरिगेशन मिनिस्ट्री नहरों में पानी देती है और उस का काम खत्म हो जाता है, लेकिन उस पानी का किसानों के द्वारा इस्तेमाल किय जाने में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का हाथ होता है। इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसानों को फ़ील्ड चैनल्ज़ तैयार करने के लिए सौ, दो सौ रुपये तकावी के रूप में देती है। लेकिन उस रकम से किसान फ़ील्ड चैनल्ज़ तैयार नहीं कर पाते हैं और इस लिए पानी नहीं ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ़ से इंजीनियरिंग का स्टाफ़ फ़ील्ड चैनल्ज़ निकालने का काम करे। इस प्रकार किसान सिंचाई की सुविधाओं का ज्यादा लाभ उठा सकेंगे।

मैं तुंगभद्रा के क्षेत्र से आता हूं। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट के द्वारा सात लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई करने का टारगेट था, लेकिन इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं, उन से ज़ाहिर होता है कि रायचूर में एक लाख एकड़ से ज्यादा सिंचाई नहीं हो पाई है, हालांकि उस प्राजेक्ट का उद्घाटन प्रधान मंत्री के द्वारा आठ साल पहले हुआ था। इस बारे में जो एक दो खामियां हैं, मैं उन की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

वहां पर एक लोकलाइज़ेशन स्कीम को अमल में लाया गया है। वह स्कीम यहां पर सैक्रेटेरियट में बैठ कर तैयार कर ली गई, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उत्पादन पर उस का जो प्रभाव पड़ रहा है और उस की वजह से किसानों को जो परेशानी हो रही है, उस की तरफ़ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। उस स्कीम के अनुसार गन्ना या धान आदि फ़सलों के लिए एरियाज़ फ़िक्स कर दिये गये हैं। यह तय कर दिया गया है कि इस ज़मीन में गन्ना बोया जाये और उस ज़मीन में धान बोया जाये। किसानों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। उस स्कीम के परिणाम-स्वरूप किसान रोटेशन आफ़ क्राप्स नहीं कर सकते हैं और अगर वे किसी गन्ने के लिए निश्चित ज़मीन पर गन्ने के बजाय धान बो देते हैं, तो उन पर चालीस पचास रुपये जुर्माना किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुंगभद्रा प्राजेक्ट में जिस लोकलाइज़ेशन स्कीम को लाने की कोशिश की जा रही है, उस को फ़ौरन खत्म कर देना चाहिए। वहां के किसानों में इस वक्त इतना दुख और अशान्ति है कि उस का वर्णन मैं इस सदन में नहीं कर सकता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों को फ़सलों के रोटेशन की आज़ादी दी जाये, अर्थात् वे अपनी सुविधानुसार एक ज़मीन पर एक साल गन्ना बो सकें और दूसरे साल पैडी।

जहां तक लैंड रेवन्यू (धारा) का प्रश्न है, वह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब हम स्टेट के सम्बद्ध मिनिस्टर से इस बारे में दर्याफ्त करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि ये मल्टी-परपज़ स्कीम्ज़ सैंटर की हैं और लैंड रेवेन्यू के रेट सैंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन फ़िक्स करता है। एक एकड़ पर गन्ने के लिए ४८, ५० रुपये और धान के लिए २५ रुपये लैंड रेवेन्यू लिया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वहां पर डेवेलपमेंट नहीं हुआ है और किसान इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू देने के काबिल नहीं हैं। चार पांच साल के बाद जब डेवेलपमेंट हो जायेगा और उत्पादन बढ़ जायेगा, तो इतना लैंड रेवन्यू लिया जा सकता है।

एग्रीकल्चरल लेबर एन्क्वायरी कमीशन की पहली और दूसरी रिपोर्टों में दिये गये आंकड़े इस सदन के सामने रखना समय के अभाव के कारण सम्भव नहीं है, लेकिन उन को पढ़ने से यह ज़ाहिर होता है कि एग्रीकल्चरल लेबरर्ज़ की स्थिति बहुत दुखदायक बनती जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि उन की स्थिति में सुधार करने के लिए उन लोगों की को-आपरेटिव फ़ार्मिंग सोसायटीज़ बनाई जायें।

इस के बाद मैं फ़ारेस्ट्स के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क में और खसूसन मैसूर में ऐसे बड़े बड़े फ़ारेस्ट्स हैं, जिन पर हम को फ़ख्र होना चाहिए। हैदराबाद और मैसूर

स्टेट्स में पहले फ़ारेस्ट्स जिस प्रकार जागीरदारों, इनामदारों, राजा-महाराजाओं और नवाबों के हाथों में थ, उसी प्रकार अब भी वे लोग उन के मालिक बन कर बैठ हुए हैं । म अनुरोध करूंगा कि उन फ़ारेस्ट्स पर उन जागीरदारों, इनामदारों और एक्स-रूलर्ज़ के कब्ज़ को खत्म किया जाय और उन को नैशनलाइज़ कर के उन की रक्षा की जाय, तथा उन से होने वाली आमदनी को मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाये । मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं कि करीब छः हजार एकड़ जंगलात को एक्स-रूलर, सोंडूर, को दे देना इस देश और जनता के ति पाप है । ये जंगलात कोई मामूली जंगलात नहीं हैं । आप जानते हैं कि उन में कीमती सैंडलवुड पैदा होता है और उस के एक दो बड़ दरख्त दस दस हज़ार रुपय में बेचे जाते हैं । एक्स-रूलर, सोंडूर, के साथ जो पो ... एग्रीमेंट हुआ था, उस में साफ़ तौर से लिखा गया कि इस बादशाह के शिकार खेलने के लिए यह जंगल है, लेकिन वह उस जंगल के सैंडलवुड और दूसरी पैदावार का इस्तेमाल मालिक की तरह कर रहे हैं । एक बार जंगल के आफ़िसर ने गिरफ्तारी कर के लाखों रुपयों का सडलवुड पकड़ा और उस का चालान करने की कोशिश की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की इन्टरफ़ीयरेंस के कारण वह चालान नहीं हो सका । वे फ़ाइल्ज़ वहीं पड़ी हुई हैं । मैं चाहता हूं कि इस बारे में जल्द से जल्द एक्शन ले कर तमाम जंगलात को फ़ौरन ही अपने कब्ज़े में ले लेना चाहिए । उस से मैसूर स्टेट और सैंटर दोनों की आमदनी में इज़ाफ़ा होगा ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि तुंगभद्रा रेज़रवायर बनने के बाद किसान वहां से पानी लेना चाहते हैं । जो सौ दो सौ गांव तुंगभद्रा प्राजेक्ट में मर्ज हो गए थे, वहां के किसान को-आपरेटिव आधार पर लिफ्ट ईरिगेशन की व्यवस्था करना चाहते हैं । एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को इस प्रकार की छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए दस लाख रुपये देने का अधिकार है । वहां पर हर एक किसान के पास पांच, दस, बीस एकड़ से ज्यादा ज़मीन नहीं बची है । उन लोगों को अपने पांवों पर खड़ा होने के काबिल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को दो चार लिफ्ट ईरिगेशन स्कीम बना कर रुपये से उनकी सहायता करे । मैंने इस बारे में एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था । मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि वहां पर इंजीनियर्स आए और वहां पर ट्यूबवेल्ज़ लगाने की बात हुई। वहां पर ट्यूबवेल्ज़ हों, या लिफ्टी ईरिगेशन हो, कोई भी योजना हो, लेकिन उन लोगों को सहायता देने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए । वहां के आस पास के गांवों के विलेज़र्स बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि कहत के ज़माने में करीब ही पानी के होने के बावजूद उनके खेतों में पानी न होने की वजह से तमाम क्राप्स फेल हो चुकी है । इससे बड़ी भारी तकलीफ हो रही है । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कोई योजना बनायें ताकि दस लाख रुपया ही सही अगर आप दे दें तो मैं किसानों की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि वे भी दस लाख रुपया जमा करके एक कोआप्रेटिव सोसाइटी बना लेंगे और वे इसलिए कि उनको लिफ्ट ईरिगेशन की सहूलियतें मुहैया हो जायें । इस तरह से एक छोटी सी लिफ्ट ईरिगेशन कोआप्रेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है और उसको सकसैस बनाने में आप हाथ बंटा सकते हैं, आप उसकी इमदाद कर सकते हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस सुझाव पर आप विचार करेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस हाउस में देखती आ रही हूं कि जब भी एग्रीकल्चर का मसला ज़ेर गौर होता है तो उसमें बहनों को बहुत कम बोलने का मौका दिया जाता है । और अगर दिया भी जाता है तो बहुत बाद में दिया जाता है । मैं कहना चाहती हूं कि इस मसले के साथ बहनों का बहुत गहरा सम्बन्ध है और उनके प्रयत्न किये बिना इस मसले को आप हल नहीं कर सकते हैं । आप समझते हैं कि शायद बहनों को इसका कोई तजुर्बा नहीं है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि यह आपकी भूल है । मैं आपको यह भी बतलाना चाहती हूं कि विनोबा भावे जी ने जो भूदान आन्दोलन शुरू किया है,

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

उसमें जो भूमि प्राप्त हुई है, उसके बटवारे के लिए हैदराबाद ने एक कानून बनाया है जिसमें यह कहा गया है कि जिसके पास बीबी नहीं है और जिसके पास एक बैल भी नहीं है, उसको जमीन इसमें से नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि उसको काश्तकारी पूरी नहीं बन पाती है । मतलब यह है कि खेती की रखवाली बहनें भी उतनी ही करती हैं जितनी कि पुरुष करते हैं । उनकी जिम्मेदारी घर वालों को खिलाने पिलाने की रहती है और वे अपने इस काम को अच्छी तरह से निभाती हैं । साथ ही साथ वे खेती में मदद भी करती हैं और पशुओं आदि को भी पालती हैं ।

जहां तक अन्न का ताल्लुक है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यह मालूम देती है कि वह केवल बाहर से अन्न हमारे लिये मंगा दे और करोड़ों रुपया इसमें खर्च कर दे । उसकी प्रोडक्शन की जरा भी जिम्मेदारी नहीं मालूम देती है । स्टेट वाले यह कहते हैं कि उन से जितनी पैदावार हो सकती है वे कर देते हैं और जहां तक उस स्टेट के लोगों को, उस स्टेट के जिले के लोगों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, वह उनकी नहीं है, और वे इसके लिये सेंटर की तरफ देखते हैं । सेंटर वाले इसको अपनी जिम्मेदारी न समझ कर बाहर वालों की तरफदेखते हैं । इस तरह से यह रिस-पांसिबिलिटी किसी की नहीं होती है । जहां आपकी रिसपांसिबिलिटी स्टेट्स को अन्न सुलभ शरने की है, वहां जहां तक उपज का ताल्लुक है, फसलें उगाने का सम्बन्ध है, वह जिम्मेदारी भी आपक। अपने ऊपर लेनी चाहिए । ये दोनों जिम्मेदारियां साथ साथ चलनी चाहियें, अलग अलग नहीं ।

जहां तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है मैं यह कहे बिना नहीं रह सकती हूं "पिपलिकादि ब्रह्म पर्यन्त" यानी जमीन पर चींटी से लेकर आकाश में पक्षी तक खुराक सुलभ करना इसकी जिम्मेदारी है । इनको तथा आदमियों को कहां से दूध पिलाना है, खाना खिलाना है, पत्ते खिलाना है, रस पिलाना है, यह सब आपकी जिम्मेदारी है । अभी माननीय ढेबर भाई बोले हैं । उनके भाषण को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि कोई बड़ा आदमी अपने पेट की बात हमारे सामने रख रहा है। लेकिन वह क्यों अपनी इस बात को दस बारह साल तक अन्दर छिपाये रखे रहे और क्यों नहीं उन्होंने पहले इसको कहा, यह मेरी समझ में नहीं आया । उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और यह है भी बिल्कुल ठीक बात । मैं समझती हूं कि पशु धन की उन्नति किये बगैर हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है । पशुओं के लिये चारे का प्रबन्ध होना बहुत आवश्यक है । लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जंगलों में कहीं चारा देखने को नहीं मिलता है । जंगल भी बहुत कम होते जा रहे हैं । बिना चारे के, बिना फाडर के आज जानवर मर रहे हैं । मेरे पास पचास साठ जानवर हैं, उनको खिलाने पिलाने की मुझे इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूं । कृष्णप्पा साहब जो यहां मिनिस्टर थे, वे इस बात को जानते हैं और वे वहां कभी कभी आ जाया करते थे । यह सब जो खिलाना पिलाना है, यह सब औरतों को करना पड़ता है और उनकी ही यह जिम्मेदारी होती है । यह जो चारे की समस्या है, इसको हल करने की आपको कोशिश करनी चाहिये ।

मैं आपके डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहती हूं कि उसने कुछ तो बहुत अच्छे काम किये हैं । आहिस्ता आहिस्ता जो फूड इम्पोर्ट्स हमारी हैं, वे कम हो रही हैं । इसके पहले दो सौ करोड़ से ज्यादा का फूड हम बाहर से मंगाया करते थे और अब यह धीरे धीरे कम हो रहा है । जब हमको बाहर से मंगा कर रोटी खानी पड़ती है तो हमें बहुत दुख होता है , बहुत दर्द होता है । फूड का इम्पोर्ट मैंने देखा है कि १९६१–६२ में कुछ कम हो गया है । इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं । लेकिन जो डिफक्ट्स हैं, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं ।

आपके यहां वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है । जो माल बाहर से आता है, जो शिप्स् बाहर से आते हैं उनके माल को उतारने और रखने में बहुत खराबी होती है । इसका क्या कारण है यह आप

हमें बतायें। बड़े बड़े अफसर आपके क्या करते हैं, मालूम नहीं। मैं समझती हूं कि जब भी जहाज आए या स्टीमर्ज़ आयें, उनका माल वक्त पर उतार लिया जाए। मैंने आपकी रिपोर्ट में पढ़ा है कि २८ लाख वर्थ आफ फूडग्रेंज़ वर स्पायल्ड। ये स्पायल कैसे हो गए, इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। एक एक दाना हमें अच्छी तरह प्रिज़र्व करके रखना चाहिये। अगर फूडग्रेंज़ स्पायल होते हैं तो यह बहुत बुरी बात है। जो लोग भी इसके लिये जिम्मेदार हों, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिये, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये। इस तरह के लासिस को बरदाश्त किसी हालत में भी नहीं किया जाना चाहिये।

दूसरे प्लान में जो आपने टारगेट रखा था वह ११० मिलियन टन का था। दूसरा प्लान खत्म हो गया और तीसरे का भी एक साल खत्म हो चुका है। हमें पता चलता है कि ७६ मिलियन टन ही उत्पादन हुआ है। जो घाटा इस तरह से रह जाता है, उसको आप कैसे पूरा करते हैं, मालूम नहीं। बात यह है कि जो भी पैसा खर्च किया जाता है, उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। आपकी जो मशीनरी है वह अच्छी नहीं है। तजुर्बेकार और इंटेलेक्चुअल्ज़ जो लोग हैं वे सेंट्रल सैक्रेटेरिएट में बैठे रहते हैं और कागजी कार्य करते रहते हैं और बैठ बैठ कर वे थक जाते हैं। प्रैक्टिकल काम वे नहीं करते हैं और न वे प्रैक्टिकल काम करने के लिये बाहर जाते हैं।

जनरल बजट पर जब डिसकशन हुआ था तब मैंने कहा था कि खेती का धंधा एक उत्तम धंधा है, उत्तम उद्योग यह है, बहुत ही श्रेष्ठ उद्योग यह है। लेकिन आज देखा जाता है कि किसान की बात करने वाले तो बहुत हैं लेकिन उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें कोई अच्छे टेक्नीकल्ज़ हैंड्ज़ मिलते नहीं हैं और न ही लेबर काम करने के लिये मिलती है। परसों मैं रेल से हैदराबाद आ रही थी। मैंने देखा है हज़ारों एकड़ जमीन में व्हीट तैयार खड़ी है लेकिन काटने वाले नहीं मिलते हैं। बादल आ रहे थे बरसात आ रही थी, किसान लोग रो रहे थे, कटाई वाले नहीं मिलते हैं। एक दम वे मिल भी नहीं सकते हैं। लास्ट यीअर मैंने एक सुझाव दिया था, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हकीकत की बात यह है कि जब बादल आते हैं तो आपके पास इसके बारे में तमाम इनफार्मेशन रहती है कि इतनी बारिश होगी और आपके पास ही नहीं स्टेट वालों के पास भी यह इनफामशन आती है। उस वक्त तमाम को तैयार रहना चाहिये और लोगों को भी तैयार रखना चाहिये फसल काटने के लिये। बारिश होने से पहले पहले अगर फसल की कटाई हो जाए तो फसल को नुक्सान नहीं होगा। अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब यह है कि न केवल किसान का नुकसान होता है बल्कि देश को भी खाने के लिये अन्न नहीं मिल सकता है और आपको अन्न की कमी महसूस होने लगती है। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो आपने आग को बुझाने के लिये आदमी रखे हुए हैं सभी शहरों में और उन पर आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। कहीं पर आग लगे या न लगे ये लोग चौबीसों घंटे तैयार रहते हैं। इस तरह से आपको भी वक्त पड़ने पर फसलों की कटाई करने का कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। चालीस करोड़ लोगों को खाने पीने के लिए अन्न सुलभ करना कोई आसान बात नहीं है। किसान यह काम बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है बशर्ते कि आप उसकी मदद करें और वक्त ज़रूरत उसकी इमदाद के लिये आयें। उसको नुकसान हो जाता है, लेकिन आप के दिल में कभी रहम नहीं आता है।

शिवमूर्ति स्वामी जी ने एक बात कही है जिसके साथ मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि सैक्रेटेरिएट में बैठ कर आप प्लान करते हैं। एयरकंडिशंड कमरों में बैठ कर आप यह सब चीज़ करते हैं। आपको चाहिये कि बाहर जा कर आप देखें और किसान को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी उस ज़रूरत को पूरा करें।

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

तुंगभद्रा का उद्घाटन हुए आठ दस साल हो गये हैं। अभी भी साठ लाख एकड़ के करीब जमीन ऐसी फालतू पड़ी हुई है जिसके बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है। किसान को पता नहीं है कि उसको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। वह वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि ७९ मिलियन टन के उत्पादन आपने कर लिया है। यह तो हिसाब किताब की बात है। हिसाब किताब में आंकड़े गढ़ने में आपके अफसर माहिर हैं। लास्ट यीअर यह रिपोर्ट थी कि ११० मिलियन टन उत्पादन हो गया है। पता नहीं किस तरह से आप आंकड़ों को हमारे सामने रखते हैं। जब इस तरह की चीजों को आपके सामने रखा जाता है तो कह दिया जाता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लास्ट यीअर कम उत्पादन हुआ था। फिगर्ज़ को उलटने पलटने में आपके लोग बहुत तजुर्बेकार हैं।

आप यह भी देखें कि हमारी पापुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगर पापुलेशन ज्यादा होती है, तो उस के साथ ही साथ कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, मक्खियां, मच्छर इत्यादि भी बढ़ जाते हैं। इनके साथ ही साथ घूस इत्यादि सब कुछ बढ़ जाता है। हमें याद रखना चाहिये कि हमारी पापुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती गई तो १९६६ तक हमें ४८० मिलियन टन के करीब अनाज की जरूरत होगी। इस के अलावा पशु पक्षियों के लिये और वेस्टेज के लिये अलग ज़रूरत होगी। उसी बढ़ी हुई पापुलेशन के वास्ते कितना अनाज चाहिये ? उस के बाद जानवर और पक्षी कितने हो जायेंगे और उन के लिये कितना अनाज चाहिये, आप के दफ्तर में जो नेगलिजेंस है उस की वजह से कितना ज्यादा अनाज चाहिये, यह सब चीजें हमारे सामने आनी चाहियें।

हमारा बजट करीब १२०० करोड़ रु० का है उस में से तीसरी योजना में ऐग्रीकल्चर के लिये ६२६ करोड़ रखा है जो बहुत थोड़ा है। आप में हिम्मत नहीं है, आप लड़ते नहीं हैं, इसीलिये सारे बजट में से सिर्फ ६० प्रतिशत आप को मिलता है।

†**श्री उ० न० ढेबर :** यह सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में था, अब बढ़ गया है।

श्रीमती लक्ष्मी बाई : यह हमारे बजट में है। रिपोर्ट हम को बतलाती है कि हम स्टेट्स को बहुत पैसा देते हैं। १४ करोड़ के करीब ग्रान्ट में दिया और २६ करोड रु० लोन में देते हैं। इस से क्या बनता है ? यह तो ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने एक बिस्कुट रख दिया जाय। उस के सामने बिस्कुट रखते हैं फिर कहते हैं कि हाथी बिस्कुट नहीं खाता। वह सूंड से उस को उठा ही नहीं सकता, वह खोयेगा क्या ? आप को कुछ भी मालूम नहीं है कि स्टेट्स में क्या होता है क्या नहीं होता है और वहां पर कितनी ज़रूरत है।

अब मैं आयल सीड्स के बारे में कहना चाहती हूं। मैं ने कभी नहीं सुना कि काटन सीड्स अयाल लोगों को खाने के लिये दिया जाय। आयल सीड्स का आयल बनाने के लिये करीब ८,००० मिलें हैं। वे वनस्पति बनाती हैं। लेकिन उन में से अच्छे ढंग से बनाने वाली कितनी मिलें हैं ? वहां पर कोई तजुबकार आदमी नहीं है। रिपोर्ट में मैं ने पढ़ा कि कुल १५ लाख टन आयल का डिस्ट्रिब्यूशन किया गया। लेकिन उस में से ज्यादा से ज्यादा ५ लाख टन आयल एग्ज़ामिन हो कर लेबोरेटरीज़ से एक्ज़ामिनेशन हो कर आया, बाकी १० लाख टन वेजिटेबल आयल वैसे ही चला गया लेकिन कोई यह नहीं देखता कि उस को कौन खाता है और खा कर कौन मरता है। आप कहीं भी जाइये, आप को फूड अडल्टरेशन देखने को मिलेगा।

आप कहते है कि आप बच्चों के लिये न्यूट्रिशन फूड बना रहे हैं। यह बड़ी अच्छी बात है कि आप गरीब बच्चों के लिये इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह गरीब बच्चों को मिलता कहां है ? आप बहुत थोड़ा सा बना रहे हैं। मेरा सुझाव है बच्चों की तरफ से कि आप इस चीज को ज्यादा बनायें। न्यूट्रिशन फूड सब स्कूलों में और स्लम एरियाज में देना बड़ा अच्छा रहेगा और आप को इस का श्रेय मिलेगा ।

पुराने जमाने में हमारे यहां महाराज पृथु थे । मैं एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट को बतलाना चाहती हूं कि उस समय के राजे महाराजे गुप्त वेष में जा कर देखते थे कि गांवों में क्या हो रहा है । गुप्त वेष में जा कर चूंकि वह देखते थे इसलिये लोगों के कष्टों को मिटाने का श्रेय लेते थे और युग युग तक जीते थे । लेकिन हम लोग अब आप के सामने खड़े हो कर कहते हैं तब भी आप नहीं सुनते हैं । पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था । आप का सिर्फ डिपार्टमेंट मातृ डिपार्टमेंट है। ढेबर भाई ने बतलाया था कि आप इंडस्ट्रीज़ बढ़ने से पैसा मिलेगा । एग्रीकल्चर बढ़ने से खाना मिलता है । मैं कहना चाहती हूं कि आप का डिपार्टमेंट सब से बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत इम्पार्टेंट डिपार्टमेंट है ।

"भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च प्रथूपदिष्टाम् दुदुहु धरित्रीम्"

मगर आप को

"यं सर्वशैलाः परिकल्प्यवत्सम् मेरोस्थिते दोग्धीर दोहदक्षे"

की तरह से करना चाहिये । जमीन को गाय समझ कर, हिमालय को बच्चा समझ कर औषधि के वास्ते रस को लेना चाहिये। यह आप के हाथ में है । आप को खामोश नहीं बैठना चाहिये । लेकिन हम क्या देखते हैं ? बड़े बड़े बंगले बनते हैं, रोड्स बनती हैं मगर गांवों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है जो प्रैक्टिकल काम है गांवों को फायदा पहुंचाने के लिये और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिये, उस की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे ढेबर भाई ने बतलाया कि प्राइसेज़ बढ़ गईं, लेकिन आप कहते हैं कि प्राइसेज़ नहीं बढ़ रही हैं। मैं चैलेंज करती हूं कि हमारे साथ आप आइये, मैं अपनी कांस्टिट्युएन्सी में आप को ले चलती हूं, तब आप को पता चलेगा कि किसानों को कितनी मुश्किल होती है । आप क्यों नहीं रोकते बाजारों में बढ़ते हुए दामों को ? उस को रोकिये और किसानों को वक्त पर पैसा दीजिये, बैंक बनाइये और पंचायत समिति और जिला परिषद् के हाथों में किसानों को रुपये देने का काम सौंपिये । आप को मालूम होना चाहिये कि एक दम से बाजार बन्द हो जाते हैं देहातों में । कटाई के समय सस्ते दाम पर सब अनाज बाज़ार में आ जाता है बाद में एक दम बाज़ार तेज़ हो जाता है और महंगा मिलता है । इस तरह से किसानों को नुक्सान होता है । किसानों के नुक्सान को आप को रोकना चाहिये गांवों में जा कर । किसानों को वक्त पर खाद, पानी और पैसा मिलना चाहिये । लेकिन आप इस का इन्तजाम नहीं करते हैं । आप को इस का प्रबन्ध करना चाहिये नहीं तो किसान डूब जायेगा और अगर किसान डूब गया तो सब कुछ डूब जायेगा । जैसा कहा गया है कि जब नाव में पानी आ जाये तो उस को दोनों हाथों से निकालना चाहिये । उसी तरह से जो किसानों में गरीबी आ रही है आप को उस को दोनों हाथों से निकालना चाहिये । अगर आप किसानों की गरीबी को मिटाने के लिये कोशिशें नहीं करते तो वह डूब जायेंगे और हम भी डूबेंगे । अगर इस की ओर आप ने ध्यान दिया तो गो सम्पत्ति बनेगी, फारेस्ट बन जायेगा और सब कुछ ठीक बन जायेगा।

†**श्री म० ना० स्वामी** (अंगोल) : पिछली दो योजनाओं के अन्त तक खाद्य उत्पादन में ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां इस बात की खुशी है वहां यह बात समझ में नहीं आती कि खाद्य उत्पादों का मूल्य इतना क्यों बढ़ा है। दूसरी योजना के अन्त तक आकर मूल्यों में ४५ प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी म

[श्री म० ना० स्वामी]

तीसरी योजना से भी हमें कोई विशेष सन्तोष नहीं है । यह कहा गया है कि सभी को इस के लिये सावधान रहना होगा कि चीज़ों के मूल्य अधिक न हों। सम्भवत: इस सम्बन्ध में सरकार सभी यथा संभव कार्यवाही करे। सरकार का कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही ऐसा हुआ है। जनसंख्या के कारण ही मुद्रास्फीति है। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का कहना है कि खाद्य उत्पादन में इस वृद्धि का अनुमान अधिक है । दूसरी योजना में हमारा लक्ष्य ६० लाख टन खाद्यान्न आयात करने का था जिस का मूल्य लगभग २५० करोड़ रुपये था लेकिन वास्तव में हम ने १९० लाख टन खाद्यान्न आयात किया और इस का मूल्य ६६० करोड़ रुपये हुआ। तीसरी योजना में हम ६०५ करोड़ रुपये का आयात करना चाहते हैं। यह आयात योजना के पहले तीन वर्षों की स्थिति का मुकाबला करने के लिये है ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए ।]

द्वितीय योजना के दौरान में उद्योगों के लिये कच्चे सामान का भी आयात किया गया है । इस दौरान में २०० करोड़ रुपये की कपास ३० करोड़ रुपये का जूट आदि का आयात किया गया है। इस प्रकार हम ने कृषि उत्पादों के आयात के लिये बहुत सी विदेशी मुद्रा व्यय की है। अगर अच्छी तरह से योजना बनाई जाती और कृषि उत्पादन के लिये पर्याप्त सावधानी ली जाती तो यह राशि बच सकती थी ।

अब सवाल यह उठता है कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बात का कोई आश्वासन मिलता है कि इस के द्वारा वर्तमान स्थिति में कोई सुधार होगा । मेरा विचार तो यह है कि इस से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। किसानों पर पानीकर, भूमिकर तथा इसी प्रकार के बहुत से अप्रत्यक्ष कर भी लगाये जायेंगे जिस से उन पर भार और भी बढ़ जायेगा ।

सन् १९५४-५५ में खाद्यान्नों के मूल्य में बहुत भारी कमी आई थी । १९५७-५८ में खाद्यान्न के मूल्य फिर से बढ़ गये । जब फसल कटती है तो मूल्य कम हो जाते हैं लेकिन जैसे ही फसल कटने का काम पूरा हो जाता है तो मूल्य फिर बढ़ जाते हैं । इस से किसानों को कोई लाभ नहीं होता। बल्कि थोक विक्रेताओं को ही लाभ होता है । इसलिये मेरा सुझाव है कि निम्नतम मूल्य निर्धारित मूल्य कर दिये जायें और राज्य सरकार यह देखे कि इस मूल्य निर्धारण का पूरा पूरा पालन भी किया जाता है। यह मूल्य निर्धारित करते समय उपभोक्ता की क्षमता एवं अन्य दूसरी बातों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिये ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की समस्या है । वहां तम्बाकू की फसल कटते समय कुछ विदेशी समवाय आ कर खरीद शुरू कर देते हैं और लाचार हो कर किसानों को वही मूल्य लेना पड़ता है । कुछ ब्रिटिश कम्पनियां तम्बाकू की पत्तियां खरीदने का काम शुरू करना चाहती हैं सरकार को चाहिये कि तम्बाकू की बिक्री के लिये वह नये स्थानों की खोज करे । शायद जापान और मिश्र हमारे तम्बाकू को खरीदने के लिये तैयार हो जायें । इसलिये मेरा निवेदन है कि तम्बाकू पर से यह कर उठा लेना चाहिये । आन्ध्र प्रदेश में बहुत दिन से यह मांग की जा रही है कि विरजीनिया तम्बाकू का निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाये । राज्य सरकार का कहना है कि राज्य सरकार

इस मामले में कुछ नहीं कर सकती यह तो केन्द्रीय सरकार का मामला है। दूसरी बात यह है कि किसानों को जो तम्बाकू बोते समय ऋण दिया जाता है उसे बढ़ा कर ३०० रुपये प्रति एकड़ कर देना चाहिये इस से सरकार को बहुत लाभ है क्योंकि किसान लोग उत्पादन शुल्क के रूप में ४० करोड़ रुपये से भी अधिक राशि देते हैं तथा इस से विदेशी मुद्रा भी काफ़ी आती है। अतः सरकार को तम्बाकू उत्पादकों की समस्या पर सहानुभूति से विचार करना चाहिये तथा शीघ्र ही उन्हें हल भी करना चाहिये।

तम्बाकू उत्पादकों को फसल बोते समय तथा फसल काटते समय और बाजार में बेचते समय तम्बाकू का हिसाब किताब रखना पड़ता है ताकि सरकार इस बात का अन्दाज़ लगा सके कि किसानों पर कितना कर लगाया जाये। मेरा सुझाव तो यह है कि सरकार प्रत्येक सिगरेट बनाने वाली कम्पनी में अपने आदमी रखे जोकि हिसाब किताब रखें। इन कम्पनियों को जितना तम्बाकू बेचा जाता है उस पर आसानी से कर लगाया जा सकता है। विरजीनिया तम्बाकू ऐसा है जो न तो खाया ही जा सकता है और न उस से सिगार ही बन सकता है अतः रास्ते में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिये मेरा निवेदन है लेखा जोखा रखने की यह व्यवस्था और टी० पी० फोर्म की व्यवस्था बन्द ही कर देनी चाहिये।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
				राशि घटा कर १) कर दी जाय।
३९	१	श्री ह० प० चटर्जी	. प्रशासन में बचत के बारे में असफलता।	१ रु०
३९	६३	श्री वारियर	. कृषि की फसलों का मूल्य	१ रु०
३९	६४	श्री वारियर	. खाद्यान्न का आयात	१ रु०
३९	८	श्री ह० प० चटर्जी	. बेकार भूमि के सर्वेक्षण पर अनाप शनाप खर्च।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३९	९	श्री ह० प० चटर्जी	कोसी नदी के कछार में भूमि संरक्षण का काम न लेने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	१०	श्री ह० प० चटर्जी	सभी नदी घाटी योजनाओं में भूमि संरक्षण तथा वन लगाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	खाद्यान्न की फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुसंधान ।	१०० रुपये
३९	१८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	भूमिहीन मजदूरों को उधार धन देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विदेशों से खाद्यान्न का आयात	१०० रुपये
३९	२०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	तुंगभद्रा नदी परियोजना क्षेत्र में चीनी उद्योग की स्थापना करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	२१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	गामवती के लोगों को उस क्षेत्र में चीनी उद्योगों की स्थापना करने के लिये सहकारी संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	५८	श्री मे० क० कुमारन	मछेरों की स्थिति में सुधार करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	५९	श्री मे० क० कुमारन	केरल में उन मछुओं को सुविधा देने के लिये केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता जिन को कि मछलियां नहीं मिल पातीं ।	१०० रुपये
३९	६०	श्री मे० क० कुमारन	मध्य के लोगों द्वारा किये जाने वाले शोषण को समाप्त करने के लिये मत्स्य पालन केन्द्रों की सहकारी समितियों को सहायता की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	६५	श्री वारियर	कोचीन में मत्स्य पालन केन्द्र की स्थापना में देरी ।	१०० रुपये
३९	६६	श्री वारियर	केरल में मत्स्य बन्दरगाह और बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३९	६७	श्री वारियर .	कोंगेमोर में मत्स्य बन्दरगाह बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	६८	श्री वारियर	मछुओं को घटी दर पर नमक देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	६९	श्री वारियर . .	केरल में तटीय क्षेत्र में मछुओं को मछली रखने के लिये फ्रीजिंग संयंत्र देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	७०	श्री वारियर	विशेषतः मसालों अथवा सभी फसलों के लिये आर्थिक स्तर के मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	७१	श्री वारियर	केरल को काफ़ी मात्रा में चावल के संभरण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	७२	श्री वारियर	राज्यों में सिंचाई की छोटी परियोजनाओं के लिये अधिक धन निर्धारित करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	७३	श्री वारियर .	केरल में मत्स्यों के अनुसंधान करने के लिये एक संस्था खोलने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	७४	श्री वारियर . .	किसानों को अधिक रासायनिक उर्वरक बांटने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	७५	श्री वारियर	राज्य सरकारों को अधिक सुधार कर न लगाने के लिये निदेश देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	७६	श्री वारियर	केरल राज्य में धान की खेती के सुधार के लिये अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	८१	श्री विश्राम प्रसाद	जनता की खाद्य रुचि में परिवर्तन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	८२	श्री विश्राम प्रसाद	भूमि और जल संरक्षण की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	८३	श्री विश्राम प्रसाद	प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिये एग्रोनोमिकल अनुसंधान ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३९	८४	श्री विश्राम प्रसाद	. किसानों को पर्याप्त, समय पर और सस्ते दामों पर उर्वरकों का संभरण ।	१०० रुपये
३९	८५	श्री विश्राम प्रसाद	. मध्य के लोगों द्वारा मछुओं का शोषण रोकने के लिये सहकारी समितियों के विकास की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	८६	श्री विश्राम प्रसाद	. खाद्यान्न के मूल्यों मे घटत बढ़त पर नियंत्रण रखने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	८७	श्री विश्राम प्रसाद	. किसानों को खाद्यान्नों का उचित मूल्य देने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	८८	श्री विश्राम द्रसाद	. किसानों को अच्छी सुविधा देने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	८९	श्री विश्राम प्रसाद	. किसानों को नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का पर्याप्त संभरण करने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	९०	श्री विश्राम प्रसाद	. खाद्य संकट को हल करने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	९१	श्री विश्राम प्रसाद	. देश में दूध का संभरण करने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	९२	श्री विश्राम प्रसाद	. विभिन्न फसलों के लिये क्षेत्र का विनियमन करने में असफलता	१०० रुपये
३९	९३	श्री विश्राम प्रसाद	. कृषि औजारों में सुधार करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	९४	श्री विश्राम प्रसाद	. बिहार में कोसी के कछार में भूमि संरक्षण करने में असफलता	१०० रुपये
३९	९५	श्री विश्राम प्रसाद	. उचित एवं प्रभावी भूमि विधान के द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	९६	श्री विश्राम प्रसाद	. उत्तर प्रदेश में बहुत सी छोटी सिंचाई परियोजनाएं चालू करने में असफलता	१०० रुपये
३९	९७	श्री विश्राम प्रसाद	. भूमिहीन मजदूरों को भूमि देने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	९८	श्री विश्राम प्रसाद	. विदेशों से खाद्यान्न के आयात को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३९	९९	श्री विश्राम प्रसाद	. भारत की भूमि का उचित सर्वेक्षण करने में एवं प्रत्येक भूभाग के लिये उर्वरकों एवं फसलों के बारे में सिफारिश करने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	१००	श्री विश्राम प्रसाद	. दुग्ध सहकारी संस्थाओं का विकास करने में असफलता ।	१०० रुपये
३९	१०१	श्री वारियर	. लंबनग्रास आहत जैसी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये अधिक वित्त की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१०२	श्री वारियर	किसानों को टेपी सेवा के लिये उचित मूल्य देने की आवश्यकता ।	१०० पये
३९	१०३	श्री वारियर	. मलावार किस्म के केला के मूल्य का चित मूथ्य सुदिश्चित करने को आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१०४	श्री वारियर	. केश्यू बागान की उन्नति के लिये की गई कार्यवाही के परिणामों के आक्कलन की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१०५	श्री वारियर	. जानवरों के अधिक चिकित्सा-कालेजों की आवश्यकता ।	१०० पये
३९	१०६	श्री वारियर	. जानवरों के डाक्टरों की सेवा स्यिति सुधारने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१०७	श्री वारियर	. जानवरों के लिये अधिक चारे की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१०८	श्री वारियर	. भूस को पेकिंग के काम में लाने से रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	१०९	श्री वारियर	. जहां प्रति व्यक्ति दूध बहुत कम मिलता है वहां डेरीफार्म बढ़ाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
३९	११०	श्री वारियर	. खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये उचित भूमि विधान बनाने के लिये राज्यों को निदेश देना ।	१०० पये
३९	१११	श्री वारियर	. किसानों की बेदखली रोकने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३९	११२	श्री वारियर	. भूमि मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी विधान लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	११३	श्री वारियर	. केरल के तिरुलावय में कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	११४	श्री वारियर	. केरल में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	११५	श्री वारियर	. पशुओं की नस्लों में सुधार की योजना की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	११६	श्री वारियर	. नारियल के पेड़ों में रोगों की रोक थाम	१०० रुपये
३९	११७	श्री वारियर	. सुपारी के पड़ों में रोगों की रोकथाम	१०० रुपये
३९	११८	श्री वारियर	. कृषि में आधुनिकतम तरीके लागू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	११९	श्री वारियर	. लक्ष्य निर्धारित करके कृषि को क्रमशः यंत्रीकृत करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	१२०	श्री वारियर	. विशेष होटलों के जरिये मिश्रित भोजन को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	१२१	श्री वारियर	. रहट-चरस-इत्यादि की सिंचाई योजनाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	१२२	श्री अ० व० राघवन	. खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि रोकने में असफलता	१०० रुपये
३९	१२३	श्री अ० व० राघवन	. कृषि के क्षेत्र में राज्य और केन्द्र के कार्यों में सहकार्य का अभाव	१०० रुपये
३९	१२४	श्री वारियर	गुन्टूर और आंध्र प्रदेश में पैदा होने वाली वरजीनिया तमाखू के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३९	१२५	श्री वारियर	. भारतीय तमाखू के लिये वैकल्पिक बाजार खोजने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४०	२२	श्री ह० प० चटर्जी	. कृषिय उत्पादों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न कर पाना	१०० रूपये
४०	२७	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	. भूमि संबंधी सहयोजित विधान और उसकी कार्यान्विति की आवश्यकता	१०० पये
४०	२८	श्री कोया	. मालाबार और केरल में सिंचाई की और अधिक छोटी योजनाओं की मंजूरी की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	२९	श्री कोया	. केरल के लिये पशु-विकास की और अधिक योजनाओं की मंजूरी की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	३०	श्री कोया	. केरल में कटहल और केले के क्रय-विक्रय की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	३१	श्री कोया	. केरल में व्यावसायिक फसलों की खेती बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	३२	श्री कोया	. भारत से सूखी मछली आयात करने की लंका की नीति के कारण मछुओं की तंगी	१०० रुपये
४०	३३	श्री कोया	. पश्चिमी घाट के तानुर में मछली पकड़ने के बन्दरगाह के निर्माण की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	३४	श्री कोया	सरकारी क्षेत्र में डिब्बों में सहेजने के कारखाने चालू करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४०	१२७	श्री अ० ब० राघवन	नारियल की खेती में वैज्ञानिक योजना की कार्यान्विति की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	३५	श्री ह० प० चटर्जी	मक्के की खेती में समान कार्यों पर होने वाले दोहरे व्यय को रोकने में सफलता	१०० रुपये
४१	३६	श्री ह० प० चटर्जी	. कृषिय अनुसन्धान के क्षेत्र में ठोस परिणाम न निकलना	१०० रुपये
४१	३७	श्री ह०प० चटर्जी	. मत्स्य अनुसन्धान पर निष्फल व्यय	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४१	३८	श्री ह० प० चटर्जी	कार्य क्षमतापूर्ण उत्पादन और प्रबन्ध के क्षेत्र में बुनियादी तथ्य जुटाने में असफलता	१०० रुपये
४१	४३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	कृषकों और अनुसन्धानात्मक फार्मों में सहयोजना की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	४४	श्री कोया	तानूर में मत्स्य-विकास की आवश्यकना	१०० रुपये
४१	६१	श्री मे० क० कुमारन	केरल में नारियल सुपारी और काली मिर्च के रोगों द्वारा होने वाली हानि की रोकथाम	१०० रुपये
४१	१२८	श्री म० व० राघवन	आधुनिक कृषीय औजारों को सस्ती दर पर बेचने की आवश्यकता	१०० रुपये
४१	६२	श्री मे० क० कुमारन	कायामकुलन और कासरगोड के केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान केन्द्रों का कार्य संचालन	१०० रुपये
४२	४६	श्री ह० प० चटर्जी	पशुओं के लिये अच्छे चारे और प्रजनन सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	४७	श्री ह० प० चटर्जी	अनावश्यक और अनुपयोगी पशुओं को कम करने में असफलता	१०० रुपये
४२	४८	श्री ह० प० चटर्जी	चुनाव के जरिये पशुओं की नस्ल सुधारने में असफलता .	१०० रुपये
४२	४९	श्री ह० प० चटर्जी	देहाती क्षेत्रों में दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने में असफलता	१०० रुपये
४२	५०	श्री ह० प० चटर्जी	द्विप्रयोजनीय पशुओं को विकसित करने में असफलता	१०० रुपये
४२	५१	श्री ह० प० चटर्जी	दुग्ध सहकारी समितियां विकसित करने में असफलता	१०० रुपये
४२	१३०	श्री अ०व० राघवन है	मुर्गी-पालन को एक कुटीर उद्योग के रूप में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४२	१३१	श्री अ० व० राघवन	दूध की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४३	५४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	. वनों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	१३२	श्री अ० व० राघवन	. वन-सम्पदा के उपयोग और विकास के लिये एक सहयोजित नीति की आवश्यकता	१०० रुपये
४३	१३३	श्री अ० व० राघवन	वनों का बाढ़ग्रस्त होना रोकने की आवश्यकता है	१०० रुपये
४३	१३४	श्री अ० व० राघवन	. वन्य पशुओं के जीवन-रक्षण की अविलम्बनीय आवश्यकता	१०० रुपये
४४	१३५	श्री अ० व० राघवन	. केरल के नगरपालिका-नगरों में शीत-कोठार की अधिक सुविधाओं की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	१३६	श्री अ० व० राघवन	. केरल तट के पास मिली मछलियों के व्यावसायिक उपयोग की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	१३७	श्री अ० व० राघवन	. पान की खेती के सुधार की आवश्यकता	१०० रुपये
४४	१३८	श्री अ० व० राघवन	. प्रतिरक्षा संस्थानों में बनने वाले छोटे ट्रैक्टरों को कृषकों को बेचने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२४	१३९	श्री अ० व० राघवन	. केरल में गैर-सरकारी वनों के अर्जन की आवश्यकता	१०० रुपये
१२६	५७	श्री इम्बीचिबावा	. तृतीय योजना में केरल के पोन्नाई को मछलीमारी के बन्दरगाह के रूप में विकसित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
१२६	१४०	श्री अ० व० राघवन	. देश में अधिक चिड़ियाघरों की व्यवस्था की आवश्यकता	१०० रुपये
१२६	१४१	श्री अ० व० राघवन	. कृषकों को आधुनिक कृषीय औजारों का इस्तेमाल सिखाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१२६	१४२	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलाबार क्षेत्र में चारे की कमी	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१२६	१४३	श्री अ० व० राघवन	केरल के मलाबार क्षेत्र में गहरे समुद्र की मछलीमारी के विकास के लिये अधिक राशि देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था कृषीय है । हम शायद अपने देश की भूमि का पूरा पूरा उपयोग करने में असफल रहे हैं । हमें सब से अधिक ध्यान भूमि के प्रबन्ध की ओर देना चाहिये ।

सभी पाश्चात्य देशों ने, यूरोपीय और अमरीकी देशों ने इतने औद्योगीकरण के बावजूद अपनी भूमि के प्रबन्ध को अनदेखा नहीं किया है । वे एक योजनापूर्ण ढंग से अपनी भूमि का एक निश्चित प्रतिशत भाग ही खेतों और वनों के रखते हैं पर हमारे यहां ऐसी कोई परिपाटी नहीं है ।

हमारे देश में वनों को अंधाधुंध तौर पर साफ कर देने से बाढ़ों का जोर बढ़ गया है और फसलों को हानि पहुंची है । वैसे सरकार द्वारा जुटाये गये इन आंकड़ों के अनुसार कृषीय उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, लेकिन यदि सभी प्रकार की भूमि के उपयोग की दृष्टि से देखा जाये, तो प्रगति उतनी तेजी से नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिये ।

अन्य कई चीज़ों के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं, इसलिये मैं उन को नहीं लेता । देश के लिये अत्यावश्यक है कि हम वनों के बारे में समूचे देश के लिये अपनी एक नीति निर्धारित कर लें । वनों को जरूरत से ज्यादा साफ़ कर देने से भूमि का कटाव बढ़ जाता है । जरूरत इस बात की है कि जनता को वनों के महत्व के प्रति जागरूक बनाया जाये । इसका पथ-प्रदर्शन केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये । तभी भूमि के कटाव की रोकथाम की जा सकेगी ।

हमारी अधिकांश नदियां कई राज्यों में से होकर बहती हैं । यदि एक राज्य में भी वनों का सफ़ाया कर दिया जाये, तो अन्य सभी राज्यों में बाढ़ों का प्रकोप बढ़ जायेगा ।

रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी कृषि योग्य बनाने की बातें चल रही हैं । लेकिन उस दिशा में कोई खास सफलता नहीं दिखाई देती ।

वनों के अंधाधुंध सफाये के कारण, ऐसी-ऐसी समस्यायें सामने आती जा रही हैं, जिनको आप ही हल कर लेना चाहिये, नहीं तो कुछ काल बाद वे और भी भयंकर रूप धारण कर लेंगी । ऊंचे-ऊंचे पर्वतों और चरागाहों के बिना पशु-पालन की उन्नति कठिन हो जायेगी । लेकिन आज गांवों की पंचायती भूमि नाम को ही रह गई है । उसकी रक्षा के लिये एक निश्चित नीति बनाई जानी चाहिये ।

भूमि के कटाव की रोकथाम और भूमि-परिरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यह काम किसी एक राज्य के लिये नहीं होगा । इसके लिये केन्द्र की रहनुमाई की जरूरत है ।

†मूल अंग्रेजी में

हमारी कृषीय अर्थ-व्यवस्था ने उतनी प्रगति नहीं की है जितनी कि होनी चाहिये थी। माननीय मंत्री बतलायें कि उस में कितनी प्रगति हुई।

आज औद्योगीकरण की रफ्तार इतनी तेज़ होती जा रही है कि हम कृषीय उत्पादन की ओर समुचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उद्योगों और कृषि में सह-कार्य पैदा किया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने सहकारिता का उल्लेख किया है। सहकारी खेती के क्षेत्र में समाजवादी देशों को बड़ी सफलता मिली है। लेकिन मैं ने कहीं भी चावल, इत्यादि अधिक पानी में होने वाली फसलों की सहकारी खेती नहीं देखी। अन्य शुष्क फसलों को उससे लाभ पहुंच सकता है। इसलिए अधिक पानी में होने वाली फसलों के लिये हमें सावधानी रखनी चाहिये।

खाद्य आयात करने से देश की निकट भविष्य की आवश्यकताएं तो पूरी हो जायेंगी किन्तु हमें इन पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम कम से कम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बनें। इस सम्बन्ध में मैं पंजाब को श्रद्धांजली अर्पित करूंगा। विभाजन के पश्चात् पूर्वी-पंजाब में खाद्यान्न का बहुत घाटा था। किन्तु तीन वर्षों में यह न केवल आत्म-निर्भर हो गया है बल्कि अतिरेक का राज्य हो गया है। यदि पंजाब में यह स्थिति हो सकती है, तो अन्य स्थानों पर क्यों नहीं ?

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं इस अवस्था पर कुछ कहना चाहूंगा ताकि उन कुछ बातों का जो अब तक उठाई गई हैं और कटौती प्रस्तावों का उत्तर दिया जा सके।

मुझे तीसरे साल भी यह कहते हुए हर्ष होता है कि देश में खाद्य-स्थिति बहुत अच्छी है और इस विषय में पिछले कुछ वर्षों में जो उत्साह है, वह बनाये रखा जा रहा है। यह सदन में हुए वादविवाद से भी स्पष्ट है कि खाद्य स्थिति संतोषजनक है।

दो तीन साल पहले वादविवाद में कृषि पहलु या पशुपालन आदि के बारे में चर्चा कम ही सुनी जाती थी। किन्तु अब चर्चा की दिशा कुछ बदल गई है। एक सदस्य को छोड़ कर सभी ने कृषि उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की ओर निर्देश किया है और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है।

श्री स्वामी ने कहा है कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो हुई है परन्तु मुल्य बढ़ रहे हैं। मैं सही स्थिति सदन के सामने रखता हू। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी आंकड़े वेदवाक्य होते हैं। फिर भी इन्हें बहुत हद तक ठीक मानना पड़ता है। ये आंकड़े फसल कटाई सर्वेक्षण पर निर्भर होते हैं। जिन्हें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपनाया है। उस ने एक और तरीका भी अपनाया है किन्तु मैं कहूंगा कि उन के आंकड़ों से सरकारी आंकड़ों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन प्रकट होता है। खाद्यान्न जांच समिति ने, जिसके अध्यक्ष श्री अशोक मेहता थे, भी पहले यह कहा था कि सरकारी आंकड़ों पर यकीन नहीं किया जा सकता, किन्तु समिति के निष्कर्षों से मालूम होता है कि उन्होंने मोटे तौर पर उन्हें मान लिया था।

हम यह कसे मालूम करते हैं कि सरकारी आंकड़े ठीक हैं ? उत्पादन के आंकड़ों का प्रभाव मूल्यों के स्तर पर पड़ेगा इस में कोई संदेह नहीं। यदि १९५१ के वर्ष के आगे के आंकड़े देखे जायें, तो हम देखते हैं कि जब भी कृषि उत्पादन में कमी हुई है, मूल्य बढ़ गये हैं। १९५७–५८ में उत्पादन केवल ६३० लाख टन था, जो पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा ५० लाख टन कम था। इस वर्ष हमें खाद्य के मामले में काफी कठिनाइयां हुई थीं। मूल्य बढ़ रहे थे। मैं विभिन्न वर्षों के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० म० थामस]

उत्पादन के आंकड़े देने में समय नहीं लेना चाहता, किन्तु इतना कहना काफ़ी है कि यदि मूल्य स्तर खाद्यान्न की उपलब्धता का प्रतीक है, तो उत्पादन के आंकड़े भी ठीक हैं।

†**श्री म० ना० तिवारी** (बगहा) : क्या यह सच नहीं है कि सरकार के अतिरिक्त भंडार रखने के कारण मूल्यों में कमी कर दी है?

†**श्री अ० म० थामस :** ऐसे भंडारों से भी खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ती है। गत वर्ष हमारा उत्पादन अधिक से अधिक अर्थात् ७९३ लाख टन—मोटे तौर पर ८०० लाख टन था। १९५१–५२ में यह ५१२ लाख टन था। अतः दस वर्षों में २९० लाख टन की वृद्धि हुई है, जो कि गर्व की बात है। उत्पादन में वृद्धि का प्रभाव मूल्य-स्तर पर भी पड़ा है। इस वर्ष भी प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, उत्पादन पिछले वर्ष के बराबर होगा।

हम क्या देखते हैं? मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है, क्योंकि उत्पादन मांग की वृद्धि और जनसंख्या की वृद्धि से कम हुआ है। यह स्पष्ट है। यह ठीक है कि अतिरिक्त भंडारों के कारण मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा रहा है। वास्तव में इसी कारण ही खाद्य स्थिति इतनी संतोषजनक है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह स्थिति वास्तव में क्या है? गत वर्ष ७९३ लाख टन का उत्पादन हुआ, जो १९५८–५९ के उत्पादन से ३८ लाख टन अधिक और १९५९–६० के उत्पादन से ४६ लाख टन अधिक है। १९६०–६१ में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ गई है और मंडी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

१९६१ में अखिल भारतीय औसत मूल्य देशनांक १०२ था, १९६० में १०५ और १९५९ में १०४ था। १९६१ में सबसे अधिक १०५ तक पहुंचा था, जबकि १९५९ और १९६०में यह ११० तक था। चावल के मामले में सबसे अधिक १९६१ में ११० था, जबकि १९६० में ११५ था और १९५९ में ११३ था। इसी कारण हम दावा कर सकते हैं कि मूल्य-स्तर में कुछ स्थिरता आ गई है। १९६१–६२ में चावल का उत्पादन १९६०–६१ के उत्पादन के लगभग बराबर है, जोकि ३३६ लाख टन था, जबकि पिछले साल यह ३३७ लाख टन था। यद्यपि गेहूं के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं, वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि यह १९६०–६१ के उत्पादन से अधिक नहीं, तो बराबर अवश्य होगा। १९६२ के बारे में अनुमान सन्तोषजनक है और यदि खरीफ मौसम में उत्पादन की हानि न पहुंची, तो मूल्य उचित स्तरों पर रहेंगे।

गेहूं की स्थिति के बारे में पिछले साल यह शंका थी कि मूल्य अलाभप्रद स्तर तक गिर जायेंगे। हमने खंडीय प्रतिबन्ध हटाने के कुछ कदम उठाये थे। फिर हमने आटा मिलों को खुली मण्डी से खरीदने दिया। हमने बैंक द्वारा पेशगी पर भी प्रतिबन्ध ढीले किये। इन उपायों से गेहूं के मूल्यों को अत्यधिक गिरने से रोका गया। खंडीय प्रतिबन्धों के हटाने से पंजाब और मध्यप्रदेश में मूल्य उन पर गये हैं और कमी वाले क्षेत्रों में कमी हुई है। यद्यपि इतनी नहीं जितनी पंजाब में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के अन्त में मूल्य कुछ बढ़ने लगे थे। इसका मुख्य कारण यह था कि कुछ लोगों को—अर्थात् बम्बई, कलकत्ता आदि के लोगों को—देशी गेहूं की बजाय आयात गेहूं अधिक पसन्द था।

इस साल भी बहुत अच्छी फसल होने के कारण कटाई के बाद मूल्य कम होने का डर है। इसलिये सरकार ने मूल्य सहायता योजना शुरू की है, जिससे कृषकों के हितों की रक्षा की जा

†मूल अंग्रेजी में

सकेगी। न्यूनतम मूल्य ये हैं: अच्छी किस्मों के लिये १४ रुपये, आम किस्मों के लिये १३ रुपये और लाल किस्मों के लिये १२ रुपये प्रति मन।

मुझे यह बताने में भी हर्ष है कि सरकार ने खाद्य विभाग में एक संगठन स्थापित किया है जो मण्डी में मूल्यों के न्यूनतम स्तर से गिरने की हालत में, सरकार की ओर से गेहूं खरीदना शुरू कर देगी।

चावल का थोक देशनांक अगस्त १९६१ में ११०.१ था जबकि १९६० में ११५.३ था। १९६१ में चावल के मूल्य, नवम्बर और दिसम्बर १९६१ को छोड़ कर १९६० के मूल्य-स्तर से कम रहे। ५ मई को खत्म होने वाले सप्ताह में देशनांक १०७.३ था जो कि पिछले वर्ष के देशनांक से कुछ अधिक है।

देशनांकों में बढ़ने का मुख्य कारण पूर्वी चावल खण्ड और दक्षिण में मूल्यों की वृद्धि के कारण है। चावल का सामान्य उत्पादन पिछले साल के उत्पादन के बराबर है। किन्तु पश्चिम बंगाल में पिछले साल से काफी कम है। वहां भी इस साल का उत्पादन १९५९–६० के उत्पादन से ६ लाख टन अधिक है। १९५९–६० में उत्पादन ४२ लाख टन था, इस साल ४८ लाख टन है। किन्तु यह पिछले साल के उत्पादन से, जो कि ५३ लाख टन था, कम था, इसलिये पूर्वी खण्ड में मूल्य कुछ बढ़ गये थे। इसका कारण यह था बहुत से क्षेत्र में धान की जगह पटसन उगाया गया, यह ४ लाख एकड़ में ऐसा किया गया। उड़ीसा में भी ऐसा हुआ है, जहां २ लाख एकड़ भूमि में पटसन उगाया गया।

उचित मूल्य की दुकानों द्वारा चावल का वितरण तेज कर दिया गया है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार १९६२ में ५ लाख टन चावल वितरित किया जायगा, जबकि १९६१ में ६५ लाख टन था, आशा है ऐसा करने से मूल्य अधिक नहीं बढ़ेंगे। यह ८५ लाख टन चावल देश के अतिरिक्त बेचे जाने वाले भंडार का कुछ भाग ही है और इससे न्यायपूर्ण वितरण से ही हम खुली मण्डी पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं। खाद्य विभाग अतिरिक्त भंडार की स्थिति के अनुसार प्रयोग में लायेगा।

मुझे यह कहने में हर्ष है कि हमारे पास भंडार काफी है और आयात की स्थिति भी अच्छी है। केन्द्रीय भण्डार में २१ लाख टन अनाज है, जिसमें से चावल ९ लाख टन है यदि राज्य सरकारों में भंडारों को भी सम्मिलित किया जाये, तो भंडार २५ लाख टन होगा।

हमारा अतिरिक्त भंडार का लक्ष्य २० लाख टन था, किन्तु भण्डार इस से अधिक हो गया है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी चाहते हैं कि अतिरिक्त भंडार लगभग ५० लाख टन होना चाहिये। हम आयात ऐसे तरीके से कर रहे हैं कि बिक्री आसानी से हो सके और देश में भण्डार भी बने।

अब मैं कुछ और पहलुओं को लेता हूं। हमारी खाद्य स्थिति कुछ हद तक पी० एल० ४८० के आयात के कारण सन्तोषजनक है। श्री मल्होत्रा ने आयातों की आलोचना की है किन्तु यह जान लेना चाहिये कि अतिरिक्त भण्डार और आयात केवल अस्थाई तौर पर बनाये जाते हैं और मन्त्रालय अपना सारा समय उत्पादन की ओर लगायेगा और ऐसा किया जा रहा है। श्री मल्होत्रा ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि हर दूसरे दिन पी० एल० ४८० रुपये में से कई करोड़ रुपये विकास परियोजनाओं के काम में लाये जा रहे हैं, अतः पी० एल० ४८० आयात का इन परियोजनाओं पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमें इसके लिये क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है।

खाद्य विभाग के संगठन के बारे में एक बात यह है कि सहायक खाद्यों के विकास के कई कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं, ताकि सन्तुलित आहार के लिये खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा सके। इसमें कृषि उत्पादन का बदलना, पशुपालन का विकास, दुग्धशाला, मीनक्षेत्रों का विकास, औद्यानिकी आदि भी सम्मिलित हैं। मैं भाषण के दूसरे भाग में पशुपालन और दुग्धशालाओं का उल्लेख करूंगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

[श्री अ० म० थामस]

खाद्य की परिरक्षण और निधापित करने के उद्योग को विकसित करने से खाद्यों की कमी पूरी करने में बहुत सहायता मिलेगी और कमी वाले मौसमों में यह विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

मन्त्रालय में एक आहार पुष्टि विभाग भी स्थापित किया गया है। प्रोटीनों की कमी तो आम है, लेकिन वनस्पति प्रोटीन अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास प्रतिवर्ष, ४५ लाख टन मूंगफली, ४ लाख टन तिल, १० लाख टन सरसों, ४ लाख टन मिर्च, १३ लाख टन बिनौले हैं। नारियल इन के अतिरिक्त हैं। ये सब प्रोटीनों से भरे हुए हैं और आपातकाल में प्रयोग किये जा सकते हैं। केन्द्रीय खाद्य प्रविधिक अनुसन्धान संस्था, मैसूर ने मूंगफली से प्रोटीन सामग्री निकालने का एक तरीका निकाला है, जिससे प्रोटीन की कमी दूर की जा सकेगी। सरकार ने प्रोटीन से भरे हुए खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करने में पहल की है और उसने युनिसेफ की सहायता से खाने योग्य मूंगफली का आटा तैयार करने के लिये १० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले दो कारखाने स्थापित करने जा रही है।

जो लोग अपने घरों के बाहर भोजन करते हैं, उन सबको वैज्ञानिक ढंग से भोजन उपलब्ध कराने और गृहणियों को उत्कृष्ट कोटि के भोजन तैयार करने का प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित स्त्री और पुरुषों की आवश्यकता है। हमारे देश में अनेक विलास होटल हैं और मध्यम श्रेणी के हजारों भोजनालय हैं। इनके अतिरिक्त अल्पाहारगृह, रस्तोरां, काफ़ी बार्स तथा अन्य संस्थाएं हैं। नगरीकरण और औद्योगीकरण के साथ साथ इन भोजन संस्थाओं की आवश्यकता बहुत बढ़ जायेगी। इन्हें तथा इनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का विकास करने के लिए तीन नई संस्थाएं, जो भोजन व्यवस्था प्रविधि और व्यावहारिक पोषण से सम्बन्धित हैं, स्थापित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भोजन व्यवस्था का कालेज, अंधेरी बम्बई का विकास किया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में अनेक खाद्य विज्ञान केन्द्रों का भी विकास किया जायेगा। जनता का विचार है कि केन्द्रीय गोदाम निगम ने पर्याप्त प्रगति नहीं की है लेकिन गोदाम व्यवस्था हमारे देश के लिए नई वस्तु है और इस दृष्टि से इसकी अब तक की प्रगति संतोषजनक है। केन्द्रीय गोदाम निगम द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न गोदामों में इस समय कुल मिलाकर ११६,६०० टन की क्षमता है। गोदामों की ७६ प्रतिशत जगह का उपयोग किया जा रहा है। यह अत्यन्त सन्तोषजनक है। इसका संचालन व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है। इनमें निजी पक्षो द्वारा माल रखा जाता है। सरकार केवल २० प्रतिशत आय में योग दे रही है। अतः इस प्रगति का आन्तरिक महत्व बहुत अधिक है। व्यावसायिक विचार को छोड़ कर इसका विकास करते रहना संभव नहीं है।

आजकल कुल ६० गोदाम हैं, पहले ४० थे। एक वर्ष में २० बढ़ गये हैं। मैं सभा को आश्वासन दे दूं कि केन्द्रीय गोदाम निगम के कार्य संचालन की ओर समुचित ध्यान दिया जायेगा। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी इनका महत्व बहुत अधिक है।

इस आशय की शिकायतें की गई हैं कि गोदामों की सुविधाओं का लाभ किसान और उत्पादक नहीं किन्तु व्यापारी उठा रहे हैं। सदस्य इस योजना को लोकप्रिय बनाने में सहयोग दें, ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के रक्षित बैंक द्वारा अब तक लगभग ७ करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है जब कि ७ महीने पहले यह रकम ४ करोड़ रुपये से भी कम थी। फिर भी इसकी प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं और इस ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

अतिरिक्त भंडार के बारे में गोदाम कार्यक्रम की ओर भी मैं निर्देश करूंगा। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे पास ३० लाख टन से ३५ लाख टन अनाज रखने का स्थान बनाने का लक्ष्य है और १५ लाख टन के लिए किराये के स्थान की व्यवस्था है। अब तक १२ लाख टन के लिए स्थान का निर्माण किया जा चुका है। विभाग को इस प्रगति पर गर्व होना चाहिये। यह आशा है कि निकट भविष्य में हम २५ लाख टन माल रखने के लिए स्थान बना सकेंगे।

मेरे पास सब आंकड़े हैं, मैं वे डा० अणे को भेज दूंगा। पशु धन के बारे में श्री चटर्जी और श्री ढेबर ने जो बातें कही हैं वे एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि हमारे यहां के पशुओं की आबादी संसार भर के पशुओं की एक चौथाई है। परन्तु दूसरी ओर श्री ढेबर कहते हैं कि जितने पशु हैं वे नाकाफी हैं। मेरा निवेदन है कि यह दृष्टिकोण का प्रश्न है। मेरे विचार में दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। श्री ढेबर ने इस विषय पर जो प्रकाश डाला है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुधन का सुधार एक बहुत बड़ी बात है और हमारे देश, म इसके मार्ग में दो तीन बड़ी कठिनाइयां हैं। हमारे बहुत से पशु शुद्ध नसल के नहीं हैं। अच्छी नसल के पशुओं की उत्पादन क्षमता कम है। इससे सुधार के कार्य में काफी कठिनाइयां प्रस्तुत हो जाती हैं। चुनाव करके सुधार करने का काम काफी लम्बा हो जाता है।

एक और भी बात है, पशु सुधार की योजनायें निश्चित रूप से लम्बी होती हैं। उनके परिणाम के लिये कई कई वर्ष की प्रतीक्षा करनी होती है। कई बार तो इस काम में शताब्दियां लग जाती हैं। इन सब प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें पशु धन के सुधार की दिशा में जो कुछ भी संभव है उसे करने का प्रयत्न कर रही हैं।

श्री ढेबर का कहना है कि पशु धन के सुधार की बात को बहुत कम सुना जाता है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस मामले को ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यह भी बात है कि यह मामला राज्य सरकारों के प्राधिकार में भी आता है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि अब इसके बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं और इसके लिए सभी गैर-सरकारी साधनों का भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। । इस विषय के महत्व को अनुभव किया जा रहा है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिये केवल ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। दूसरी योजना में यह राशि २१ करोड़ कर दी गयी। तीसरी योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए ५४ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त ३६ करोड़ रुपये डेयरी विकास के लिए रखे गये हैं।

श्री चटर्जी का कहना था कि पशुओं को नसल सुधार और उनके खाने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्रालय का पशुधन विभाग इन दोनों कामों की ओर ध्यान दे रहा है। जहां तक पशु चिकित्सा का सम्बन्ध है, पशुओं की स्थिति में सामान्य सुधार करना बहुत बड़ा काम है। सरकार ने पशु चिकित्सा के विकास के लिए तीसरी योजना में ५४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है। अखिल भारतीय मुख्य ग्राम योजना के अन्तर्गत १९६१–६२ के अन्त तक ३४८ मुख्य ग्राम खंड बनाये गये हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र है, जिसके अन्तर्गत औसतन ५,००० प्रजनन योग्य गायें और भैंसें हैं। इन खंडों में १३,००० बढ़िया किस्म के बैल पैदा किये गये हैं। हरियाणा नसल के बैलों के विकास को दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। ७५० हरियाणा नसल के बैल तैयार किये गये हैं जिन पर १४६ लाख के खर्च का अनुमान है। अन्य योजनाओं के द्वारा राठो, थरपरकर, संचौर नसलों के बैलों का राजस्थान में विकास किया जायेगा और इस पर लगभग ३५·७५ लाख के व्यय का अनुमान है।

मंत्रालय ने विशेषज्ञों का एक गुट बनाया है जो वर्तमान पशुपालन की नीति का पुनः अध्ययन करेगा। इसके परिणामस्वरूप यदि उन्होंने यह उचित समझा तो कुछ परिवर्तन करने के सुझाव भी प्रस्तुत करेगा। चारे के संसाधनों का विकास करने के लिए राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ९६·७३ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। यह भी योजना चल रही है कि खराब नसल के बैलों को व्यापक संख्या में बधिया कर दिया जाय ताकि घटिया प्रकार के पशुओं की उत्पत्ति रोकी जा सके।

[श्री अ० म० थामस]

पहाड़ी क्षेत्रों में भी पशुओं की नसल को सुधार कर दुग्ध उत्पादन की मात्रा को अधिक से अधिक करने का यत्न किया जा रहा है ।

श्री ढेबर ने इस बात का उल्लेख किया है कि पशुधन से देश में जो आय होती थी वह गिरी है। इस बात से सहमत नहीं । १९५६ की पशु गणना संख्या के अनुसार "प्रतिगाय" दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है । इसके बाद कोई पशु गणना हुई नहीं । १९५१ में प्रति गाय ३६६ पौंड का उत्पादन था परन्तु १९५६ में यह बढ़ कर ३८२ पौंड हो गया । भैंस का यह अनुपात ९६३ पौंड से १११७ पौंड हो गया। १९५१ में देश भर में दूध के उत्पादन का अनुमान ४६६३·५ लाख मन था जो कि १९५६ में बढ़ कर ५२८२·५ लाख मन हो गया था । जैसा कि मैंने पहिले कहा कि इसके बाद इस दिशा में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत दूध का उत्पादन बढ़ाने और पशु विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। गुजरात राज्य के राजकोट, अहमदाबाद और आनन्द क्षेत्रों में केन्द्रीय गोसंवर्धन समिति अपना कार्य कर रही है जिसके अध्यक्ष श्री ढेबर हैं । इस समिति ने एक विशेष समिति श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल की अध्यक्षता में स्थापित की है और उनसे ऐसे ढंग बताने को कहा है जिस से बम्बई और कलकत्ता जसे बड़े बड़े नगरों में पशुओं पर जो फजूल खर्ची होती है उस को रोका जाय । केन्द्रीय गोसंवर्धन समिति ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से भी यह प्रार्थना की है कि वह एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करे जो देश के पशुधन पर नियन्त्रण रखने के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करे । इस तरह जो कुछ भी सम्भव है वह केन्द्रीय सरकार कर रही है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि समस्त खंडों में तीसरी योजना के अन्तर्गत छोटी सिंचाई परियोजनाओं के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जा रहा है । इन परियोजनाओं के लिये लगभग ६६ करोड़ रुपया छोटी सिंचाई योजनायें के लिये रखा गया था, परन्तु वास्तव में दूसरी योजना के काल में इस पर ९६ करोड़ खर्च हो गया । ४५ करोड़ रुपया ऐसे ही कार्यों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत हो गया । योजना के अन्तर्गत ९० लाख एकड़ का जो लक्ष्य निर्धारित था उसे प्राप्त कर लिया गया है । इस लक्ष्य को बढ़ा कर तीसरी योजना के अन्तर्गत १२८ लाख एकड़ कर दिया गया है । केवल कृषि के अन्तर्गत १७६·७६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । सभी कार्यक्रमों को मिला कर छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुश मिला कर ३०० करोड़ रुपये की व्यवस्था है । छोटी परियोजनाओं की व्यवस्था बड़ी और मध्यम परियोजनाओं के मुकाबले आधे खर्च पर ही हो जाती है ।

१९६१–६२ में कृषि के अन्तर्गत छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये २६·२८ करोड़ स्वीकृत किया गया है । यदि और अधिक आवश्यकता होगी तो उसके लिये ३½ करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी है । अनुमान यह है कि इस वर्ष २९·६५ करोड़ रुपये का व्यय होगा । इस वर्ष का सारा व्यय पिछले वर्ष के व्यय से ४ करोड़ अधिक है । कुल मिला कर १९६२–६३ के रक्षित उपव्यय ३१·७२ करोड़ रुपये का है । सरकार राज्य द्वारा अपनी योजनाओं के चयन करने में बाधा उपस्थित नहीं करती है । केवल इतना अवश्य है कि उन्हें अपनी योजनाओं के लिये केन्द्र का अनुमोदन प्राप्त करना होता है ।

छोट पैमाने पर सिंचाई तथा जल प्रयोग के बारे में एक एक योजना आरम्भ की गई है जिससे तीसरी योजना में प्राविधिक विभाग को सुदृढ़ किया जायगा । उसके लिये व्यापक शिक्षक पाठ्यक्रम आरम्भ किये गये हैं । ९ राज्यों की प्रशिक्षण योजनाओं का अनुमोदन किया क्या है । यह सन्तोष की बात है कि छोटे पमाने पर सिंचाई के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है, और

यह प्रगति और भी अच्छी हो सकती है यदि राज्य सरकारें बराबर के अनुदानों की व्यवस्था करें। इसी प्रकार डेयरियों मीन क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है।

†**श्री इकबाल सिंह** (फिरोज़पुर) : ५० हजार से लेकर १ लाख तक के व्यय वाली कितनी छोटी परियोजनाओं को गत पांच वर्षों में अथवा गत वर्ष कार्यान्वित किया गया।

†**श्री अ० म० थामस** : १० लाख से कम खर्च वाली परियोजनाओं को छोटी परियोजना कहा जाता है। राज्य सरकारें इस दिशा में स्वतन्त्र रूप से अपना कार्य कर सकती हैं।

†**श्री इकबाल सिंह** : देश भर में किसानों के लाभ के लिये प्रयोग में आने वाले नलकूपों की संख्या क्या है ?

†**श्री अ० म० थामस** : नलकूप बना कर उसके लिय खर्च अगाऊ देकर उसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। इन नलकूपों की देखभाल राज्य सरकारें ही करती हैं। वैसे भी इन नलकपों का निर्माण एसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर कि पीने का पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं होता। राजस्थान में इस योजना को अधिकतर लिया गया है। इसके लिये कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय नलकूप संस्था हर समय राज्य सरकारों की सहायता के लिये तैयार रहती है।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि मेरा यह कहना कि व्यर्थ के जानवरों को समाप्त कर दिया जाय और ढेबर साहब का यह कहना कि पशुओं की नसल को सुधारा जाय, दोनों बातेंही ठीक हैं। दोनों विचार परस्पर विरोधी हैं, दोनो ठीक कैसे हो सकते हैं ?

श्री उटिया (शहडोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी का ज्ञान न हो ने के कारण मैं अभी तक संसद् की पूरी कारवाई नहीं समझ सका, और अंग्रज़ी में कार्यवाई का संचालन होने की वजह से हमारी तरह और भी बहुत से माननीय सदस्य संसद् की कार्रवाई समझने से वंचित रहते हैं।

श्रीमान राष्ट्रपति के अभिभाषण में तथा खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खाद्य स्थिति संतोषजनक बतायी गई है किन्तु अब भी जीवित रहने के लिये देश में अमरीका से करोड़ों रुपये का अन्न मंगाया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक आप औरों की तकरीरें नहीं समझ सके, अब हम आपको तकरीर नहीं समझ रहे हैं। आगे आ जाइये।

श्री उटिया : देश के लगभग दस करोड़ लोगों को एक बार ही भोजन मिलता है। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिन्हें अंतरे दिन भोजन नहीं मिलता है। जिन्हें रोज भोजन मिलता है वह दालभात ही पाते हैं। मात्रा और गुण के हिसाब से तो केवल ६०–६५ लाख लोगों को ही भोजन मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय : पार्लियामेंट भी नई थी और मैं भी नया था, इस वास्ते तो इस वक्त तक मैं तकरीरों के पढ़ने की इजाजत देता रहा। मगर पार्लियामेंट में तकरीरें पढ़ी नहीं जातीं। आज तो मैं आपको इजाजत दे रहा हूं मगर यहां तकरीरें पढ़कर नहीं सुनाई जातीं।

श्री उटिया : यह मेरा बोलने का पहला मौका है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा पहला मौका है तो पढ़िए।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

श्री उटिया : भारत कृषि प्रधान देश है पर दुःख है कि दो पंचवर्षीय योजनाएं बीत जाने तथा तीसरी योजना का एक साल समाप्त होने पर भी खाद्य समस्या हल नहीं हो सकी। इसे भारत सरकार की सफलता कहा जाए या असफलता। प्रधान मंत्री महोदय ने खाद्य के मामले में प्रथम योजना के अन्त तक आत्मनिर्भर होने की बात कही थी। उसके बाद सन् १९६० तक आत्मनिर्भर होने की घोषणा की। किन्तु ये सभी घोषणायें निष्फल रहीं। इस असफलता का कारण क्या है ?

इस देश की खेती आसमान पर निर्भर है। समय और हिसाब से बारिश होने के कारण यदि उपज में कुछ बढ़ोत्तरी हो जाय, तो उसका श्रेय खाद्य मंत्रालय ले लेता है और यदि बाढ़ तथा सूखा से फ़सल मारी जाये, तो उस का दोष क़ुदरत पर मढ़ दिया जाता है। खाद्य मंत्रालय आज तक देश में खेती की भूमि के लिए पानी की व्यवस्था न कर सका। बाढ़ रोकने की सारी योजनायें भी असफल रहीं।

यदि खाद्य समस्या हल करनी है तो इस देश के मेहनतकश और परिश्रमी लोगों को ज़मीन देने की व्यवस्था की जाये, जिसके लिए यह आवश्यक होगा कि खेती के कानून में आमूल परिवर्तन इन आधारों पर किये जायें।

किसान वही माना जाये जो स्वयं खेती करे। आज हमारे देश में बड़े किसान वही हैं, जो मशीन या मज़दूरों से खेती करवाते हैं या जिन्हें मेहनत से घृणा है और जो हल की मूठ छूना पाप समझते हैं। आज हमारे देश में बड़प्पन और अपाहिजपन दोनों एक में मिल गए हैं।

भूमि का वितरण इस प्रकार हो कि एक परिवार यानी स्त्री, पुरुष और तीन बच्चे बिना मशीन और मज़दूर का सहारा लिए जितनी खेती कर सकें, उससे तीन गुना से अधिक खेत न मिलें। इस प्रकार बची हुई ज़मीन को उन लोगों में बांट दिया जाये, जिन के पास अलाभकर जोत हैं।

ज़मीन के फ़र्ज़ी बंटवारे को खत्म किया जाये और उस ज़मीन को मज़दूरों में बांटा जाये।

देश में खेती-लायक बंजर ज़मीन को खेतिहर पल्टन का निर्माण कर के तुड़वाया जाये और सहकारी आधार पर खेती कराई जाये। ज़मीन को तोड़ने तथा सिंचाई सम्बन्धी सावनों की व्यवस्था सरकारी खर्चे पर की जाये।

अलाभकर जोत पर से लगान हटा दिया जाये।

किसान के अनाज और उस के कच्चे माल, जैसे कपास, गन्ना, जूट आदि, के मूल्य इस तरह निर्धारित किये जायें कि लागत खर्च कि निकल आए तथा साथ ही इतना लाभ हो कि उस का निर्वाह हो सके। पर दुख है कि किसान के पैदा किये कच्चे माल का दाम तो गिरता ही रहता है, खास तौर से खलिहान या फ़सल के मौके पर। किन्तु वही वस्तुयें कारखाने में पहुंचकर शक्ल बदलने के बाद अधिक मूल्य पर बिकती हैं और फ़सल पर भी उन के दाम नहीं मिलते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक लघु-सिंचाई योजना और खाद्य की व्यवस्था का प्रश्न है, वह पर्याप्त नहीं है। खेतों को पानी देना तो दूर रहा, सारे नागरिकों के लिए साफ़ शुद्ध पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। इस दिशा में व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है।

इस देश के देहात में यातायात के साधन कतई नहीं हैं। उन के अभाव के कारण किसान आये दिन देश के बड़े व्यापारियों की लूट के शिकार होते रहते हैं, क्योंकि वे अपना सामान बाज़ार में नहीं पहुंचा सकते। मैं स्वयं अपने ग्राम से बराबर धूप और बरसात में २२ मील की लम्बी यात्रा पैदल चलकर स्टेशन पहुंच पाता हूं। न तो पक्के मार्ग हैं और न सवारियां ही सुलभ हैं। वहां के लोग अधिकतर जंगलों से अपना जीविकोपार्जन करते रहे हैं। किन्तु मध्य प्रदेश की सरकार ने बिड़ला को ठेका देकर आदिम जातियों तथा अन्य लोगों को जंगलों की सुविधाओं से वंचित कर दिया है। यहां तक कि पट्टे की आराज़ी में जो दरख्त लगे हुए हैं, उन में भी अभी तक उन को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि खेती के सम्बन्ध में गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के लिए गांधी कृषि आश्रम खोला जाये और इस के लिये बिड़ला भवन अधिक उपयुक्त स्थान होगा, जहां गांधी जी शहीद हुए थे।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि इन सुझावों पर अमल किया गया, तो खाद्य समस्या ही नहीं, वरन् बेकारी भी निश्चित रूप से शीघ्र हल हो सकती है।

†**श्री अ० चं० गुह** (बरसाट) : खाद्य और कृषि मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। तृतीय योजना की सफलता कृषिक लक्ष्यों की पूर्ति पर आधारित है। कृषि के क्षेत्र में पिछले १० वर्षों में काफी प्रगति हुई है। सरकार ने देश को आभाव से बचाने के लिए कोशिश की है। पिछले दस वर्षों में हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन ५० प्रतिशत से बढ़ा है। पटसन, रूई, तेल के बीजो में भी काफी प्रगति हुई है।

उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वह इसलिए हुई है कि अधिक क्षेत्र में खेती होने लगी है और मौसम भी अच्छा रहा है। हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को मौसम पर आश्रित नहीं रखना चाहिए। न ही कृषि वस्तुओं के उत्पादन के लिए भूमि को प्रत्येक भाग को कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाए। कुछ भूमि जंगलों और चारागाह के लिए भी रहने दी जाए। कृषि का विस्तार किसी नियोजित ढंग में होना चाहिए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कृषि को अच्छा बनाने के ध्येय पूरे नहीं हुए हैं।

श्री थामस ने कहा कि छोटी सिंचाई की योजनाओं को कायम रखना एक समस्या हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विकास योजना जिस पर व्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर किया जाता है समस्या हो जाएगी। इसका कारण यह है कि कृषि राज्य सरकारों के क्षेत्र में है।

मुरब्बा बंदी, सहकारी खेती इत्यादि राज्य सरकारों के विचारों पर आश्रित है। कृषि के उद्धार के लिए जो भी योजना हम आरम्भ करें, केन्द्रीय सरकार को राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं० गुह]

सरकारों का आश्रय लेना पड़ेगा । राज्य सरकारें पूरा सहयोग नहीं देती हैं। कृषि के उद्धार के रास्ते में यह रुकावट है और सदन इस संबंध में राज्य सरकारों पर प्रभाव डालेगा ।

हम कृषि के संबंध में जो आर्थिक नीति अपनायें उसका आधार मौसम का अच्छा होना नहीं होना चाहिए । हमें यह सोच कर कि मौसम ठीक नहीं भी हो सकता अपनी नीतियां अपनानी चाहिएं । सरकार को कृषि के उद्धार के लिए स्थायी हल ढूंढ़ना चाहिए ताकि बाढ़ों पर काबू पाया जा सके। जब वर्षा न हो तो खेत सूख कर न जांए। उन्हें पानी मिल सके।

तृतीय योजना में हम ने १००० लाख टन का लक्ष्य रखा है । चूंकि जन संख्या बढ़ रही है और दूसरे हमारा जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए अतः हमारा लक्ष्य अधिक होना चाहिए ।

यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारत खाद्यान्न का निर्यात कर सकेगा। भारत में आबादी बहुत घनी है, इसलिए यह सम्भव न होगा। प्रत्येक देश प्रत्येक वस्तु में आत्म-निर्भर नहीं हो सकता । भारत के लिए आबादी घनी होने के कारण खाद्यान्न में आत्म-निर्भर होना बहुत कठिन होगा ।

जहां तक छोटी सिंचाई की योजनायें हैं मेरे विचार में हम ने लक्ष्य पूर्ण कर लिया है, परन्तु जहां तक सिंचाई की बड़ी और मध्यम योजनाओं का संबंध है, ध्येय का ५० प्रतिशत भी पूरा नहीं हुआ है ।

जब ७५ प्रतिशत लोग का आश्रय कृषि है तो कृषि वस्तुओं के मूल्य अस्थिर नहीं होने चाहिए । इस सम्बन्ध में सरकार को उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को देखना है। कभी दोनों के हित भिन्न हो सकते हैं। ऐसे मामले में दलाल को हटा देना चाहिए ।

क्या गोदाम निगम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता कर रही है । जो गोदाम हैं वे सरकारी माल सुरक्षित करने के लिए ही प्रयोग में नहीं लाने चाहिए ।

योजना आयोग ने कहा है कि कृषि-वस्तुओं के मूल्यों के सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या उत्पादकों को वह मूल्य मिलते हैं जो उपभोक्ता देते हैं, व बीच के दलाल लाभ उठाते हैं ?

मैं यह बात समझता हूं कि कृषि वस्तुओं के मूल्य बढ़ें, क्योंकि कृषिकों को उचित मूल्य देने होंगे और श्रमिकों को उचित मजदूरी देनी होगी। परन्तु हमें मध्य वर्ग के लोगों की अवस्था का भी ध्यान रखना है । मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह इस बात को देखें कि निम्न आय वर्ग के लोगों को खाद्यान्न वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता दें।

कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में विषमता है । इसे हटा देना चाहिये । कुछ समुदायों ने कहा है कि कृषिकों को समय पर ऋण नहीं मिलता । मेरे विचार में ऋण की मात्रा में वृद्धि हुई है, परन्तु और वृद्धि होनी चाहिए । परन्तु विशेष कठिनाई यह है कि कृषिकों को समय पर ऋण नहीं मिलता है ।

चूंकि कृषि ऋण काफी बढ़ गया है तो क्या कृषि वित्त निगम की स्थापना नहीं करनी चाहिये ?

अन्त में श्री पाटिल से प्रार्थना करनी है कि कलकत्ता को सब स्थानों से मछली भेजी जाए क्योंकि बंगाल में मछली का अभाव हो गया है ।

श्री विश्राम प्रसाद (लाल गंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय प्रधान मंत्री जी की स्पीच की ओर, जो कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग के कर्मचारियों के सामने दी थी, आकर्षित करना चाहता हूं । प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि इस देश में जितने देशी हल हैं उनकी होली जला दी जाय । मैं यह सुन कर बड़ा ताज्जुब महसूस करता हूं कि प्रधान मंत्री जी को भारत के किसनों के बारे में या तो ज्ञान नहीं है, या फिर कुछ कारण है जिसकी वजह से सोचना वह नहीं चाहते कि क्यों अब भी देसी हल हमारे किसानों के पास मौजूद है । भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसमें ८५ प्रतिशत लोग ज्यादातर खेती किया करते हैं । आज भी ३५ करोड़ जनता भारत के गांवों में रहती है । सन् १९४७ में जिस वक्त हमारे देश को स्वराज्य मिला था तब से आज तक, यानी सन् १९६२ तक कृषि में जो कुछ उन्नति पाई जाती है उसको मैं हर्गिज सिग्निफिकेन्ट नहीं कह सकता । आप देखें कि सन् १९४७ में गरीब और अमीर का फर्क १ और ११० का था । आज वह बढ़ करके १ और ३२० हो गया है । गरीब खाने बिना मर रहा है और अमीर खा खा कर मर रहा है । किसानों की हालत का आप अन्दाजा लगावें । किसान एक वक्त रोटी पाता है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर दोनों ही मर रहे हैं तब तो समानता हो गयी ।

श्री विश्राम प्रसाद : एक भुख से मर रहा है, दूसरा दवा से मर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : नतीजा तो एक है ।

श्री विश्राम प्रसाद : किसान को खाने को क्या मिलता है ? अगर आप गांवों में जा कर देखें तो उसे एक वक्त रोटी मिलती है । गर्मी के दिनों में वह एक वक्त आम खा कर बिताता है ।

एक माननीय सदयस : जब आम होते हैं तब ।

श्री विश्राम प्रसाद : बरसात के दिनों में उसे मिल का सीरा पीने को मिलता है । जाड़े के दिनों में उसे मटर और शरबत पीने को मिलता है । इतना ही नहीं वह महुआ खा कर जीवन बिताता है और गोबर में सना हुआ अनाज निकाल कर खाता है । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जब थ्रेशिंग फ्लोर पर बैल चलते हैं तो अनाज खा लेते हैं । जिस वक्त वह गोबर करते हैं तो उसे धोकर उस अनाज को निकाल कर किसान खाता है । यह हालत है भारत के किसान की । लेकिन कागज के अन्दर सन् १९४८ और १९४९ के मुकाबले आज किसान की आमदनी बढ़ी है । आज किसान की आमदनी १३१·१ है जब कि सन् १९४८ के दाम में ११७·२ है । मगर वह गयी कहां । किसान की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ है ।

किसान के घर में जिस वक्त गल्ला पैदा होता है तो बाजार सस्ती होती है और वही गल्ला जब खत्तियों में भर जाता है तो गल्ला महंगा हो जाता है । किसान के गल्ले को धनी बिजनेस क्लास सस्ता खरीद लेता है और फिर वह उसको महंगा बेचता है । लेकिन किसान के घर में उसकी आमदनी नहीं जाती । जो खरीद कर बेचते हैं वे बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मोटरों में चलते हैं, लेकिन किसान जो कि उसे पैदा करता है वह भुखा ही बना रहता है । अगर किसान को कुछ पैसे मिल जाते हैं तो जब वह अपनी जरूरियात की चीजें जैसे कपड़े या दवा खरीदने बाजार जाता है व पैसे जिस के पास से आए थे उसके पास पहुंच जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्राम प्रसाद]

उदाहरण के लिए आप रुई को ले लें। बाजार में रुई दो रुपए सेर बिकती है लेकिन जब किसान के घर पैदा होगी तो डेढ़ रुपये सेर की यानी १२ आने की आधा सेर बिकती है। और उसका जब मिल में कपड़ा बन जाता है तो १२ रुपए की साड़ी हो जाएगी। अगर १२ रुपए में से १२ आने निकाल दें तो ११ रुपए ४ आने बचते हैं। क्या इतनी मजदूरी हो सकती है? यह मिल वाले का मुनाफा होता है। इसका कारण यह है कि किसान के पास पैसा नहीं है कि वह मिल खड़ी कर सके।

इसी तरह से आप गन्ने को ले लें। सौ मन गन्ने की कीमत एक रुपए १० आने के हिसाब से १६० रुपये होती है। सौ मन गन्ने से १० मन चीनी बनती है जिसकी कीमत ४० रुपए मन के हिसाब से ४०० रुपए होती है। जो किसान गन्ने को बोता है, सींचता है, काटता है और चल कर मिल के दरवाजे पर दो-दो रोज खड़ा रहता है उसको तो १६० रुपए मिलते हैं और उसी गन्ने से जो चीनी बनती है उसकी कीमत ४०० रुपए है। यानी २४० रुपए पैसे वालों की जेब में जाते हैं। यह हालत है किसानों की। किसान पैदा करता है लेकिन किसान को उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती है।

मिल के अन्दर जो शीरा निकलता है उसकी कीमत मिल वाले चार पांच आने मन दिखलाते हैं। पर किसान जब भूखा होता है तो उसी शीरे को आठ और दस रुपये मन खरीदता है। यह भारत के किसानों का रूप आप देखें।

हमारे देश के किसानों का दुनिया के किसानों से मुकाबला किया जाता है। ताज्जुब है कि आज भी यहां के किसान के पास जूते नहीं हैं, उसको पहनने को कपड़ा नहीं है जब कि अमरीका के किसान कारों पर चलते हैं, ट्रकों में सामान ढोते हैं और कुछ के पास हवाई जहाज भी हैं।

आप खाने की बात कहते हैं। हमारे देश के एक आदमी को १३·८ आउंस सीरियल और २·४ आउंस दाल मिलेगी जब कि इंडियन काउंसिल आफ मैडिकल रिसर्च ने सन् १९५१ में बतलाया है कि कम से कम एक आदमी को सीरियल १४ आउंस, दाल ३ आउंस, लीफी वैजीटेबिल ४ आउंस, अदर वैजीटेबिल्स ६ आउंस, घी २ आउंस दूध १० आउंस, मीट ४ आउंस, फ्रुट्स एंड नट्स ३ आउंस, शूगर २ आउंस मिलना चाहिये। १३ आउंस के मानी साढ़े ६ छटांक हुआ। भारत का किसान जो काम करता है साढ़े ६ छटांक से उसका पेट नहीं भर सकता। ऐसी हालत में सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाना कि १५ बरस की आजादी के बाद भी भारत की सरकार जनता को दोनों वक्त भी रोटी नहीं दे सकी, गलत नहीं होगा।

आप देखें कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के काल में आबादी पांच मिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ी, दूसरी प्लान के काल में ७ मिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से और तीसरी योजना के काल में १० मिलियन हर साल बढ़ेगी। उसका क्या होने वाला है? सन् १९६५ में हमारे देश की आबादी ४८ करोड़ होगी। आपकी रिपोर्ट—इंडियाज़ फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टु मीट इट—में लिखा है

†"आने वाले खाद्यान संकट से सारे राष्ट्र को परिचित होना चाहिये और इस पर क़ाबू पाने के लिए कार्यवाई करनी चाहिए। लोकतन्त्र के लिए खाद्यान का पर्याप्त संभरण आवश्यक है, क्योंकि शेष स्वतन्त्रताओं के लिए भुख से स्वतन्त्रता पहले जरूरी है। यदि आरम्भिक आवश्यकताएं जैसे कि खुराक और कपड़ा इत्यादि पूरी न हों तो पर्याप्त खुराक के आश्वासन पर बाकी स्वतन्त्राताएं छोड़ी जा सकती हैं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

†"यदि वर्तमान रफ्तार से अधिकतर तेज खाद्यान्न उपज न बढ़ी तो १९६५-६६ में सम्भरण और आवश्यकताओं में २८० लाख टन का फरक हो जाऐगा"

इसके मानी यह हैं कि कितनी भी आप तरक्की करें फिर भी २८ मिलियन टन गल्ला आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। इसका कारण क्या है ? इसका कारण जमीन का बटवारा है। जो आदमी खेती करता है उसकी जमीन नहीं है। जमीन को हड़प कर रखने वाले बड़े बड़े लोग हैं जो अपने खेत में कभी एक मिनट भी काम न करते हों। वे शहर में रहते हैं, खेत को देखने चले आते हैं। इसी लिए जमीन का पर एकड़ उत्पादन कम है। बड़ी जमीन का मालिक चार मन फी एकड़ पैदा करता है। अगर उसी जमीन को एक गरीब किसान को दे दिया जाए तो दस मन फी एकड़ पैदा करके देता है। इस तरह से वे अपना भी नुकसान करते हैं और साथ, साथ देश का भी नुकसान होता है। ऐसी जमीनें बहुत पड़ी हैं जिसकी वजह से हमें बाहर से गल्ला मंगाना पड़ता है। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि जमीन का उचित बटवारा होना चाहिए और उसकी टिनेन्सी का ठीक प्रबन्ध होना चाहिये। जमीन किसी के पास है और पटवारी के कागज में किसी और के नाम में दर्ज है। इस कारण मुकदमेबाजी बढ़ती है और असल खेती करने वाले मालिक नहीं बन पाते। इसी कारण वह अपनी पैदावार को नहीं बढ़ा पाते।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आज ही खत्म करेंगे या कल जारी रखेंगे।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं कल खत्म करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : तो आप कल जारी रखें।

---

*नई देहली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : १९५५ से जब चीन ने भारत सरकार और राष्ट्र को 'पंचशील' के मन्त्र से और 'हिन्दी-चीनी भाई भाई' की लोरी दे कर नींद ला दी तब से हमारी सरकार उसी ढंग पर चल रही है। यह चुप रहती है जब तक कि कम्युनिस्टों को छोड़ कर विरोधी दल का कोई सदस्य उस का ध्यान चीन द्वारा हमारे क्षेत्र पर आक्रमण की ओर न दिलाये। उसके बाद पीकंग में हमारे राजदूतावास के स्टाफ का और तिब्बत में दूत मण्डल का निरादर किया और अब चीनी दूतावास में हमारे देश भारत विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया है। जो कार्यवाही चीनी दूतावास भारत में कर रहा है वैसी थोड़ी सी कार्यवाही भी यदि पीकंग में हमारा दूतावास करता तो वह सरकार हमारे दूतावास के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करती और शायद हमारे दूतावास का वहां काम करना भी असम्भव होता। जो हमारे दूतावास पर उन्होंने पाबन्दियां लगा रखीं हैं, उतनी पाबन्दियां भी चीनी दूतावास पर नहीं लगा रखीं।

माननीय मंत्री ने कहा था कि विदेशी दूतमण्डल द्वारा प्रचार के सम्बन्ध में कुछ प्रथाएं हैं। मेरे विचार में यह तो परस्पर बर्ताव पर निर्भर है, परन्तु भारत सरकार इसे नहीं मानती है। माननीय मंत्री ने कहा कि चीनी दूतावास के बुलेटीन में चीन और भारत के पदाधिकारियों के प्रतिवेदन का जो संक्षेप से उल्लेख दिया है वह हमारे देश के कानून की बुरी तरह से अवहेलना करता है। इस के बाद आत्मसम्मान रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह आशा करता कि चीन के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही की जाए।

---

†मूल अंग्रजी में

*आधे घंटे की चर्चा

[श्री हरि विष्णु कामत]

अब फिर २० मई के 'चाईना टुडे' के संस्करण में कानून भंग किया है । चीन जानता है कि भारत कोई कार्यवाही तो करेगा नहीं, प्रतिवाद ही करता रहेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ वर्ष पूर्व प्रधान नासिर द्वारा की गई कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाता हूं । मिस्र में चीनी दूतमण्डल ने एक छोटी सी पुस्तिका परिचालित की । उस में भारत के विरुद्ध प्रचार था । प्रधान नासिर ने चीनी दूतमण्डल को कड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी । यदि आवश्यकता हुई तो चीनी दूतावास बन्द करने की भी धमकी दी । यहां हम जो 'प्रोटैस्ट' कर देते हैं उनकी ओर न चीन न पाकिस्तान ध्यान देता है ।

माननीय मंत्री ने श्री तिरमुल राव को कड़ी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया । मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या कार्यवाई की जा रही है जब कि २० मई के संस्करण में भी भारत के विरोध प्रचार हैं ।

हमारे कानून के अन्दर जो भारत विरोधी प्रचार वाली पुस्तिका इत्यादि छापता है वह भी दोषी है ।

चीनी दूतावास के सम्बन्ध में हमारी नीति बहुत नर्म है । मैंने संसार के इतिहास में ऐसी नीति नहीं देखी कि कोई आप को ठोकर मारे आप उस के पाओं चाटें ।

मैं राज्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस मामले में क्या कार्यवाही होगी ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि 'चाइना टुडे' की तरह चीन में भारतीय दूतावास भी कोई पत्रिका निकालता है । यदि हां, तो उस पर चीन सरकार ने कभी आपत्ति की है । क्या गृह-कार्य और विदेशी विभाग मंत्रालय मिल कर काम नहीं कर सकते क्योंकि काफी समय हो गया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पत्रिका का छपने से पहले प्रावेक्षण नहीं किया जा सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि चीन ने पीकिंग और लहासा से और भारत की भूमि से भारत के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया है तो क्या सरकार ने पीकिंग से दौत्य सम्बन्ध विच्छेद पर विचार किया है ?

†**विदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : चीन के बारे में हमारी नीति क्या है इस सम्बन्ध में यहां बहुत कुछ कहा गया है । लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम चीन के बारे में तभी कोई कार्यवाही करते हैं जब कि विरोधी सदस्य हमारा ध्यान यहां आकर्षित करते हैं । जहां तक ५ मई के प्रकाशन की बात है, माननीय सदस्य ने जब उसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया उससे पहले ही गृह मंत्रालय उसे जब्त करने के बारे में आदेश जारी कर चुका था । हमने ९ तारीख को ही दिल्ली स्थित चीन दूतावास में इसका विरोध पत्र भेज दिया था । ११ तारीख को अधिसूचना जारी कर दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक १९ मई के 'चाइना टुडे' प्रकाशन की बात है, सरकार ने इस अंक के प्रत्येक पृष्ठ की अच्छी तरह छानबीन की है। उसमें उस अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया गया है जो पत्रों से सम्बन्धित सरकार को प्राप्त होने के पूर्व प्रकाशन से सम्बन्धित है। भारत सरकार को मिलने से पूर्व ही उनको प्रकाशित कर दिया गया था। निस्संदेह यह अनुचित बात है। लेकिन उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। अतः उसे जब्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी नीति यह है कि हम सरकारी संलेख के बारे में कोई आपत्ति नहीं करते हैं, चाहे, उसमें हमारी आलोचना भी की गई हो। हां, आपत्तिजनक बात ५ मई के अंक में थी उसमें एक ऐसा सारांश लिखा गया था जो भ्रान्तिजनक था और हमारे सीमांत क्षेत्र की प्रतिष्ठा के लिये घातक था। वह सरकारी संलेख न हो कर प्रचारमात्र था। इसलिये उस अंक की प्रतियां जब्त कर ली गई थीं।

एक प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या पेकिंग स्थित हमारा भारतीय दूतावास भी "चाइना टुडे" जैसा कोई पत्र निकालता है। हां। हमारा दूतावास "इंडिया टुडे' एक पत्र निकालता है। एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि क्या चीन सरकार ने उसका कभी कोई विरोध किया है। हां, उन्होंने दो बार उसका विरोध किया है। एक बार तो उन्होंने उस अंक के बारे में आपत्ति की थी जिसमें उत्तरी सीमांतों सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का संकल्प प्रकाशित किया गया था और दूसरी बार उस अंक के बारे में आपत्ति की थी जिसमें हमारे प्रधान मंत्री का बेलग्रेड में दिया गया भाषण प्रकाशित किया गया था।

एक प्रश्न यह किया गया है कि क्या हमारे यहां "पूर्व सेन्सर" की कोई व्यवस्था है। हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी पत्र के "पूर्व सेंसर" के लिये कहना कार्यवाही का सुझाव है जिस पर विचार करना होगा। यह भी विचार करना होगा कि क्या वैसा करना वांछनीय है। क्योंकि बहुत सी बातें करना तो संभव होता है किन्तु राजनयिक दृष्टि से उनका करना वांछनीय नहीं होता।

चीन में भारत स्थित दूतावास के बंद करने के लिये आज ही नहीं बल्कि कई बार सुझाव दिये गये हैं। मेरा निवेदन है कि राजनयिक दृष्टि से ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिये जिससे कि बात चीत का सिलसिला भी समाप्त हो जाये। इसलिये यह सुझाव मान्य नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार यहां बताया है कि हमें कोई भी काम जल्दी एवं गुस्से में नहीं करना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के जानकार यह अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल की राजनीति समझौते एवं छूट देने वाली है। आधुनिक युग को ध्यान में रख कर हमें कार्य करना चाहिये। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें मानव का जीवन हर क्षण जोखम-ग्रस्त है। लेकिन माननीय सदस्य ऐसे सुझाव दे रहे हैं जो २०वीं शती में तो क्या १८वीं शती में भी मानने योग्य नहीं हैं।

अभी कुछ दिन पूर्व वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी। सभी ने एकमत से मांगों को पारित कर दिया था इससे पता चलता है कि सरकार की वैदेशिक नीति से सभी सहमत हैं। किन्तु आज चीन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसका अभिप्राय तो यह होगा कि हमारी राजनीति और भी कठिन से कठिन हो जायेगी। लेकिन अगर माननीय सदस्य आज यह चाहते हैं कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे तो यह एक नई बात हुई! वैसे तो यह लोक-तंत्र है सबको अपनी बात कहने की छूट है। लेकिन यह कहना कि सरकार कोई कड़ी कार्यवाही नहीं कर रही है अथवा करना नहीं चाहती है अतः सरकार कमजोर है। या सरकार के पास शक्ति नहीं है। अथवा वह कुछ करना नहीं चाहती। बल्कि असलियत तो यह है कि हमें कुछ नियमों का

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

पालन करना होता है। ये नियम ऐसे हैं जो हम तथा दूसरों के लिये पालन करते हैं। अतः यह समझना गलत होगा कि हमारी चीन सम्बन्धी नीति कमजोर है; अथवा वह कुछ करना नहीं चाहती अथवा वह इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि विरोधी सदस्य कुछ करने के लिये उसे सुझाव देगें। बात यह है कि यदि हमारी राष्ट्रीय एकता अथवा स्वतन्त्रता पर आंच आयेगी तो सरकार निश्चय ही कड़ी कार्यवाही करेगी।

गृह-कार्य मंत्रालय तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय में समन्वय हो इसके लिये प्रश्न उठाया गया है। इन दोनों मंत्रालयों में आजकल भी समन्वय है। गृह मंत्रालय जब्ती के आदेश निकालती है और वैदेशिक कार्य मंत्रालय का दायित्व उसे पूरा करने का है। हम आपत्तिजनक बातों की ओर उस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करते हैं और वह मंत्रालय आदेश निकालती है।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगी कि व्यर्थ में ही हमारी विदेशी नीति की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है। विशेषरूप से जब हमें उग्रवादी देशों से निबटना है तो हमें सहनशीलता से काम लेना चाहिये। क्योंकि हमारी जनता की स्वतन्त्रता, देश की स्वतन्त्रता, देश की सुरक्षा हमारे लिये सर्वोपरि है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गरुवार, २४ मई, १९६२ / ३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २३ मई, १९६२

---

२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२८५३—७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
९४८	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली को राकफेलर अनुदान	२८५३—५५
९४९	बायो-गैस उर्वरक अग्रिम कारखाना	२८५५—५६
९५०	स्नातकोत्तर डिग्रियां	२८५६—५८
९५१	चूने का पत्थर	२८५८—६०
९५२	चुनाव प्रचार साहित्य और पोस्टर . . .	२८६०—६२
९५३	पर्वतारोहण	२८६२—६३
९५८	विदेशी पादरियों की गतिविधियां . .	२८६३—६७
९५९	गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली के भारी सामान का निर्माण	२८६७—६८
९६०	पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां	२८६८—६९
९६१	दिल्ली में इंजीनियरी के विद्यार्थी . .	२८७०—७१
९६२	माध्यमिक शिक्षा का विस्तार	२८७१—७२
९६५	१९६६ में होने वाले ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलकूद	२८७२
९६६	विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृति की आयु	२८७२—७३
९६७	सोने का तस्कर व्यापार .	२८७३—७५
९६८	छावनियों का प्रशासन	२८७६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२८७६—२९३२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९५४	स्कूलों में दोपहर के भोजन का कार्यक्रम . .	२८७६
९५५	खनिजों पर रायल्टी	२८७७
९५६	प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, जम्मू . . .	२८७७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६५७	आयकर से मुक्ति	२८७७—७८
६६३	इण्डिया इन्टरनेशनल हाउस एण्ड इंस्टीट्यूट, मद्रास	२८७८
६६४	तोपखाना प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	२८७८
६६६	पेंशनरों को महंगाई भत्ता	२८७८—७९
९७०	भारतीय नौसेना के लिये पनडुब्बियां	२८७९
९७१	जोरहाट में प्रादेशिक अनुसन्धान संस्था	२८७९
९७२	आसाम में पाक-अधिकृत क्षेत्र	२८८०
९७३	कोजिकोड जिले में रहने वाले पाकिस्तानी	२८८०
९७४	गोदावरी बेसिन में तेल	२८८०—८१
९७५	आन्ध्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२८८१
९७६	भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देना	२८८१
९७७	नूनमती तेल शोधक कारखाना	२८८१—८२
९७८	तेल प्रविधिज्ञ	२८८२
९७९	स्टेनलैस स्टील	२८८२—८३
९८०	रामागंडम में तापीय संयंत्र	२८८३
९८१	कढ़ाई किये हुए ऊनी कपड़े पर उत्पादन शुल्क	२८८३
९८२	हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना	२८८३—८४
९८३	एक नये पैसे के सिक्के	२८८४
९८४	सामान्य शिक्षा की निरर्थकता	२८८४
९८५	कोयले का उत्पादन	२८८५
९८६	दिल्ली में सेंध लगाने की घटनायें	२८८५—८६
९८७	केरल में और मैसूर राज्यों के बीच सीमा-विवाद	२८८६
९८८	नागालैंड में भारतीय विमान बल के डकोटा विमान दुर्घटना की जांच	२८८६
९८९	रद्दी लोहा	२८८६—८७
९९०	लिग्नाइट	२८८७
९९१	किरिबुरू लोह अयस्क परियोजना	२८८८
९९२	गीडी कोयला खान में आग	२८८८

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७८०	भारत-चीन सीमा विवाद . .	२८८८–८९
१७८१	बीकानेर जिले में पवन चक्कियां . . .	२८८९
१७८२	होस्टलों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता . .	२८८९–९०
१७८३	मैसूर और कर्नाटक विश्वविद्यालय को ऋण . .	२८९०
१७८४	मैसूर राज्य में ग्रामीण संस्थाओं को अनुदान . .	२८९०
१७८५	मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों की शिक्षा यात्रा .	२८९०
१७८६	उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी . . .	२८९१
१७८७	वस्तुओं का तस्कर व्यापार	२८९१
१७८८	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये मकान	२८९१–९२
१७८९	आन्ध्र प्रदेश में पुस्तकालयों को सहायता .	२८९२
१७९०	नागार्जुनसागर परियोजना स्थल पर स्मारक	२८९२–९३
१७९१	सम्बलपुर (उड़ीसा) में सीमेन्ट का कारखाना	२८९३
१७९२	भारतीय रियासतों के राजाओं आदि की सम्पत्तियां . .	२८९३
१७९३	विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी . .	२८९४
१७९४	राष्ट्रीय अनुशासन योजना . . .	२८९४
१७९५	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का कार्य संचालन .	२८९४–९५
१७९६	दिल्ली में अल्प आय वाले वर्ग के लये प्लाट .	२८९५
१७९७	हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में हिन्दी	२८९५
१७९८	मनीपुर प्रशासन	२८९६
१७९९	दिल्ली में तम्बुओं में स्कल	२८९६
१८००	धुला कोयला	२८९६–९७
१८०१	विदेशी लाटरी . . .	२८९७
१८०२	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में केन्टीन . . .	२८९७
१८०३	क्षेप्दास्त्रों के लिये प्रयोगशाला	२८९७–९८
१८०४	विश्वभारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन . .	२८९८
१८०५	असैनिक अधिकारियों पर विरोधी नागाओं का आक्रमण .	२८९८
१८०६	मनीपुर के लिये नालीदार लोहे की चादरें . . .	२८९८–९९
१८०७	डी० एम० कालेज, इम्फाल	२८९९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१८०८	कोयला उत्पादन . .	२६००
१८०६	बहु-प्रयोजनीय शिक्षा स्कूल . . .	२६००
१८१०	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नियुक्तियां .	२६००–०१
१८११	त्रिपुरा में पुनर्वास विभाग .	२६०१
१८१२	त्रिपुरा में पत्थर की खान का मिलना . .	२६०१
१८१३	त्रिपुरा में खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण . . .	२६०२
१८१४	त्रिपुरा में आदिम जातियों और गैर-आदिम जातियों के लिये अकृष्य भूमि	२६०३
१८१५	त्रिपुरा में विदेशी अधिनियम का कार्यकरण .	२६०३
१८१६	संसद् और राज्य-विधानमंडल के निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन	२६०३–०४
१८१७	मनीपुर में आयोजनाओं का विस्तार . .	२६०४
१८१८	दिल्ली में डूबने की घटनायें .	६०४–०५
१८१६	जाति-भेद मिटाना	२६०५
१८२०	बीकानेर में विश्वविद्यालय	२६०५
१८२१	उत्तरी सीमा में सड़कें	२६०५
१८२२	मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का हिन्दी में अनुवाद . .	२६०५–०६
१८२३	दिल्ली पुलिस के हिन्दी जानने वाले और न जानने वाले कर्मचारी	२६०६
१८२४	हिमाचल प्रदेश पुलिस में हिन्दी जानने वाले और न जानने वाले कर्मचारी	२६०६–०७
१८२५	निर्वाचन आयोग के प्रकाशन	२६०७
१८२६	निर्वाचन आयोग में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी . .	२६०७
१८२८	त्रिपुरा में "उनाकुटी तीर्थ" . .	२६०८
१८२६	मध्य प्रदेश में लोह-अयस्क के निक्षेप . .	२६०८
१८३०	स्कूलों और कालिजों में छात्र	२६०८–०६
१८३१	कलकत्ता में स्टेडियम . . .	२६०६
१८३२	टायरों की चोरी	२६०६
१८३३	रिजर्व बैंक के कर्मचारियों का बच्चों सम्बन्धी भत्ता	२६०६–१०
१८३४	नई दिल्ली नगरपालिका समिति क्षेत्र में साइकिलों के चालान	२६१०
१८३५	समुद्र के पानी को मीठा बनाना	२६११

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश:

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८३६	पदालि से बाहर के पदों पर सेवा-निवृत्त गजेटेड अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति .	२९११
१८३७	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बन्धित पुस्तकें .	२९११–१२
१८३८	विद्रोही नागाओं द्वारा हमला . . .	२९१२
१८३९	संसद्-सदस्यों के फ्लैटों में चोरियां .	२९१२
१८४०	राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी .	२९१३
१८४१	केन्द्रीय सरकार के मृत कर्मचारियों की विधवायें	२९१३
१८४२	इंदौर में विश्वविद्यालय	२९१३–१४
१८४३	पंजाब को कोयले के वैगन	२९१४
१८४४	वायु सेना के विमान से चोरी छिपे लाये गये सामान का पकड़ा जाना . .	२९१४–१५
१८४५	असिस्टेंटों की भर्ती के लिये परीक्षा	२९१५–१६
१८४६	रद्दी लोहे का निर्यात	२९१६
१८४७	आदिवासी नेताओं का इतिहास	२९१६
१८४८	सिंहभूम में चीनी मिट्टी की खानें .	२९१६–१७
१८४९	पालना लिग्नाइट परियोजना .	२९१७
१८५०	अपाहिजों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर	२९१७
१८५१	उत्तर प्रदेश के लिये कोयला	२९१८
१८५२	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन .	२९१८
१८५३	जामा मस्जिद, दिल्ली में मरम्मत . . .	२९१८
१८५४	कूचबिहार रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी	२९१९
१८५५	कच्छ और सौराष्ट्र में खनन पट्टा	२९१९
१८५६	कच्छ में तेल और गैस .	२९१९
१८५७	श्री एम० एन० राय के बारे में पुस्तक . .	२९२०
१८५८	कोयले का उत्पादन .	२९२०
१८५९	सौराष्ट्र में बौक्साइट . .	२९२१
१८६०	हैदराबाद में बिजली के भारी उपकरण का संयंत्र . .	२९२१–२२
१८६१	येरागुन्टोला, आन्ध्र प्रदेश में सीमेन्ट फैक्टरी .	२९२२
१८६२	एवरो ७४८ . .	२९२२
१८६३	पंजाब में पुनर्बलन मिलें . . .	२९२२–२३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१८६४	आसाम, नेफा और नागालैंड में भूतपूर्व सैनिक	२९२३
१८६५	आसाम में पाकिस्तानी	२९२३
१८६६	हिन्दी का प्रचार	२९२३–२४
१८६७	पंजाब में मतदान	२९२४
१८६८	त्रिपुरा के आदिम जाति के छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिये अनुदान	२९२४
१८६९	अलवर में चूने का पत्थर	२९२४–२५
१८७०	उद्योगों के लिये कोयला	२९२५
१८७१	दिल्ली पोलीटेक्नीक, दिल्ली . .	२९२५
१८७३	रामरूप विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल, दिल्ली	२९२५–२६
१८७४	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	२९२६
१८७५	आन्ध्र में लोह अयस्क के निक्षेप . .	२९२६
१८७६	वर्जीनिया किस्म की तम्बाकू पैदा करने वालों को ऋण	२९२६–२७
१८७७	सोने के निक्षेप	२९२७
१८७८	"पीकिंग रिव्यू" .	२९२७
१८७९	मद्रास में इंजीनियरिंग कालेज .	२९२८
१८८०	महंगाई भता और अधिक समय भता का भुगतान	२९२८
१८८१	"कस्टम हाउस" कलकत्ता में विक्रयकर्ता	२९२८–२९
१८८२	भारत को नई रूसी सहायता .	२९२९
१८८३	भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी . .	२९२९–३०
१८८४	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये अध्ययन केन्द्र	२९३०
१८८५	हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स लि०, भोपाल के कर्मचारी	२९३०
१८८६	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्	२९३०–३१
१८८७	पन्ना हीरे की खानें . .	२९३१
१८८८	अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये कालिज	२९३१–३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		२९३२–३४

श्री मनी राम बागड़ी ने २२ मई, १९६२ को सियालदह स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना की ओर, जिसमें ४१ व्यक्तियों को चोटें लगीं, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया ।

रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९३४

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक टैक्निकल प्रतिवेदन।

(२) संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अन्तर्गत, दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८२ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, १९६२ की एक प्रति एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित।

समिति के लिये निर्वाचन २९३४-३५

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि लोक-सभा के सदस्य अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुदानों की मांगें २९३५-८५

(१) परिवहन तथा संचार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घन्टे की चर्चा: २९८५-८८

श्री हरि विष्णु कामत ने नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत-विरोधी प्रचार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९०० के २१ मई, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाई।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने चर्चा का उत्तर दिया।

गुरुवार, २४ मई, १९६२/३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।

GIPND—LS III—1024 (Ai) LSD-30-7-62—150.

अनुदानों की मांगें— जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—जारी

श्री ऊटिया . . . २९७९–८१

श्री अ० चं० गुह २९८१–८३

श्री विश्राम प्रसाद २९८३–८५

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घंटे की चर्चा २९८५–८८

श्री हरि विष्णु कामत २९८५–८६

श्री हेम बरुआ २९८६

श्रीमती लक्ष्मी मेनन २९८६–८८

दैनिक संक्षेपिका २९८९–९५

P.L.S. 41. III. 28. 62.
150

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।